ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

योजना

वर्ष : 49 सितंबर 2005 मूल्य : 7 रुपये

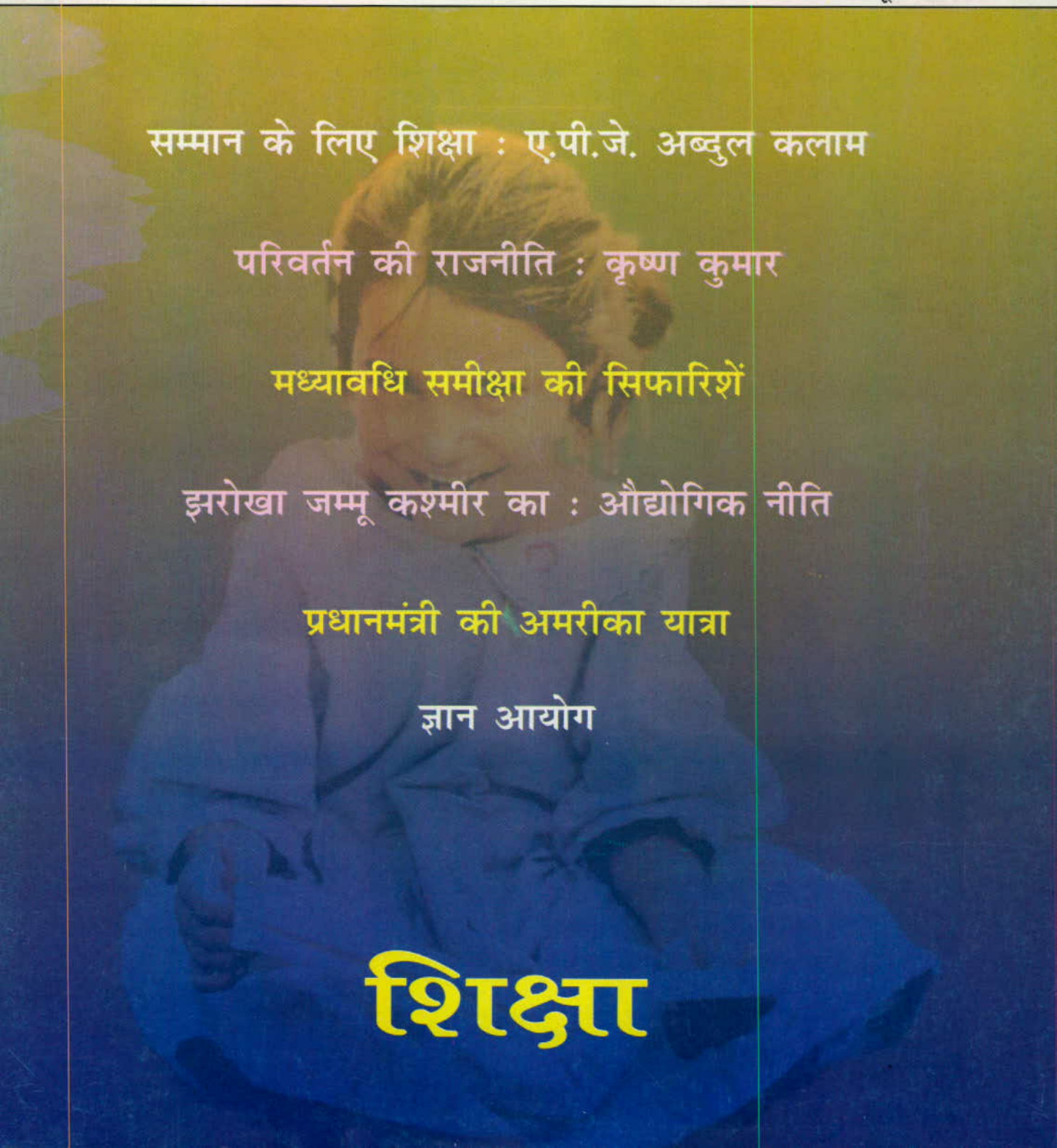

सम्मान के लिए शिक्षा : ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

परिवर्तन की राजनीति : कृष्ण कुमार

मध्यावधि समीक्षा की सिफारिशें

झरोखा जम्मू कश्मीर का : औद्योगिक नीति

प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा

ज्ञान आयोग

शिक्षा

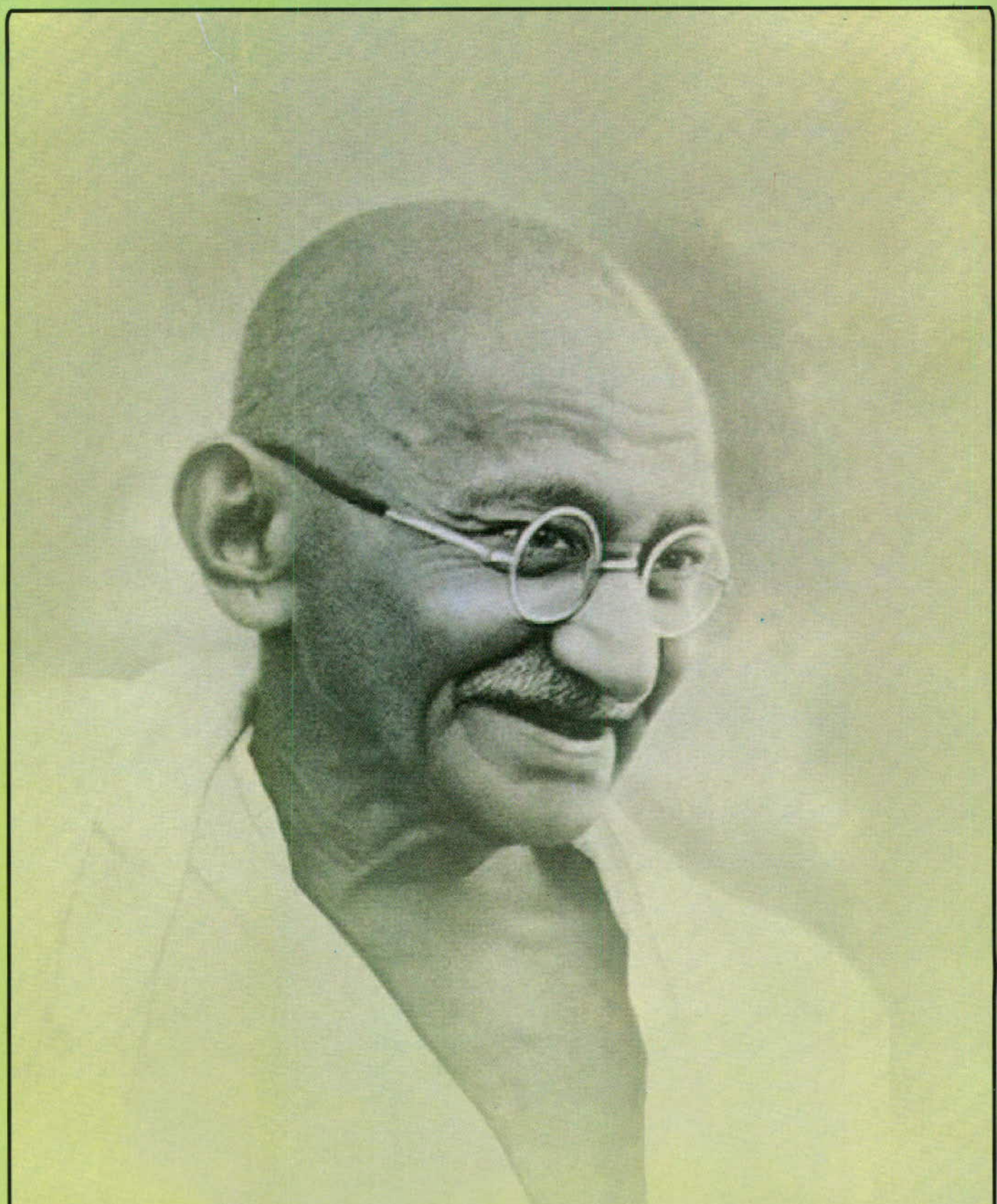

असली कठिनाई यह है कि लोगों को यह पता नहीं है कि सच्चे अर्थों में शिक्षा क्या है। शिक्षा के मूल्य को हम उसी ढंग से मापते हैं जैसे कि जमीन या शेयर बाजार में शेयरों के मूल्य को। हम केवल ऐसी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं जो कि छात्र को अधिक कमाने के योग्य बना सके। हम शिक्षित बच्चे के चरित्र में सुधार के बारे में तो शायद कुछ सोचते ही नहीं। लड़कियों के संबंध में हमारा मानना है कि उन्हें कमाई नहीं करनी होती, इसलिए उन्हें क्यों पढ़ाया जाए? जब तक इस तरह के विचार बने रहेंगे तब तक हम शिक्षा का सच्चा महत्व जानने की आशा कभी नहीं कर सकते।

– महात्मा गांधी

योजना

वर्ष : 49 अंक 6 सितंबर 2005 भाद्रपद-आश्विन, शक संवत 1927 कुल पृष्ठ : 72

प्रधान संपादक
अनुराग मिश्रा

संपादक
विश्व नाथ त्रिपाठी

सहायक संपादक
राकेशरेणु

उप संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
23096666/2508, 2511
ई-मेल : yojana@techpilgrim.com
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजूमदार

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516

आवरण - **ऋत्विका मैत्रा**

इस अंक में

संपादकीय	-	3
सम्मान के लिए शिक्षा	ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	5
परिवर्तन की राजनीति	कृष्ण कुमार	9
सबके लिए बुनियादी शिक्षा : प्रगति और चुनौतियां	आर. गोविंदा	13
सर्व शिक्षा अभियान	-	18
शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक शिक्षा	उर्मि ए. गोस्वामी	22
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	-	25
केब की सिफारिशें और शिक्षा की चुनौतियां	विमल कुमार	29
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 : एक विमर्श	कौशलेन्द्र प्रपन्न	31
शिक्षा संबंधी मध्यावधि समीक्षा (2002-07) की सिफारिशें	-	35
2030 तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य	-	36
रोजगार बढ़ाना मुख्य लक्ष्य - प्रधानमंत्री	-	37
स्कूल छोड़ जाने वालों की संख्या घटाने के उपाय	-	38
भारत मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 10 राष्ट्रों में	-	39
जम्मू-कश्मीर की औद्योगिक नीति, 2004	-	40
झरोखा जम्मू-कश्मीर का	-	45
अक्षरा ने स्कूल पूर्व छात्रों की संख्या बढ़ाई	एल.सी. जैन	49
परदादा परदादी स्कूल से बालिका सशक्तीकरण	रेणुका	51
अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत और अमरीका की महत्वपूर्ण भूमिका	अरविंद गुर्टू	53
भारत-अमरीका संयुक्त वक्तव्य	-	55
भारत-अमरीका संबंध साझे हितों पर आधारित हैं - प्रधानमंत्री	-	57
जड़ी-बूटियों से तैयार मच्छर भगाने की दवा	-	59
सामाजिक-आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र	हेना नकवी	61
दसवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा	जी. श्रीनिवासन	63
पारिख और आइंस्टीन के पदचिन्ह	मीनाक्षी ठाकर	66
खबरों में	-	69
ट्रेकोमा - आंखों का संक्रामक रोग	अमीर बानो	71

योजना हिन्दी के अतिरिक्त **असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु** तथा **उर्दू** भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नई सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :

व्यापार प्रबंधक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु. **द्विवार्षिक :** 135 रु.; **त्रैवार्षिक :** 190 रु.; विदेशों में **वार्षिक दरें : पड़ोसी देश :** 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश :** 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए 'योजना' उत्तरदायी नहीं है।

आपकी राय

कारगर अमल अपेक्षित

स्वास्थ्य पर आधारित 'योजना' का जुलाई, 05 अंक पढ़ा। मंत्रियों व सरकारी अधिकारियों की घोषणाएं व योजनाएं सुनने-पढ़ने में अच्छी लगती हैं पर उन पर कारगर अमल नहीं हो पाता है। हमारी चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई में ही संभवत: कोई कमी है। क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़कर चिकित्सा पेशे में लगे लोग आम जनता से क्रूरता भरा व अमानवीय व्यवहार करते हैं। जनसेवा, जनकल्याण व देशसेवा की भावना तो जैसे लोगों के बीच से उठती जा रही है। ऐसे में चिकित्सक ही पीछे क्यों रहें? सरकारी सेवा में होने के बावजूद निजी प्रैक्टिस करना चिकित्सकों का मुख्य ध्येय बन गया है। सिर्फ धनोपार्जन करना उनका उद्देश्य हो गया है। शहरीकरण भी बहुत बड़ी समस्या है। कोई कर्मचारी गांव में रहना ही नहीं चाहता। आवश्यकता है चिकित्सा शिक्षा में जरूरत के हिसाब से सुधार और परिवर्तन करने की। साथ ही गांवों को भी सुविधा-संपन बनाने की जरूरत है, जिससे गांवों से पलायन व शहरों में ही रहने की ललक पर रोक लग सके।

ग्रामीण अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों को दिन-रात गांव में ही रहना सुनिश्चित किया जाय।

राम भवन द्विवेदी
मीरापुर, इलाहाबाद

पहल में पहलवानी की जरूरत

योजना का जुलाई अंक पढ़ा। स्वास्थ्य क्रांति की आशा लिए 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' और 'सार्वभौम स्वास्थ्य मिशन' तथा 'स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम' शीर्षक लेख काफी ज्ञानवर्द्धक लगे। इनके अतिरिक्त के.आर. नायर और अनंत कुमार का 'बिहार और केरल का तुलनात्मक विश्लेषण' अतुलनीय लगा। अस्वस्थ आर्थिक स्थिति के बावजूद केरल का अमरीका की कमोबेश बराबरी करना एक सुखद आश्चर्य से कम नहीं है। मात्र 28 डॉलर प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य व्यय और राष्ट्रीय औसत व मानक स्तर से 15 प्रतिशत कम कैलोरी पाकर 71 वर्ष की जीवन प्रत्याशा और जन्म तथा शिशु मृत्युदर प्रति 1,000 क्रमश: 17 और 12 प्राप्त करना वाकई अनुकरणीय है।

परंतु इसकी तुलना बिहार जैसे राज्य से करना 'बाघ के सामने बकरी डालने' जैसा होगा। बिहार किसी भी क्षेत्र में केरल के सामने नहीं टिकता है। चाहे प्रतिव्यक्ति आय को लें या फिर जन्मदर या शिशु मृत्युदर। शिक्षा की बात न ही करें तो बेहतर होगा। ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र से तो यहां की सरकार कब की मुंह मोड़ चुकी है। कुछ अच्छे डॉक्टर तथा अस्पताल हैं भी तो वे बगैर किसी मंत्री या विधायक की पैरवी के गरीबों को हाथ तक नहीं लगाते। ग्रामीण सरकारी डॉक्टरों के नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती है। इनसे बेहतर लोगों को झोलाछाप डॉक्टरों का झोला ही लगता है।

अब तो स्वास्थ्य क्षेत्र की क्रांति ही इस व्यवस्था को दुरुस्त कर सकती है। इस दिशा में संप्रग सरकार की पहल काफी महत्वपूर्ण है और यह बिहार जैसे राज्यों के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है, किंतु इसके लिए उन्हें अपनी 'पहल में पहलवानी' (मजबूत इरादा) भी दिखानी होगी। नहीं तो स्वास्थ्य बजट को 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2-3 प्रतिशत करना लूट का जरिया ही बनेगा और कुछ नहीं।

अजित कुमार
गेवाली, नवादा (बिहार)

प्रासंगिक जानकारियों का भंडार

योजना के नवीन पाठक के रूप में जुलाई 2005 का अंक पढ़ा। स्वास्थ्य विशेषांक के रूप में यह अंक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के लिए रुचिकर लगा, वहीं महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम के लेख-'विकास की कुंजी है नवाचार' तथा टेलीमेडीसिन पर लेख भी बेहद पसंद आए। जम्मू-कश्मीर झरोखों में भी काबिल-ए-तारीफ लगा। तंबाकू नियंत्रण कानूनों का सख्त होना और 'भाषा का समाजशास्त्र' सरीखे लेख भी सराहनीय हैं। वाशिंग-सह-व्यायाम मशीन बनाने वाली छात्रा को उचित विकास सुविधा प्रदान करवाने की कृपा करें। पर्यावरणीय व वन्यजीव संरक्षण से भी संबंधित टिप्पणियां एक से बढ़कर एक रहीं। ऐसे विशेष आवरण अंकों की प्रतीक्षा रहेगी।

अमित कुमार वर्मा
गोला गोकरनाथ (छोटी काशी)
लखीमपुर खीरी (उप्र)

स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़े

योजना का जुलाई अंक पढ़ा। शुभ्रा सिंह का 'राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन' लेख पढ़कर लगा कि भारत जैसे बड़े और विकासशील देश में समुचित स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था को लागू करना वर्तमान सरकारी कार्यप्रणाली से हल होता नजर नहीं आता। जिस प्रकार संचार के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा से गांवों में सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, और जो पहले से काफी किफायती भी हैं, ठीक उसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाय। जब संचार के क्षेत्र में निजी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा हो सकती है तो चिकित्सा क्षेत्र मे क्यों नहीं? यदि ऐसा होता है तो संभव है किफायती चिकित्सा सुविधा सुलभ उपलब्ध हो सकेगी। जरूरत है राजनीतिक इच्छाशक्ति की जिससे निजी समूहों को इस ओर आकर्षित किया जा सके, मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों, दूरस्थ व जनजातीय क्षेत्रों की ओर। यदि ऐसा होता है तो हमारा देश विकसित देश बनने की ओर एक कदम और बढ़ जाएगा।

महेन्द्र सिंह मीना
ऊलूपुरा, भरतपुर
राजस्थान-321407

सार्थक प्रयास

'योजना' जून, 2005 का अंक हस्तगत हुआ। 'जलप्रबंधन' पर राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के भाषण का संपादित अंश अत्यंत व्यावहारिक एवं तर्कपूर्ण लगा। 'जल ही जीवन है' की उक्ति से सभी परिचित हैं, फिर भी इसके

(शेषांश पृष्ठ 72 पर)

संपादकीय

स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1948 में एक शिक्षा सम्मेलन में कहा था, बुनियादी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि उसके बगैर वह बतौर नागरिक जिम्मेदारियां बखूबी नहीं निभा सकता।"

लेकिन, अब 2005 में भी हम कहां हैं? विश्वभर में जितने अशिक्षित लोग हैं, लगभग उसके आधे भारत में हैं। भारत का रिकार्ड इतना खराब क्यों है? इस विषय के शोधकर्ताओं के अनुसार कम और घटिया स्तर की शिक्षा पाने वालों में ज्यादातर दलित, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं, और इनमें भी लड़कियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अगर वे विद्यालय जाती भी हैं तो ज्यादा दिन वहां नहीं टिकतीं। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की स्कूल जाने की संख्या भी कोई बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है।

और जो विद्यार्थी 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी भी कर लेते हैं, उन्हें भी सही अर्थों में शिक्षा नहीं मिलती। अधिकांश सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बड़ी दयनीय स्थिति में हैं। न तो उचित शाला भवन हैं, न ही पूरे शिक्षक। शिक्षा संबंधी सामग्री की स्थिति भी ठीक नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन एवं प्रशासन संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार, 2003-04 में अधिकांश शालाओं में लड़कियों के लिये शौचालय तक नहीं थे। बिहार और छत्तीसगढ़ में कुल तीन से पांच प्रतिशत शालाओं में ही यह सुविधा थी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की 12 से 16 प्रतिशत प्राथमिक शालाओं में ही लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था थी। पेयजल, ब्लैकबोर्ड, कक्षाओं संबंधी आंकड़े आशा नहीं जगाते। क्या दो प्रतिशत का शिक्षा 'प्रभार' सरकारी स्कूलों में लड़कियों के शौचालय, पानी का नल, ब्लैक बोर्ड आदि की व्यवस्था करने के लिए काफी होगा? हमें यह सवाल पूछना होगा।

राजनीतिक नेतृत्व द्वारा बुनियादी शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दिए जाने के बावजूद, केंद्र और राज्य सरकारों ने कुछ खास हासिल नहीं किया लगता है। स्कूलों में भर्ती बच्चों की संख्या में भले ही बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं। वे प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते।

शिक्षा को आनंदमयी अभ्यास बनाने के लिए इसे स्कूली कमरों और पुस्तकों से बाहर निकालना होगा। पाठ्य पुस्तकें आवश्यक हैं, लेकिन सीखने की प्रक्रिया की न तो शुरुआत और न ही समाप्ति ही पुस्तकों से होनी चाहिए।

जहां तक उच्च शिक्षा की बात है, भारत में 18 से 23 वर्ष की आयु के युवाओं में से केवल 6-7 प्रतिशत ही उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि सिंगापुर में यह प्रतिशत 34 है और अमरीका में 50 प्रतिशत। देशभर में व्यावसायिक शिक्षा देने वाली निजी संस्थाओं की अचानक बाढ़ सी आई हुई है। इनमें से अधिकांश में न तो योग्य अध्यापक हैं, और न ही अनुसंधान की सुविधाएं। भारत में उच्च शिक्षा को संशोधित और पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय प्रबंधन का भी पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है। निर्णय लेने वाले प्राधिकार का विकेंद्रीकरण कर संकाय/विभाग को अधिक अधिकार दिए जाने के साथ-साथ योग्यता को प्रोत्साहन देना होगा। विश्वविद्यालय, अपना काम भली-भांति तभी कर सकते हैं जब उन्हें नये-नये विचारों के साथ प्रयोग करने की स्वतंत्रता हो और पाठ्यक्रम निर्धारण की नयी-नयी प्रविधियां अपनाने की छूट हो।

इस पृष्ठभूमि में, मध्यावधि मूल्यांकन ने कृषि स्वास्थ्य और संरचना विकास के अलावा शिक्षा पर जोर दिया है। इसमें शिक्षा सहित सामाजिक क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ाने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का दीर्घकालीन लक्ष्य शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत व्यय करना है।

जब लोग शिक्षित होते हैं, तो हमें न केवल शिक्षक, पेशेवर लोग और उच्चाधिकारी प्राप्त होते हैं, बल्कि हमें जागरूक, संवेदनशील और उत्तरदायी नागरिक भी मिलते हैं। इससे लोग व्यक्तिगत लाभों से ऊपर उठकर सोचते हैं और सामाजिक लाभ को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखते हैं।

योजना के इस अंक में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विद्वान लेखकों के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें बीच में ही स्कूली पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या से निपटने के लिए बंगलौर स्थित 'अक्षरा' के सफल प्रयोग के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मलिन बस्ती में व्यावसायिक शिक्षा के लिए नयी पहल पर भी सामग्री सम्मिलित है। ❑

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

कुरुक्षेत्र

अक्तूबर, 2005 (वार्षिकांक)
ग्रामीण आवास और बुनियादी ढांचा

औद्योगिक विकास और आर्थिक उदारीकरण के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। 70 प्रतिशत से अधिक जनता आज भी गांवों में रहती है। रोटी,कपड़ा और मकान मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। रोटी और कपड़ा मुहैया कराने के साथ–साथ भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधाएं भी प्रदान कर रही है। 1998 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा की थी। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों ने समय–समय पर ग्रामीण आवास संबंधी कई योजनाओं की घोषणाएं कीं जैसे कि इन्दिरा आवास योजना। राष्ट्र के समग्र विकास के लिए गांवों का विकास बहुत जरूरी है। बुनियादी ढांचे का विकास जैसे सड़कें, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता, विद्युतीकरण आदि ग्रामीण विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। भारत सरकार गांवों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास कर रही है।

इसी संदर्भ में 'कुरुक्षेत्र' का अक्तूबर 2005 का विशेषांक ग्रामीण आवास और बुनियादी ढांचा विषय पर आधारित है। अंक में ग्रामीण आवास पर विशेष फोकस होगा।

इसके अतिरिक्त केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण आवास संबंधित विषयों गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि पर भी इस अंक में चर्चा की जाएगी। जाने–माने लेखक, विद्वान, शिक्षाविद, योजनाकार योजनाओं पर विस्तार से तथ्यपरक विश्लेषण तथा विशेष लेख प्रस्तुत करेंगे।

72 पृष्ठों के रंगीन चित्रों से सुसज्जित इस अंक का मूल्य केवल 15 रुपये है। कृपया स्थानीय एजेंट से अपनी प्रति सुरक्षित करायें या निम्न पते पर अपने आर्डर भेजें।

व्यापार प्रबन्धक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्ण पुरम,
नई दिल्ली–66
दूरभाष : 26100207, 26105590, 26175516

जानकारी के लिए सम्पर्क करें
व्यापार प्रबन्धक
सूचना भवन, प्रथम तल, सीजीओ काम्पलेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
दूरभाष : 24365610, 24365609, 24367260

पत्रिका स्थानीय समाचारपत्र विक्रेताओं से भी प्राप्त की जा सकती है

सम्मान के लिए शिक्षा

○ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

शिक्षा वास्तविक अर्थों में सत्य की खोज है। यह ज्ञान और प्रकाश की अंतहीन यात्रा है। ऐसी यात्रा मानवतावाद के विकास के लिए नये रास्ते खोलती है

किसी भी राष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए सबसे जरूरी तत्व शिक्षा है। भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। परंतु अभी हमारे देश में ऐसे 30 करोड़ 50 लाख लोग हैं जिन्हें साक्षर बनाने की जरूरत है और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें उभरते हुए आधुनिक भारत और विश्व के अनुकूल रोजगार योग्य कौशल प्राप्त करना है। इसके अलावा हमें समाज के कमजोर वर्गों के उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जो अल्प पोषित हैं, और उनमें से कुछ प्रतिशत ही 8 वर्ष तक की अपनी शिक्षा पूरी कर पाते हैं जबकि अब शिक्षा प्रत्येक भारतीय बच्चे का मौलिक अधिकार है। क्या हम चाहेंगे कि ये लाखों बच्चे जीवनभर गरीबी में जीते रहें? जरूरत इस बात की है कि अभिभावकों को अपने बच्चों को नजदीकी स्कूल में ले जाकर दाखिला करवाना चाहिए और प्रसन्नता और इस विश्वास के साथ वापस घर लौटना चाहिए कि उनका बच्चा उस स्कूल में अच्छी और नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करेगा। मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इन गंभीर मुद्दों के महत्व को देखते हुए और अपनी पुरानी मानसिकता को समाप्त करने के लिए, सभ्यता के अस्तित्व और विकास हेतु एक प्रभावी और स्वनिर्मित शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। इसलिए मैं शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करना और क्रियान्वयन के लिए कुछ समाधान बताना चाहता हूं।

मैं आपको अपनी एक प्रमुख चिंता के बारे में बताता हूं। अनेक कारणों से शैक्षिक संसाधनों तक असमान पहुंच अभी तक बनी हुई है। उदाहरण के लिए मैंने गांवों में तीन प्रकार के परिवार देखे हैं। पहले, वे भाग्यशाली परिवार, जो किसी भी कीमत पर परिवार के बच्चों को शिक्षित करने और अपनी आर्थिक संपन्नता के कारण सभी स्तरों पर उनका मार्गदर्शन करने का महत्व जानते हैं। फिर वे परिवार हैं, जो शिक्षा का महत्व तो जानते हैं, पर अपने बच्चों के लिए अवसर और उन्हें साकार करने की प्रक्रिया और तरीकों के बारे में नहीं जानते। तीसरे प्रकार के परिवार वे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं, पीढ़ियों से उनके बच्चे उपेक्षा और गरीबी में जीते आ रहे हैं।

यह आवश्यक है कि हम समाज के सभी वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और शहर में रहने वाले गरीबों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाएं। हमें इस महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए। गैरसरकारी संगठनों, अन्य सामाजिक और लोकोपकारी संस्थाओं और मीडिया के लिए इस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करना संभव है। अल्प सुविधा प्राप्त लोगों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए हमें आवश्यक संसाधनों को गतिशील बनाना चाहिए। आइए, आगे इस पर विस्तार से चर्चा करें।

संसाधन जुटाना

पिछले 50 वर्षों से, प्रत्येक सरकार सर्वव्यापी शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने के प्रति कटिबद्ध रही है और शिक्षा के लिए लगातार बजटीय आवंटन में वृद्धि की गई है, जबकि हमारी 35 प्रतिशत प्रौढ़ जनसंख्या को अभी शिक्षित किया जाना है। हमारे सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर वास्तविक सार्वजनिक व्यय का हमारी साक्षरता पर सीधा असर होता है। इस समय देश में शिक्षा पर किया जा रहा व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से कुछ अधिक है। यदि हमें शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करनी है तो शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6 से 7 प्रतिशत व्यय जरूर करना होगा। 2 से 3 प्रतिशत तक की इस वृद्धि को कुछ वर्षों तक बनाए रखना होगा। इसके बाद शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के कम अनुपात में आवंटन भी भविष्य में साक्षरता का ऊंचा स्तर कायम रखने के लिए पर्याप्त होगा।

यह स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा मिशन के लिए सकल घरेलू उत्पाद का

अतिरिक्त 2 या 3 प्रतिशत सार्वजनिक व्यय जुटाने की चुनौती पूरी न कर पाएंगी। इसलिए, हमें इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए अतिरिक्त संसाधन पैदा करने होंगे। केंद्र में या राज्यों में शिक्षा पर होने वाले खर्च अब केवल संबंधित मानव संसाधन विकास मंत्रालयों या विभागों द्वारा ही उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। वास्तव में, सरकार के प्रत्येक विभाग को मानव संसाधन विकास संगठन के साझीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और संपूर्ण राष्ट्र को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के मिशन को क्रियान्वित करने के लिए बजट और बुनियादी ढांचे से जुड़े संसाधनों में योगदान देना चाहिए।

मैं समस्त कारपोरेट क्षेत्र से अपील करता हूं कि सरकारी संसाधनों को बढ़ाने के लिए वे शिक्षा के महत्व पर जोर देने वाले उन कुछ कारपोरेट प्रमुखों द्वारा स्थापित उदाहरण का अनुकरण करें, जिन्होंने राष्ट्र के लाभ के लिए शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया है। शिक्षा के समग्र राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कारपोरेट क्षेत्र द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों को गोद लिया जा सकता है। इस प्रणाली से व्यक्ति को कुछ नया करने और देने की स्वतंत्रता दी जा सकती है।

शिक्षा का मानकीकरण

शिक्षण की गुणवत्ता और मानक में भिन्नता के कारण पसंदीदा स्कूल की अवधारणा प्रबल हो रही है। स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित शिक्षा के लिए स्कूल में प्रवेश के समय से ही बच्चों को प्रतिस्पर्धी बनाया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्कूल चलाने में गैरसरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संपन्न अभिभावक यदि सक्षम हों तो प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा दिलवाने के लिए कुछ ग्रामीण बच्चों को गोद ले सकते हैं।

गांवों में बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा की योजना

मैं सैफई की यात्रा के दौरान इटावा के दसवीं कक्षा के कुलदीप यादव द्वारा पूछा गया एक प्रश्न बताना चाहूंगा जो इस प्रकार था :

श्रीमान राष्ट्रपति जी,
गांवों में भी अपार प्रतिभाएं हैं, परंतु सुविधाएं केवल शहरों व महानगरों में उपलब्ध हैं क्या आपने इन ग्रामीण बच्चों के लिए कोई योजना बनाई है ताकि उन्हें गांवों में ही अच्छी शिक्षा मिल सके?

अपने ग्रामीण साथियों के लिए एक बच्चे की चिंता देखकर मुझे खुशी हुई थी। हमें इस बहुआयामी समस्या पर विचार करने की आवश्यकता है। इससे पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बने स्कूलों में ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इन स्कूलों में पढ़ाया जा रहा पाठ्यक्रम शहरी स्कूलों जैसा नहीं है, और योग्य अध्यापक भी उपलब्ध नहीं हैं। बच्चों द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें इन तीनों समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा।

रोजगार के अवसर राष्ट्रव्यापी होने के कारण, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बदलते हुए समाज की जरूरतों पर खरा उतरे, व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करे और बच्चों को उच्च नैतिक मूल्य प्रदान करे। अच्छी शिक्षा योग्य अध्यापक ही दे सकते हैं। अध्यापक में प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उसे शिक्षण और बच्चे के प्रति विशेष लगाव होना चाहिए। अध्यापक को प्रभावी शिक्षण देने के लिए अपेक्षित ज्ञान भी होना चाहिए। अध्यापक को स्वाभिमानी होना चाहिए और उसमें बच्चों का आदर्श बनने के गुण होने चाहिए। निष्पादन के आधार पर उन्हें कुछ प्रतिस्पर्धा पुरस्कार दिए जाने चाहिए। निरंतर अद्यतन दूर-शिक्षा प्रणाली के माध्यम से वृहत्तर शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम द्वारा देश भर में ऐसी योग्यता लानी होगी। सरकार, शैक्षिक संस्थाएं मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले कारपोरेट क्षेत्र के साथ मिलकर इस कार्य को वित्तपोषित और कार्यान्वित कर सकती हैं।

यह बहुत जरूरी है कि हरेक स्कूल का विशाल भवन हो, उसमें हवादार, रोशनी से युक्त खुले कमरों के साथ-साथ पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, पीने का स्वच्छ पानी, साफ शौचालय, खेल के मैदान और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के यंत्र और संरचना जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। इस प्रकार की शैक्षिक संरचना को विस्तार देने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 2 से 3 प्रतिशत अलग रखना होगा।

माता-पिता की भूमिका

बच्चों की शिक्षा और उन्हें प्रबुद्ध नागरिक बनाने में माता-पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें अपने बच्चों, वह लड़का हो या लड़की, की आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी जरूर होनी चाहिए। अध्यापकों की तरह माता-पिता को भी अपने समस्त आचार-व्यवहार से बच्चों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इससे माता-पिता के प्रति बच्चे के मन में आदर और प्रेम बढ़ेगा और वह उन्हें अपने आदर्श के रूप में देखेगा।

स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना

यह बताया गया है कि 39 प्रतिशत स्कूली बच्चे 5वीं तक और 55 प्रतिशत बच्चे 8वीं तक पढ़ाई करके स्कूल छोड़ देते हैं। इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता है, विशेषकर जबकि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 5 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार विधेयक को सहमति प्रदान कर दी गई है। परंतु एक अकेला विधेयक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता बशर्ते शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि वह लोगों की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता और जिन्हें दी जा रही हो, उन की समझ पर भी पूरा ध्यान दे। बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने के अतिरिक्त शिक्षा प्रणाली बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के काबिल भी होनी चाहिए और बच्चों को सृजन-समर्थ बनाने वाली भी होनी चाहिए। साथ ही, शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य, चरित्र निर्माण, मानवीय मूल्य, प्रौद्योगिकी के माध्यम से ज्ञान बढ़ाना और बच्चों में विश्वास पैदा करना होना चाहिए ताकि वे भविष्य का सामना कर पाएं।

कर्नाटक में मैंने एक अन्य मॉडल

कार्यान्वित होते हुए देखा, जिसमें कंप्यूटर की सहायता से तेजी से सिखाया जाता है ताकि बच्चे सृजनात्मक सजीवता के सहयोगी उपकरणों द्वारा रचनात्मक शिक्षा प्राप्त कर सकें। बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वालों को ढूंढ कर वापस स्कूल में लाया जाता है। शिक्षा की यह संपूर्ण स्थिति जब एक खुशहाल शिक्षा प्रक्रिया और निर्भय मूल्यांकन वाली प्राथमिक अवस्था में पूरी तरह मजबूत हो जाती है, तब प्रतिभागी स्वेच्छा से सीखने लग जाते हैं।

प्रवेश परीक्षा प्रणाली

हाल ही में मुझे बहुत से बच्चों व माता-पिता के ई-मेल मिले जिनमें उन्होंने उन प्रवेश परीक्षाओं की समस्या के बारे में लिखा है, जो स्कूल में नर्सरी की प्रवेश परीक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक और फिर कालेजों, विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बच्चों को देनी पड़ती है। मैं इसे बच्चों पर एक भारी बोझ मानता हूं। साथ ही, इससे बच्चों को प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाने वाली ट्यूशनों और कोचिंग संस्थानों को पनपने का मौका मिलता है। विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश के लिए हमें सरकार द्वारा नामित किसी एक संस्थान द्वारा एक समान अखिल भारतीय परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। परीक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि कोचिंग पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को उससे अतिरिक्त लाभ न मिले। प्रवेश परीक्षा छात्र की रुचि का मूल्यांकन करने वाली होनी चाहिए न कि वरीयता सूची तैयार करने वाली।

परीक्षा सुधार

मुझे लगता है कि अभी परीक्षाओं में पारदर्शिता, परीक्षा की विश्वसनीय प्रणाली, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग की जरूरत है। यह भी देखा गया है कि परीक्षाएं मुख्यत: छात्रों की स्मरण शक्ति की परीक्षा होती है। मुझे याद है कि 50 के दशक में एमआईटी मद्रास में अध्ययन के दौरान परीक्षाओं में पुस्तकों के इस्तेमाल की सुविधा थी। यह छात्रों के लिए एक कठिन परीक्षा होती थी। मैं सुझाव दूंगा कि परीक्षा प्राधिकारी परीक्षा में किताब का प्रयोग करने की सुविधा देने पर विचार कर सकते हैं। यह अध्यापकों में प्रश्न पत्र तैयार करने की सृजनात्मकता और बच्चों की सृजन क्षमता का सही मूल्यांकन करने की क्षमता बढ़ाएगी। एक सुरक्षित शिक्षा प्रणाली की भी आवश्यकता है।

मूल्यांकन व्यवस्था का नवीकरण

परीक्षा आयोजकों के पास विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणाली और यथासमय परिणामों की घोषणा करने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तर पुस्तिकाओं की प्रारंभिक जांच के बाद एक केंद्रीकृत विशेष दल उत्तर पुस्तिकाओं के प्रत्येक समूह में से नमूने के तौर पर कोई भी उत्तर पुस्तिका निकाल कर उसका निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकता है। यदि प्रारंभिक मूल्यांकन और केंद्रीकृत विशेष दल के मूल्यांकन में कोई असमानता नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि उस समूह की उत्तर पुस्तिकाओं में अंक ठीक दिए गए हैं। उत्तर पुस्तिका में यदि कोई असमानता मिलती है तो सत्यापन के लिए एक और नमूना लेकर उसकी जांच की जा सकती है। मूल्यांकन प्रक्रिया में परीक्षकों को प्रमाणित करने के लिए परीक्षा आयोजकों द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। संक्षेप में, परीक्षा आयोजक एक उत्तम प्रक्रिया विकसित करें और फिर उस मूल्यांकन प्रणाली के लिए आईएसओ प्रमाणपत्र ले लें।

सुरक्षा उपाय अपनाने की आवश्यकता

हाल ही में कुंभकोणम में स्कूली बच्चों के साथ हुई दुर्घटना ने देश की सभी शिक्षा संस्थाओं को हिला कर रख दिया होगा। यह दायित्व प्रायोजक संगठनों का है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके स्कूलों में शैक्षिक क्षेत्र और उपलब्ध भौतिक सुविधाओं के प्रमुख न्यूनतम मानकों का पालन किया जाता है। सभी स्कूलों के भवनों में आवश्यक सुरक्षा उपाय उपलब्ध होने चाहिए। इनके न होने पर, स्कूलों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, और किन्हीं भी परिस्थितियों में इन मानकों में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। हर स्तर पर ईमानदारी से इसका कार्यान्वयन बहुत जरूरी है।

प्रौद्योगिकीवर्धक शिक्षा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ क्षेत्रों में अप्रचलित हो रहे ज्ञान के साथ-साथ समय और स्थान की कठिनाइयों के कारण दूरस्थ प्रणाली से विभिन्न संस्थाओं के भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रमों के लिए भारी मांग आई है। एक व्यावहारिक डिजीटल पुस्तकालय प्रणाली की आवश्यकता है जो अकेले ही लंबे समय तक ज्ञानपूर्ण समाज के लिए आवश्यक सुगम्यता उपलब्ध करवा पाए। प्रौद्योगिकीवर्धक शिक्षा एक उपाय है। इसके द्वारा सूचना और संचार प्रणाली (आईसीटी) के तीव्र विकास का लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। संचार के क्षेत्र में हो रहे विस्तार (बैंडविथ) और कंप्यूटरों की कीमतें कम होने से प्रौद्योगिकीवर्धक शिक्षा आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो जाएगी। भविष्य की संभावित कक्षाओं में, अलग-अलग स्थानों के छात्रों को दूर-शिक्षा प्रणाली के द्वारा भौगोलिक दृष्टि से बंटे हुए अनुदेशकों का एक दल पढ़ाएगा।

निष्कर्ष

शिक्षा वास्तविक अर्थों में सत्य की खोज है। यह ज्ञान और प्रकाश की अंतहीन यात्रा है। ऐसी यात्रा मानवतावाद के विकास के लिए ऐसे नये रास्ते खोलती है जहां ईर्ष्या, घृणा, शत्रुता, संकीर्णता और वैमनस्य का कोई स्थान न हो। यह मनुष्य को संपूर्ण, श्रेष्ठ, नेक इंसान और विश्व के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बनाती है। सही मायनों में विश्व बंधुत्व ऐसी शिक्षा के लिए ढाल बन जाता है। यथार्थपरक शिक्षा मनुष्य की गरिमा और आत्मसम्मान बढ़ाती है। यदि शिक्षा की यथार्थता को प्रत्येक व्यक्ति समझ ले और मानवीय गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में उसे अपना ले तो रहने के लिए विश्व और भी बेहतर स्थान बन जाएगा।

केंद्र अथवा राज्य या दोनों का शिक्षा मिशन, उन प्रबुद्ध नागरिकों के निर्माण की बुनियाद है जो एक समृद्ध, खुशहाल और मजबूत राष्ट्र की रचना करेंगे। ❑

(58वें स्वतंत्रता दिवस, 2004 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम के राष्ट्र के नाम संदेश पर आधारित)

नामांकन जारी

लोक प्रशासन

(हिन्दी माध्यम)

By

Atul Lohiya

(A person who believes in hard work and scientific approach)

UGC-NET

QUALIFIED IN TWO SUBJECTS

HISTORY & PUB. ADMINISTRATION

Course Offered:

* Mains
* Mains + Prelims (Foundation Course)
* Test Series for Mains
* Answer Formating Session for Mains
* Test Series with Answer Formating Session
* Crash Course for Mains-2005

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध

(पूर्णतः संशोधित एवं परिमार्जित कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)

MAINS - 2500/-

MAINS + PRE. - 3500/-

डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त

Send DD/MO in favour of Atul Lohiya

***UPSC** के साथ **UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS** की भी तैयारी*

नया सत्र : दिल्ली - 31 अगस्त एवं 21 सितम्बर, 2005

अन्य विषय	सा० हिन्दी, लेखन कला एवं निबन्ध	समाजशास्त्र	सामान्य अध्ययन	दर्शन शास्त्र
	नीलेश जैन	अनिल सिंह	अतुल लोहिया, शैलेन्द्र सिंह, अतुल मिश्र एवं अन्य	अतुल मिश्र
	नया सत्र : दिल्ली - 21 सितम्बर, 2005		नया सत्र : इलाहाबाद - सितम्बर प्रथम सप्ताह, 2005	

'अतुल लोहिया'

शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी

Cell.: 9810651005, 09335117608

Sanjay Singh
Regional Director (Allahabad)
Cell. : 9839746184

Shashi Bhushan
Director
Cell. : 9871359750

"PRABHA"

AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

105, VIRAT BHAWAN (MTNL BLDG.), NEAR BATRA CINEMA, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9

Phone : 27655134, 39544250. Cell.: 9810651005 • e-mail : atullohiya@rediffmail.com

Branch : 305/250, COLONELGANJ, NEAR COLONELGANJ POLICE STATION, ALLAHABAD.

YH/9/5/02

परिवर्तन की राजनीति

❍ कृष्ण कुमार

परिवर्तन की राजनीति में अनुसंधान की व्यापक भूमिका हो सकती है, लेकिन अनुसंधान का अभाव और उसका घटिया स्तर, उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन की सफलता में गंभीर नतीजे दे सकता है। एक सामाजिक गतिविधि के रूप में, विचार–विमर्श और अंतर्दर्शन के लिए अनुसंधान का महत्वपूर्ण स्थान है

शिक्षा के संदर्भ में जब भी 'परिवर्तन' शब्द का जिक्र होता है, आमतौर पर उसे सकारात्मक रूप में ही लिया जाता है, जबकि राजनीति शब्द को अनिवार्य रूप से नकारात्मक संदर्भ में ही देखा जाता है। इन दोनों शब्दों के प्रयोग में हमें इतना एकतरफा नजरिया नहीं अपनाना चाहिए। यदि हम 'परिवर्तन' शब्द के भाव को उसके तटस्थ रूप में स्वीकार कर लें तो उन प्रकरणों के अध्ययन में आसानी होगी, जहां परिवर्तन के फलस्वरूप चीजें विकृत हो गई हों, या फिर बुनियादी मानकों के संदर्भ में उनमें सुधार परिलक्षित हो रहा हो। परिवर्तन पर चर्चा करते समय हम स्पष्ट रूप से दिखने वाले निश्चित विचारों के बदलाव को शामिल नहीं करेंगे, और ऐसा करना सरल भी नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन का ज्यादातर संबंध नजरिये से जुड़ा होता है। अत: हमें तटस्थ भाव से इसका अध्ययन करना होगा। प्रस्तुत संक्षिप्त लेख में मेरा प्रयास होगा कि मैं इतिहास को रचना के साधन के रूप में उपयोग करूं, ताकि कुछ हद तक वैचारिक दूरी बनाए रखी जा सके।

आगे बढ़ने से पूर्व हमें एक शब्द के रूप में राजनीति का अभिप्राय समझ लेना चाहिए। शैक्षिक परिवर्तन के लिए इसे हम प्रासंगिक क्यों मानते हैं, इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है, क्योंकि आमतौर पर राजनीति को जोड़ तोड़ की कार्रवाई के रूप में ही देखा जाता है। राजनीति का यह केवल एक अर्थ है, अन्य दो प्रचलित अर्थ हैं - सत्ता का खेल और लक्ष्य प्रेरित प्रयास अथवा नीतिशास्त्र की एक शाखा।

भारत में *पंचतंत्र* के सृजन के समय से और ग्रीस (यूनान) में *रिपब्लिक* पर बहस के दिनों से ही राजनीति इसी तीसरे अर्थ में, शिक्षा के साथ संबद्ध है। दूसरे को आधुनिकता के संदर्भ में वैधता प्राप्त हुई है, जिसने विद्यालय को एक सार्वभौम संस्था के रूप में मान्यता दी है। राज्य संस्था के आधुनिक रूप में उदय होने के साथ ही शिक्षा एक प्रणाली के रूप में विकसित हो चुकी है और विचारधारा की रंगभूमि के रूप में प्रयुक्त होने के कारण इस पर आघात भी होने लगे हैं। प्रचलित धारणा कि शिक्षा का संबंध विचारधारा से है, उस काल पर लागू नहीं होती जब शिक्षा की संगठित प्रणाली विकसित नहीं हुई थी। उस समय तो केवल पठन-पाठन की एक परंपरा भर थी। अपने निहित वर्गीय हित साधन हेतु सूचना या यथार्थ की वार्ता शैली के प्रसार के लिए विचारधारा के रूप में शिक्षा का उपयोग तो एक आधुनिक अवधारणा है। निश्चित ही अधिकांश शिक्षा प्रणालियां, न केवल ज्ञान अथवा विचारों के संप्रेषण के संदर्भ में, बल्कि अपनी संरचनात्मक प्रणाली के कारण भी विचारधारा के प्रसार का औजार बनने की संभावना से भरपूर हैं। कहते हैं कि कथनी और करनी के बीच में यदि गंभीर अंतर बढ़ जाए तो शिक्षण संरचनाओं में स्वयं ही विचारधारा से प्रभावित गुण आ जाते हैं।

शिक्षा के चरित्र को सकारात्मक या अन्य रूप में ढालने अथवा उसे मिलाजुला स्वरूप देने के संदर्भ में परिवर्तन के तर्क को समझने में इतिहास एक उपयोगी मार्गदर्शक का काम कर सकता है। जैसा कि नीता कुमार (2000) ने आग्रहपूर्वक कहा है, देसी प्रणालियों में आए परिवर्तन को इस प्रकार का एक ऐतिहासिक उदाहरण कहा जा सकता है। 1840 से 1880 की अवधि को इस संक्रमण का काल माना जा सकता है। एक प्रणाली के रूप में देसी शिक्षा पद्धति के अंत का समय 1880 के दशक की समाप्ति के साथ ही होना माना गया है। बंगाल की पाठशालाओं और उनके शिक्षकों, जिन्होंने विपरीत सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों में भी उसे जीवित रखा, से संबंधित आचार्य के अध्ययन (1996) को 1820 के दशक की एडम की रिपोर्ट के साथ मिला कर यदि देखा जाए तो पता चलेगा कि देसी पद्धति कुछ

समय तक तो लड़खड़ती हुई चलती रही, परंतु उन्नीसवीं सदी के अंत तक उसने अंततः अपना दम तोड़ दिया। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था और ग्रामीण समाज के सांस्कृतिक मानकों और शैक्षिक प्रक्रियाओं के परस्पर संपर्कों में व्यापक और जटिल हलचल पैदा करने में समर्थ था। कई मायनों में यह हलचल आज भी जारी है, खासकर जब हम यह देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा, शासकीय प्रावधान के रूप में ही सही, अंततः गांव-गांव और झोपड़ी-झोपड़ी तक विस्तार पा रही है। शिक्षा का यह विस्तार बिना किसी भेदभाव के छोटे-बड़े, गरीब-अमीर सभी तबके के बच्चों तक पहुंच रहा है। यह कहना शायद उचित नहीं होगा कि देसी शिक्षा पद्धति का अवसान हो चुका है, क्योंकि तमाम तथ्य इस बात के प्रमाण हैं कि शिक्षकों की योग्यता और क्षमता का आकलन अभी भी पूर्व औपनिवेशिक काल के मानकों के आधार पर ही होता चला आ रहा है। सरकार आज भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा को एक सामुदायिक गतिविधि ही मानती है न कि प्रशिक्षित, अच्छा वेतन वाले शिक्षक का पेशेवर कार्य।

इतिहास में जो दूसरा उदाहरण मिलता है, वह है 1920 में, औपनिवेशिक भारत के उत्तरार्द्ध में, शिक्षा के प्रशासन में हुआ परिवर्तन। मंटफोर्ड सुधारों के फलस्वरूप नियंत्रण की दोहरी प्रणाली सामने आई। लगभग उसी समय, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने सिफारिश की कि शिक्षा में निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया जाए। इसके शब्द उल्लेखनीय रूप से आज भी ताजा लगते हैं : "भारत सरकार शिक्षा नीति के सामान्य उद्देश्यों को परिभाषित कर, स्थानीय सरकारों को परामर्श और सहायता देकर और विभिन्न प्रांतों में शिक्षा के विचार को विकसित कर अमूल्य कार्य कर सकती है।" इसी सिफारिश के आधार पर 1920 में विकेंद्रीकृत प्रणाली के आविर्भाव को सरल बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) का गठन किया गया। जन्म के तुरंत बाद ही, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को वित्तीय कारण बताते हुए रोक दिया गया। इसका 1994-2004 के बीच का हालिया निलंबन दर्शाता है कि शिक्षा प्रणाली के विकेंद्रीकरण में अभी भी संरचनात्मक हिचकिचाहट बनी हुई है। शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में लाने के लिए संशोधन करने में स्वतंत्रता के बाद 28 वर्ष लग गए। यह तथ्य साबित करता है कि संस्थागत रूप देने के अस्सी वर्ष बाद भी मांटफोर्ड सुधार अभी भी पूरी तरह से खुले नहीं हैं। यह बात एक दशक तक केब की हाल की अनुपस्थिति में भी निहित रही। इस तथ्य के और भी प्रमाण शैक्षिक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों से संबद्ध क्षमता निर्माण में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के अनुभव से भी मिल सकते हैं। वर्ष 2000 में परिषद के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप को केब की मंजूरी के बिना ही लागू कर दिया गया जो एक जटिल स्थिति की ओर इशारा करता है न कि किसी प्रक्रियात्मक भूल की ओर। राज्यों में अपनी स्वयं की क्षमता के उन्नयन में परिषद को एक संसाधन के रूप में देखने की बजाय उस पर निर्भरता की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने में मिली असफलता से इसी विचार को बल मिलता है।

इन दो ऐतिहासिक उदाहरणों से हासिल सबकों को, संक्षेप में चर्चा के लिए दो बिंदुओं में रखा जा सकता है। प्रथम, परिवर्तन में पुरानी स्थिति और उसके कारक चरित्रों तथा उनका स्थान लेने की इच्छुक स्थिति के बीच संघर्ष अनिवार्य होता है। यह संघर्ष सत्ता और पद के संबंधों के रूप में ही प्रकट होता है, अतएव यह एक राजनीतिक प्रक्रिया है। दूसरे, ऐसा कोई आधारभूत मानक या समयावधि नहीं है, जिससे परिवर्तन की प्रक्रिया की पूर्णता अथवा 'सफलता' का निर्धारण किया जा सके। परिवर्तन की प्रक्रिया को जब उसकी पूर्णता के पैमाने पर देखा जाता है तो वह पूर्णतः अलग लग सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आकलन का निर्णय लेने का क्षण कौन सा था। उदाहरण के लिए, यदि 1980 के दशक में सहमति की प्रक्रिया का आकलन किया गया होता तो वह आज के अनुभवों से बिलकुल अलग भी हो सकता था। इसी प्रकार, यह निर्णय कि शिक्षा की देसी पद्धति और उससे संबद्ध प्रशिक्षण प्रविधि पूरी तरह बदल दी गई है, इस बात पर निर्भर करती है कि हम कक्षाओं के वास्तविक संसार पर नजर डालने के कितने इच्छुक हैं, जैसा कि सारत्रपाणि (2002) ने किया है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि पाठ्यक्रम संबंधी हमारे प्रेक्षण के पैमाने में हम क्या-क्या शामिल करते हैं, जैसे कि क्या हम संगीत तथा नृत्य जैसे कला के रूपों को भी इस पैमाने में शामिल करेंगे? शिक्षा की देसी परंपराएं इसी तरह के रूपों में न केवल जीवित हैं बल्कि कहा जा सकता है कि इन कला रूपों को बढ़िया रूप और मजबूती भी प्रदान की है।

तीसरा संदेश कुछ ज्यादा जटिल है, और हमने जो काम हाथ में लिया है, उसके लिए हमें अपने मन-मस्तिष्क पर अधिक जोर देना होगा। देसी परंपरा से आगे चलकर औपनिवेशिक हालात में उत्पन्न आधुनिक प्रणाली में परिवर्तन की पहली स्थिति में, परिवर्तन के प्रमुख कारक शिक्षक थे, जिनकी आवाज शैक्षिक सिद्धांतों एवं शोध संबंधी संगोष्ठियों में अनुपस्थिति ही रही है। अनुशासन के रूप में शिक्षा की प्रकृति को विश्लेषण करते हुए कार (1995) ने इस बिंदु को जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है। उसका विचार कि शिक्षा के उस सिद्धांत का जिसका जन्म उसके क्रियान्वयन के क्रम में न हुआ हो, केवल उसके साथ होने मात्र से, शिक्षा जैसे विषय से कोई जुड़ाव नहीं होता, क्योंकि शिक्षा की प्रकृति तो अनिवार्यतः प्रायोगिक ही होती है। श्वाब (1969) की भांति कार का विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि भारत जैसे मामलों में जहां देसी से आयातित प्रणाली में संक्रमण हुआ हो, परिवर्तन की राजनीति की थाह पाना आसान नहीं होता। हम भारतीयों में, जो शिक्षा को एक नीतिगत या सैद्धांतिक आधार पर तौलते हैं, और उनमें, जो अध्यापन को जीविका के एक साधन के रूप में लेते हैं जो विशाल सामाजिक और आर्थिक अंतर होता है, वह

परिवर्तन की राजनीति के आकलन की हमारी क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। आज के संदर्भ में दो उदाहरण प्रस्तुत हैं।

पहला उदाहरण शिक्षा प्रणाली के विस्तार के लिए नियमित वेतनभोगी शिक्षकों के स्थान पर अर्धशिक्षकों अथवा शिक्षाकर्मियों की तैनाती का है। जिस काल में यह परिवर्तन हुआ, वह है 1990 के दशक का काल। यही वह समय था जब प्राथमिक शिक्षा को लोकव्यापी बनाने के अंतरराष्ट्रीय अभियान को भारतीय संदर्भ में देखते हुए शिक्षा की आधारभूत संरचना के विकास और विस्तार के लिए वैश्विक दानदाता एजेंसियां आगे आने लगीं। ऐसा इसलिए भी किया जाने लगा ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की आर्थिक प्रणाली के साथ सामंजस्य बिठाया जा सके। इसका विस्तृत विवरण न केवल जटिल है बल्कि भ्रमित करने वाला भी है। परिणाम अवश्य दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे नीति-निर्धारकों ने नियमित वेतनभोगी शिक्षक के स्थान पर अर्धशिक्षकों को रखे जाने की नीति उन परिस्थितियों के कारण अपनाई, जिनमें वित्तीय अभाव की वजह से शिक्षा में परिवर्तन के अवसर नहीं दिखाई दे रहे थे। अपने हाल के आलेख में तिलक (2004) ने इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि "यह धारणा अब बलवती होने लगी है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए सुयोग्य और प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता नहीं है और न ही इसके लिए ठोस संरचना की जरूरत है।" नियमित और निर्धारित न्यूनतम वेतन से कहीं कम पारिश्रमिक पर एक अस्थायी और स्थानीय शिक्षक की नियुक्ति की धारणा को लागू करने वाला परिवर्तन, नीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ माना जाएगा। चट्टोपाध्याय आयोग (भारत सरकार, 1984) ने अर्धशिक्षकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति के लगभग एक दशक पूर्व ही सिफारिश की थी विद्यालय शिक्षा को पेशेवर बनाया जाए। इस सिफारिश के मद्देनजर, अल्प प्रशिक्षित और अल्प वेतनभोगी अर्धशिक्षकों को रखे जाने की नीति निश्चित ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कही जाएगी। परिवर्तन के इस क्रम को निम्नलिखित चार चरणों में रखा जा सकता है :

(i) वित्तीय अभाव के कारण सरकारी खर्च कम करने की नीति का पारिस्थितिक लोभ;

(ii) पंचायतीराज कानून के बाद लोकतांत्रिक संस्थाओं के विस्तार के तहत संक्रमण के सहायक वातावरण का निर्माण;

(iii) कुछ अध्ययनों में जब यह पाया गया कि प्रारंभिक कक्षाओं में अर्धशिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए बच्चे भी नियमित शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए बच्चों की तरह ही अच्छा कर रहे हैं, तो इस तर्क को सही ठहराना और उसे स्वीकार करना;

(iv) नियमित शिक्षकों की भर्ती रोक दिए जाने से ग्रामीण युवाओं में हताशा का विस्तार और भविष्य में नियमित नियुक्ति की आशा में उनका किसी भी परिस्थिति में काम करना स्वीकार करना।

परिवर्तन के दूसरे उदाहरण के रूप में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए बुनियादी शिक्षा में स्नातक अर्थात (बीईएलईडी) कार्यक्रम का उल्लेख करना चाहूंगा। यह लगभग उसी समय हुआ जब कुछ राज्यों में भर्ती होने लगी। चार वर्ष की स्नातक शिक्षा का कार्यक्रम, अर्धशिक्षक

स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी लेकिन बालिकाएं अब भी शिक्षा से वंचित - यूनीसेफ

बाल विकास से संबंद्ध संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूनीसेफ ने कहा है कि अब पहले के मुकाबले ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन करोड़ों बालिकाएं अब भी बुनियादी शिक्षा से वंचित हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष की बच्चों के बारे में प्रगति शीर्षक रिपोर्ट में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को हकीकत में बदलने पर जोर दिया गया है और कहा गया है कि इसके लिये नयी सोच और नयी नीति की जरूरत होगी।

यूनीसेफ की कार्यकारी निदेशक कोरोल बेलामी ने कहा है कि इस रिपोर्ट से साबित हो जाता है कि हमारी ज्यादातर बालिकाओं को स्कूल पहुंचाने की रणनीति कारगर रही है और इसके कारण प्राथमिक स्कूलों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति बढ़ी है। लेकिन इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उन पूर्वाग्रहों को तोड़ने के लिए आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है जिनके कारण बालिकाएं स्कूल नहीं जा पातीं। साथ ही, विद्यालय सभी बच्चों को उपलब्ध होने चाहिए। बेलानी ने कहा कि जो बालिकाएं स्कूल नहीं जाती हैं उनके एचआईवाई संक्रमण का शिकार हो जाने और स्वस्थ परिवार का पालन-पोषण न कर पाने की संभावनाएं ज्यादा हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2015 तक, जो सहस्राब्दी विकास का वर्ष है, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की जरूरत है और इसके लिए 5.6 अरब डालर प्रतिवर्ष की अतिरिक्त राशि जुटाए जाने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा में लड़के-लड़कियों में भेदभाव की प्रवृत्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम हो रही है लेकिन दुनिया के कुछ क्षेत्र अब भी ऐसे हैं जहां यह विद्यमान है। दुनिया के 180 देशों में से, जहां की जानकारी उपलब्ध है, करीब 125 देशों में 2005 तब लिंग समानता का लक्ष्य प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है।

यह शिक्षा में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा कर लेने की पूर्व शर्त है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय औसत के पीछे उन छिटपुट इलाकों के आंकड़े छिपे हैं जहां स्पष्ट रूप से भारी असमानता विद्यमान है। तीन ऐसे क्षेत्र हैं - मध्य, पूर्व और उत्तर अफ्रीका, दक्षिण एशिया और पश्चिम तथा मध्य अफ्रीका जहां लिंग समानता का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। ❑

योजनाओं के तहत तीन सप्ताह के साधारण से प्रशिक्षण कार्यक्रम की तुलना में तो बिलकुल ही उलटा लगा। बीईएलईडी डिग्री में शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार उपलब्ध आधुनिकतम पद्धतियों के साथ-साथ बाल मनोविज्ञान, भाषा शास्त्र और सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के अलावा संस्थागत प्रक्रियाओं से उनको अवगत कराने का अवसर दिया जाना शामिल है। इसका उद्देश्य यह है कि व्यक्तित्व विकास गतिविधियां पाठ्यक्रम का हिस्सा बनें न कि पाठ्यक्रम से इतर चलें। प्रत्येक सहभागी महाविद्यालय के लिए कुल 30 स्थान ही रखे गए थे। प्रवेश के लिए प्रतियोगिता थी और कार्यक्रम की निगरानी केंद्रीय शिक्षा संस्थान (सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ एजूकेशन) की एक विशेष इकाई के हाथों में थी। प्रारंभिक और सामाजिक शिक्षा के एक केंद्र के रूप में मौलाना आजाद के नाम पर रखी गई यह इकाई 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में, एक केंद्र प्रायोजित योजना के अधीन, दिल्ली विश्वविद्यालय को एक नवोन्मेषी इकाई शुरू करने के लिए दी गई आकस्मिक सहायता के तहत स्थापित की गई थी। इस कहानी का इतिहास काफी लंबा है और बताने के लायक भी है, परंतु प्रस्तुत संदर्भ में केवल दो बिंदुओं पर ही ध्यान केंद्रित करना ही उचित रहेगा : एक, बीईएलईडी ने पारंपरिक बीएड की तुलना में अपनी अलग पहचान बनाई; दूसरा, शैक्षणिक प्रशिक्षण और विश्वविद्यालय में सहज रूप से उपलब्ध विशेषज्ञता की सीमाओं को तोड़कर इसका विकास हुआ।

बीईएलईडी में निहित परिवर्तन की राजनीति, उसके पुराने सीमित कार्यक्रम से संघर्ष के प्रतीक में दिखाई देती है। पुराने कार्यक्रम की लंबे समय से आलोचना हो रही थी और उसमें सुधार भी नहीं हो पा रहा था। बीईएलईडी ने बीएड/एमएड की शिक्षा के नजरिये और शिक्षा के लोकव्यापीकरण और उसकी गुणवत्ता में सुधार में असफलता को दर्शाने वाली उसकी प्रतिद्वंद्वी प्रणाली के बीच राजनीतिक लड़ाई के लिए भी मंच प्रदान किया। बीईएलईडी के प्रस्ताव और कार्यान्वयन में उस स्वाभाविक वातावरण का भी लाभ मिला जो अनेक गैरसरकारी संस्थाओं ने शिक्षकों की औपचारिक प्रशिक्षण कार्य प्रणाली की आलोचना करते हुए तैयार की थी। सरकार का समर्थन उसे था ही। यह खूब पनपा भी, परंतु प्रगति के इस क्रम में उसका वह ढांचा समाप्त होने की कगार पर आ गया है, जिसने उसे जन्म दिया था। बीईएलईडी के जनक, मौलाना आजाद प्राथमिक एवं सामाजिक शिक्षा केंद्र (एमएसीईएसई) को अपने घर में ही विपरीत और कठोर दबावों को झेलना पड़ रहा है, और लगता है कि वह समाप्तप्राय है।

आइए, बीईएलईडी की सफलता व सुदृढ़ता के कारकों के साथ उन कारकों का भी पता लगाएं जो इसकी कमजोरी बनी हुई है। पहले, इसकी आश्चर्यजनक सफलता के परिचायक कारक :

(i) यह लघु स्तर पर शुरू हुआ था, और विस्तार के बावजूद अभी भी वैसा ही है,

(ii) इसका जन्म एक संस्थागत ढांचे के भीतर हुआ, उसके बाहर नहीं,

(iii) इसको सकारात्मक दृष्टिकोण वाले उपकुलपति के साथ-साथ एक अनुकूल स्वाभाविक वातावरण भी मिला। इसके अलावा प्रारंभिक स्तर पर एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय के आश्रय में काम करने का अवसर भी मिला।

(iv) 1990 के दशक के उदारवादी वातावरण का भी लाभ इसे मिला। सुधार और नवोन्मेष, आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में आम हो गए थे, और इस चलते शिक्षा जैसे अन्य क्षेत्रों में भी नवीन विचारों को स्वीकार्यता मिली।

और अब बीईएलईडी को प्रारंभ से ही कमजोर करने वाले कारकों पर नजर डालें तो पाएंगे कि बीएड के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता ने उसे जो दिया था, उससे अधिक ले लिया है। दूसरे, छोटे बच्चों के शिक्षक के तौर पर दिए जाने वाले दीर्घ और सारभूत प्रशिक्षण की इसकी अवधारणा उसके वेतन ढांचे से मेल नहीं खाती जो बड़े बच्चों के अध्यापक के पक्ष में ज्यादा है। तीसरे, यह इतना छोटा कार्यक्रम है कि प्राथमिक शिक्षा की अधोस्थिति पर शायद ही कोई प्रभाव डाल सके। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, अर्धशिक्षकों की भर्ती जैसी योजनाओं से प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और भी क्षीण हो गई है। और अंत में, वह संस्थागत संरचना जिसने इसे जन्म दिया, और पालन किया, अब स्वयं संकट में है, और शायद ही बच पाए।

ये दो उदाहरण परिवर्तन की राजनीति पर कुछ अंतर्दृष्टि डालते हैं। शुरू करने के लिए कहें, तो वह विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति जिसमें परिवर्तन होता है, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के, परिवर्तन को स्वस्थ और दीर्घायु बनाने तथा उसे वैध रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन ही हमारी चिंता का विषय है, तो उस विशिष्ट सामुदायिक परिस्थिति का अध्ययन करना बेहतर होगा। ऐसा इसलिए कि भावी संभावनाओं को हम बेहतर ढंग से समझ सकें, और इसलिए भी कि उस स्थल का पता लगा सकें जहां स्वाभाविक विशिष्टता वाली परिस्थितियों में निश्चित और सीमित दायरे में हस्तक्षेप किया जा सके। परिवर्तन की राजनीति में अनुसंधान की व्यापक भूमिका हो सकती है, लेकिन अनुसंधान का अभाव और उसका घटिया स्तर, उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन की सफलता में गंभीर नतीजे दे सकता है। एक सामाजिक गतिविधि के रूप में, विचार-विमर्श और अंतर्दर्शन के लिए, अनुसंधान का महत्वपूर्ण स्थान है। सचेत और सावधान ढंग से परिवर्तन के साथ रहने के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। वास्तव में, परिवर्तन की लंबी प्रक्रिया के दौरान उस पर अनुसंधान हमें इस भ्रम से बड़ी राहत दिला सकता है कि परिवर्तन की प्रक्रिया में दिशा से अधिक उसकी गति का महत्व होता है। भारत जैसे निर्धन देश में ज्यादातर बच्चों को दी जा रही शिक्षा के स्तर में परिवर्तन के हित में, यदि हम कुछ करना चाहते हैं, तो इस भ्रम से राहत पाना अति आवश्यक है। ❑

(लेखक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के निदेशक हैं)

सबके लिए बुनियादी शिक्षा : प्रगति और चुनौतियां

○ आर. गोविंदा

कुल मिलाकर मूल्यांकन करने पर हालांकि एक बेहतर तस्वीर उभरती है, इसके बावजूद उल्लेखनीय रणनीतिक बदलाव किए बगैर और वित्तीय प्रावधान बढ़ाए बगैर सार्वभौम शिक्षा का लक्ष्य ऐसा नहीं लगता कि जल्दी ही हासिल कर लिया जाएगा

भारत में सार्वभौम बुनियादी शिक्षा के लिए प्रयास औपनिवेशिक काल से ही आरंभ हो गया था। तब इसकी अगुवाई कुछ रियासतों के शासकों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े राष्ट्रवादी नेताओं ने की थी। लेकिन वास्तविक अर्थों में योजनाबद्ध रूप से सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु जनशिक्षा के प्रयास 1947 में आजादी मिलने के बाद ही आरंभ हुए। आरंभ में ऐसा प्रतीत हुआ कि इस लक्ष्य को अल्पकाल में ही प्राप्त कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे वक्त गुजरता गया, निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण यह लक्ष्य दुरूहतर होता गया। वयस्क शिक्षा दर तथा प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर में लगातार वृद्धि हुई लेकिन आबादी में उससे भी तेज गति से बढ़ोतरी होती रही जिससे देश में निरक्षरों की कुल संख्या में भी बढ़ोतरी होती रही। पहली मर्तबा 2001 की जनगणना में देश में वयस्क निरक्षरों की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

प्रगति के मुद्दों पर एक नजर

नब्बे के दशक में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में सघन प्रयास हुए जिनकी बदौलत बच्चों की भागीदारी में और साक्षरता संबंधी आंकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। संभवत: इसी से उत्साहित हो दसवीं योजना में विद्यालयों की उपलब्धता, नामांकन, उनका स्कूल में बने रहना तथा लैंगिक समानता जैसे लगभग सभी संकेतकों पर बड़े ही कठिन लक्ष्य निर्धारित किए गए।

राष्ट्रीय नेतृत्व ने न्यूनतम समय में सबको बुनियादी शिक्षा प्रदान करने को सर्वाधिक महत्व दिया था। यह इसी से प्रमाणित होता है कि यह लक्ष्य संविधान में एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया था और इसे हासिल करने के लिए दस वर्षों की अवधि निर्धारित की गई थी। इस बुनियादी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पचास सालों की विकास योजना हमें कहां तक ले जा पाई है? देश शत-प्रतिशत नामांकन तक का लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त कर पाया है? किसी भी योजना अवधि के दौरान हुई प्रगति का मूल्यांकन करते समय इन सवालों का स्मरण कराना जरूरी है।

संविधान में सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य दस वर्षों में हासिल कर लेने की अपेक्षा के बावजूद यह भी स्वीकार करना होगा कि वयस्क साक्षरता दर तथा बच्चों के स्कूल जाने की दर 1950 में लगभग नगण्य थी। तब से लेकर अब तक की प्रगति संतोषजनक न होते हुए भी निरंतरता बनाए हुए है। 2001 में भारत की साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत हो गई जबकि पिछले दशक में 52.21 प्रतिशत ही थी। 13.2 प्रतिशत की यह प्रगति 1901 के बाद से किसी भी एक दशक में दर्ज की जाने वाली सर्वाधिक प्रगति है। 2001 में पुरुषों की साक्षरता दर 75.65 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत थी। स्त्री-पुरुष के बीच का अंतर 1991 में 28.84 प्रतिशत था जो 2001 में कम होकर 21.70 प्रतिशत रह गया। 90.92 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ केरल शीर्ष पर बना हुआ है जबकि बिहार की साक्षरता दर मात्र 47.53 प्रतिशत के साथ न्यूनतम है।

शैक्षिक सुविधाओं से वंचित दूरदराज के गांवों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। सातवें अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण, 2002 की फ्लैश रिपोर्ट के अनुसार, 53.48 प्रतिशत रिहायशी इलाकों में प्राथमिक विद्यालय हैं जबकि 87.53 प्रतिशत रिहायशी इलाकों में एक किमी. की दूरी के भीतर प्राथमिक विद्यालय की सहूलियत उपलब्ध है। 19.1 प्रतिशत बस्तियों के भीतर तथा 78.12 प्रतिशत बस्तियों के तीन किमी. के दायरे के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। वर्ष 2002 के दौरान प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात बढ़कर 1:2.7 हो गया है।

तालिका
प्राथमिक शिक्षा : तब और अब

संकेतक	1950-51	2000-01	2001-02	2002-03
प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	2,23,600	8,45,007	8,83,667	8,97,109
प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या	6,24,000	32,23,443	33,95,995	34,88,148
प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन (करोड़ में)	1.92	11.383	113.90	122.13
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन (करोड़ में)	0.30	4.281	44.80	46.95
बुनियादी स्कूल स्तर पर नामांकन (करोड़ में)	2.22	15.664	158.70	169.08

स्रोत : चुने हुए शैक्षिक आंकड़े : 2003-04, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारत में शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

इनके अलावा, बड़ी तादाद में वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा केंद्र, शिक्षा गारंटी कार्यक्रम केंद्र तथा गैरमान्यताप्राप्त विद्यालय भी हैं जहां प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। इनमें से पहले दोनों प्रकार के केंद्र ऐसे बच्चों के लिए हैं जो किन्हीं कारणों से पूर्णकालिक विद्यालयों में नामांकन नहीं करा पाते। शिक्षा गारंटी कार्यक्रम तथा वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा के तहत मार्च, 2004 तक 66.4 लाख बच्चों को कवर किया गया है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2003-04)। बुनियादी शिक्षा के उल्लेखनीय विस्तार के बावजूद विभिन्न राज्यों के बीच तथा उनके अंदर भी असमानताएं हैं। बुनियादी शिक्षा तक पहुंच के मामले में लैंगिक और सामाजिक असमानताएं भी हैं। हाल के वर्षों में स्कूली उम्र के बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने में हुई उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद 6-14 वर्ष की आयु के अनेक बच्चे अभी भी स्कूल के बाहर छूट जाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2003-04 के अनुसार, स्कूल जाने से रह गए बच्चों की अनुमानित संख्या लगभग 2.3 करोड़ है।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। 2001-02 में प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत 40.07 (39.7 प्रतिशत लड़के और 41.9 प्रतिशत लड़कियां) था जो 2002-03 में कम होकर 35.06 प्रतिशत (36.0 प्रतिशत लड़के और 33.32 प्रतिशत लड़कियां) हो गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत 2001-02 में 53.07 प्रतिशत (50.3 प्रतिशत लड़के और 57.7 प्रतिशत लड़कियां) था जो 2002-03 में थोड़ा कम होकर 52.7 प्रतिशत (52.28 प्रतिशत लड़के और 53.45 प्रतिशत लड़कियां) हो गया। पांचवीं कक्षा तक बच्चों को एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक न रोकने की नीति के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चे एक ही जमात में बने हुए हैं।

समग्रता में देखने पर एक बेहतर तस्वीर सामने आती है। लेकिन सबके लिए बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य अब भी इतना करीब नहीं है कि उसे थोड़े समय में रणनीतिक बदलाव किए बगैर और वित्तीय प्रावधान बढ़ाए बगैर हासिल कर लिया जा सके।

लक्ष्य निर्धारण

सर्व शिक्षा अभियान नामक केंद्र सरकार के अग्रणी कार्यक्रम का वायदा 2007 तक सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा तथा 2010 तक सबके लिए बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य हासिल कर लेने का है। यह समय डकार में की गई अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता से पांच वर्ष पहले है। विश्वनीय लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद, पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों पर सरसरी निगाह डालने पर भी यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें प्राप्त करने की दिशा में हमारा पिछला निष्पादन लगातार वायदे पूरा न कर पाने की कहानी कहता है। इसका मतलब यह नहीं की कोई प्रगति हुई ही नहीं। चालू योजना अवधि के समाप्त होते-होते कुछ राज्य लक्ष्य के बेहद निकट पहुंच जाएंगे, जबकि कुछ दूसरे राज्य इससे बेहद पीछे छूट जाएंगे। सही प्रविधि यह होगी कि वैश्विक समय सीमा को समूचे देश पर लागू करने की मौजूदा प्रणाली को बदलकर अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। इससे गुरूत्व के मूल्यांकन और लक्ष्य के लिए समय सीमा के निर्धारण की पूरी प्रक्रिया को व्यावहारिक बनाया जा सकेगा।

यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि भारतीय परिदृश्य इतना उलझावभरा और विविधतापूर्ण है कि इसे सकल राष्ट्रीय आंकड़ों द्वारा नहीं समझा जा सकता। एक तरफ केरल की साक्षरता दर 90 प्रतिशत से भी अधिक है। यहां प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात 103 प्रतिशत है जिसका अर्थ यह हुआ कि प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चा स्कूल जाता है। ऐसे सभी स्कूलों में कम से कम पांच अध्यापक और पांच कक्षाओं के कमरे हैं। दूसरी तरफ, बिहार में प्रत्येक दो बच्चों में से केवल एक बच्चा स्कूल जाता है। 1990 के अंत में यह अनुमान लगाया गया था कि देशभर में स्कूल न जाने वाले बच्चों में से तीन चौथाई छह राज्यों- आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा प. बंगाल के निवासी थे। बिहार में नामांकन दर में लैंगिक अंतर 42 प्रतिशत था और उत्तर प्रदेश में 31 प्रतिशता इसकी तुलना में केरल में नामांकन में मात्र 3 प्रतिशत और पंजाब में 5 प्रतिशत

का लैंगिक अंतर था। क्या इस स्थिति में कोई उल्लेखनीय बदलाव आया है?

सातवें अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण से हासिल परिणाम 2002-03 में भी उपरोक्त से काफी मिलती-जुलती स्थिति का वर्णन करते हैं। इसके अनुसार, स्कूल न जाने वाले 69 प्रतिशत बच्चे आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और प. बंगाल इन सात राज्यों में हैं। केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में ही देशभर के प्राथमिक विद्यालय न जाने वाले बच्चों का 33.87 प्रतिशत निवास करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से लड़कियों की शिक्षा के मामले में गुजरात और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में पीछे लौटने की प्रवृत्ति देखी गई है। इस वजह से ये राष्ट्रीय औसत से नीचे चले गए हैं। इस तरह सबके लिए बुनियादी शिक्षा अंतरराज्यीय असमानता की समस्या बनी हुई है। पांच दशकों की विकास योजनाओं के बावजूद यह समस्या विद्यमान है, इसी बात से शैक्षिक विकास के लिए अपनाई गई समग्र रणनीति पर गंभीरतापूर्वक पुन: विचार करने की आवश्यकता उजागर हो जाती है।

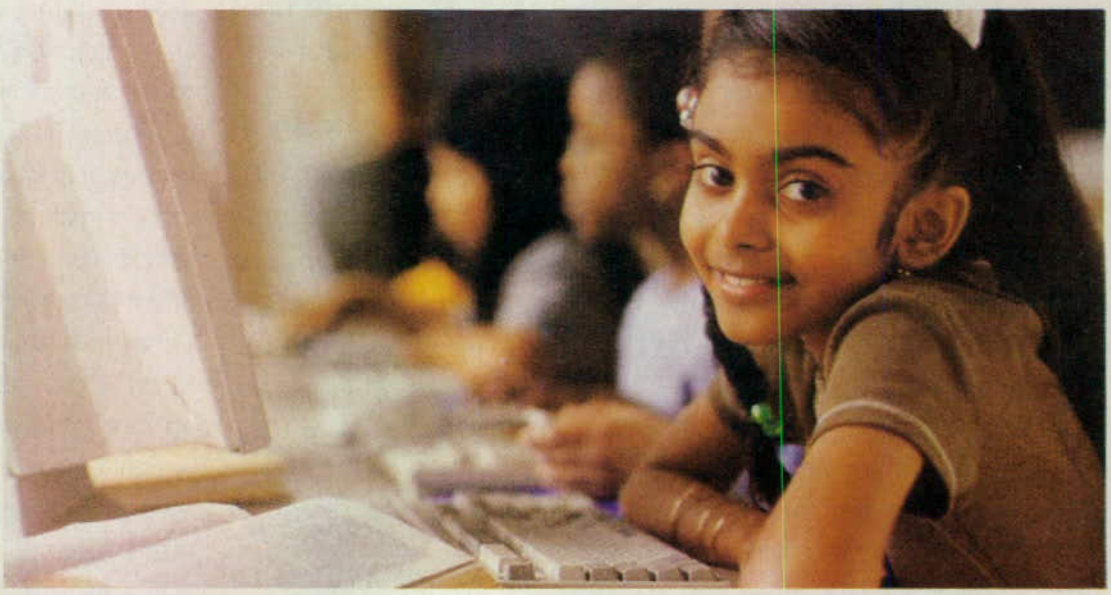

लड़कियों की शिक्षा में अपर्याप्त प्रगति

हाल के अनुमानों से ज्ञात होता है कि विगत 10-15 वर्षों के दौरान बालिकाओं का स्कूल जाना उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। इसके बावजूद सबके लिए शिक्षा पर यूनेस्को की विश्व मॉनीटरींग रिपोर्ट इस प्रगति को संतोषजनक नहीं मानती और लैंगिक समानता का लक्ष्य हासिल न हो पाने की आशंका व्यक्त करती है। तो क्या बालिका शिक्षा रणनीति का उचित तरीके से अनुसरण किया जा रहा है?

योजना के हरेक पहलू में लैंगिक संदर्भ शामिल किया जाना जरूरी है। उदाहरण के लिए विद्यालयों में बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत यह अपेक्षित था कि किसी भी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त हर दूसरी शिक्षक महिला होगी। नब्बे के दशक के आरंभिक वर्षों में महिला समाख्या जैसे स्त्री सशक्तीकरण के अनेक कार्यक्रम आरंभ किए गए। महिला समाख्या का ध्येय विद्यालयों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाना था। दुर्भाग्यवश, इनसे हासिल उपलब्धियों का लाभ उठाने तथा बालिकाओं को बुनियादी शिक्षा के दौरान स्कूल न छोड़ने देने के लिए पूरक उपाय करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है।

दसवीं योजना में एनपीईजीईएल तथा केजीवीएस नामक लिंग-आधारित कार्यक्रम इस दिशा में सकारात्मक कदम हैं। लेकिन ये कार्यक्रम अभी शुरुआती चरण में हैं। दूसरे, इन दोनों कार्यक्रमों की कवरेज बेहद सीमित रहने की संभावना है, जबकि बालिकाओं की सहभागिता की समस्या काफी व्यापक है और इसकी जद में वे राज्य भी आते हैं जो शिक्षा के विकास के मामले में काफी बेहतर स्थिति में हैं। बालिकाओं के स्कूल न जाने की समस्या का भरपूर विश्लेषण किया गया है और इसके कारण सबको मालूम हैं। विद्यालयों की सुविधा का अभाव इसका एक कारण है, लेकिन अनेक इलाकों में इससे कहीं अधिक जरूरी गहरे तक जड़ें जमाए सामाजिक कारणों को निर्मूल करना है।

तदर्थ उपायों से विकास नहीं हो सकता

अनिवार्यत: पंचवर्षीय योजनाओं को राज्य सरकारों के वित्त संकट से निबटने का उपकरण नहीं बनने देना होगा। योजना की अंतर्वस्तुओं से मौजूदा प्रणाली का संचयी विधि से मानवर्धन होना चाहिए ताकि धीरे-धीरे उस प्रणाली को इच्छित दिशा में उन्मुख किया जा सके। जैसे-जैसे योजना क्रियान्वित होती जाए, लोगों को व्यवस्था में आए परिवर्तन दिखाई पड़ते जाएं। तदर्थ उपाय दीर्घकालिक प्रगति का वाहक नहीं बन सकते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से दसवीं योजना प्रस्तावों में आकस्मिक उपायों का वर्चस्व ही दीख पड़ता है। इससे न केवल प्रगति की रेखा विरूपित होती है वरन नियोजन और बजट बनाने की समूची प्रक्रिया ही विरूपित हो जाती है।

दसवीं योजना के कोष का उपयोग कर अनेक राज्यों में अर्धशिक्षकों की नियुक्ति ऐसा ही एक अल्पकालिक कदम है। इसका मकसद लागत कम करना है। आमतौर पर ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति अल्पकालिक संविदा आधार पर बगैर यह सुनिश्चित किए ही कर दी जाती है कि उनके पास मान्य मानकों के अनुरूप योग्यता है अथवा नहीं। उन्हें नियमित

अध्यापकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। अनेक राज्यों में हजारों अर्धशिक्षकों की नियुक्ति सर्व शिक्षा अभियान के कोष से की गई है। इन अध्यापकों को नियमित अध्यापकों के पदों पर भी नियुक्त किया जा रहा है। इन चीजों से जमीनी स्थिति में अनेक प्रकार का विरूपण आरंभ हो गया है। पहला, दीर्घावधि में इस समस्या के निराकरण के लिए वित्त परिमाण ज्ञात नहीं हो पाता और अपेक्षित समस्या का वास्तविक महत्व ओझल हो जाता है। दूसरे, बजट में अध्यापक का वेतन शामिल कर यह उसके स्वरूप को भी विरूपित कर देता है क्योंकि सामान्य स्थिति में बार-बार होने वाले व्यय के कारण सामान्यत: यह योजनागत व्यय का हिस्सा होता, न कि संविदा आधार पर होने के कारण गैरयोजना व्यय का हिस्सा। तीसरे, इस तरीके से अध्यापकों जैसे विशेषज्ञता वाले समूह को मजबूती देने और उनके क्रमिक विकास की प्रक्रिया को गंभीर धक्का लगता है। वस्तुत: यह पड़ताल की जानी चाहिए कि क्या इस तरह के उपायों से राज्यों का गैरयोजनागत व्यय कम हो गया है, खासतौर से शिक्षकों के वेतन के संदर्भ में जो परंपरा से शिक्षा पर होने वाले व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है?

कार्यक्रम कौन तैयार करे केंद्र अथवा राज्य?

क्या राज्य सरकारों को पंचवर्षीय योजना चक्र के भाग के रूप में अपने कार्यक्रम और रणनीतियां स्वयं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और केंद्र सहायता की सीमा तक केवल उनका समर्थन करे? अथवा क्या केंद्रीय स्तर पर समग्र और समान कार्यक्रमों का एक पैकेज तैयार किया जाए, जिनमें कुछ विकल्प भी हों और राज्यों को उनमें से अपने लिए उपयुक्त कार्यक्रम चुन लेने के लिए कहा जाए? ऐसा प्रतीत होता है कि सर्व शिक्षा अभियान में सबके लिए बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य पाने के मार्ग का पूर्व निर्धारण कर लिया गया है जिसका समूचे देश को अनुसरण करना है और सभी राज्यों को कार्यक्रमों के एक समूह को क्रियान्वित करना है।

ध्यान रहे कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए केंद्र ने बुनियादी शिक्षा को ठीक ही उच्च प्राथमिकता दी है और इस क्षेत्र में विकास गतिविधियां तैयार करने में उसकी सक्रियता पर सवाल नहीं किया जा सकता। लेकिन केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के पिछले अनुभव यही संकेत देते हैं कि इसमें आरंभिक उत्साह के बाद यह खतरा निहित है कि आगे चलकर राज्य सरकारें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केवल वित्तीय संसाधनों की मांग करते रहें लेकिन कार्यक्रम में रुचि खो दें तथा जमीनी स्तर पर कार्यक्रम संबंधी गतिविधियां शिथिल हो जाएं। केंद्र की सक्रियता को अनेक राज्य निष्क्रिय हो जाने का लाइसेंस मान सकते हैं।

अध्यापन-अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? क्या विद्यालय अब पहले के मुकाबले बेहतर रूप से काम कर रहे हैं? खासतौर से शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में क्रियात्मक विकेंद्रीकरण को यथार्थ बनाने की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं? अनुमंडल तथा स्कूल स्तर पर संसाधनों के उपयोग में क्या कोई सुधार हुआ है? बुनियादी शिक्षा की अंदरूनी कुशलता बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा किस किस्म के हस्तक्षेप किए गए हैं?

यदि सर्व शिक्षा अभियान इस तरह के क्षरण का शिकार होने से बच गया तो भी एक निश्चित अंतराल पर इसका समग्र मूल्यांकन और स्थानीय स्तर पर विकसित नवीन प्रविधियों से इसे सुसज्जित करते रहना आवश्यक होगा। यह स्वीकार कर लेना जरूरी है कि सबके लिए बुनियादी शिक्षा को कोई अखिल भारतीय समाधान नहीं है। इसलिए, सर्व शिक्षा अभियान की असल परीक्षा अलग-अलग राज्यों के भिन्न परिदृश्य को आत्मसात करते हुए उसके अनुरूप स्वयं को ढाल लेने तथा राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता हेतु अपनी रणनीतियों में सुधार के लिए प्रोत्साहित करते रहने की योग्यता में होगी। इसका अर्थ यह भी हुआ कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत समर्थन की शर्तों में जिला तथा अनुमंडल स्तर पर की जानेवाली नवीन पहलों को शामिल कर पाने के लिए लोच होना चाहिए। साथ-साथ इन्हें राज्य सरकार का पूर्ण अनुमोदन भी होना चाहिए। वर्तमान में, जिला शिक्षा योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं की बजाय मुख्यतया निर्धारित राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। इन गतिविधियों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत परियोजनागत गतिविधियों (डीपीईपी के समान) माना जाता है। इस दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। परियोजना गतिविधियों और राज्य सरकार के नियमित कार्यक्रम के बीच विभेद को समाप्त करना होगा। संभवत: सर्व शिक्षा अभियान के तत्वों को प्रत्येक राज्य की आवश्यकता के अनुरूप और अधिक विकेंद्रित करने की तथा कार्यक्रमों की समीक्षा एवं संशोधन में राज्य स्तरीय विशेषज्ञों को और अधिक शामिल करने की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के स्तंभरूप को ऐसे सच्चे विविधता युक्त दृष्टिकोण से बदलने की जरूरत है जो अधिकतम सामंजस्कारी हो।

वित्त-व्यवस्था के लिए केंद्र-राज्य भागीदारी का पुनर्निर्धारण

विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य की वित्तीय भागीदारी राज्य सरकार द्वारा सभी गतिविधियों को क्रमश: अपने हाथ में लेने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी कार्यक्रमों के लिए एक समान सिद्धांत नहीं अपनाया गया था। डीपीईपी को केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच 85:15 के अनुपात में वित्तीय योगदान के फार्मूले के साथ लागू किया गया था। लेकिन बुनियादी शिक्षा के

सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों को चाहे उनके लिए कोष राष्ट्रीय संसाधनों से आ रहा हो अथवा अंतरराष्ट्रीय संसाधनों से, सर्व शिक्षा अभियान की छतरी के नीचे लाए जाने के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय हिस्सेदारी के नये नियम भी सामने आए। अभियान के दिशानिर्देशों के अनुरूप दसवीं योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें 75:25 के अनुपात के फार्मूले के अनुसार वित्तीय हिस्सेदारी कर रहीं हैं। ग्यारहवीं योजना में इसे 50:50 के फार्मूले में बदल दिए जाने की संभावना है।

हिस्सेदारी की प्रविधि कैसा काम कर रही है? विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर वित्तीय हिस्सेदारी के फामूर्ले के प्रभाव का विधिवत मूल्यांकन नहीं किया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकारों की आंतरिक वित्तीय स्थिति में काफी बड़ा फर्क है। इसलिए इस बात पर आम सहमति है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में तीव्र प्रगति लाने में समान फार्मूला मददगार नहीं हो सकता। इसका परिणाम यह होगा कि विभिन्न राज्यों के बीच शैक्षिक असमानता और बढ़ जाएगी।

सबके लिए बुनियादी शिक्षा में हुई प्रगति में संसाधनों की हिस्सेदारी के मौजूदा फार्मूले के प्रभाव का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की तत्काल आवश्यकता है। इससे 11वीं योजना तैयार करते समय उचित रणनीति निर्धारित की जा सकेगी। हाल के अनुभवों से बुनियादी शिक्षा के विकास पर राज्य के व्यय को लेकर अनेक मुद्दे उभरते हैं। अंतिम विश्लेषण में, स्कूली शिक्षा में प्रगति लगभग पूरी तरह राज्य सरकारों पर ही निर्भर करेगी। बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए जहां केंद्रीय समर्थन लगातार बढ़ा है, वहीं यह स्पष्ट नहीं है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारें अपने संसाधनों का निवेश किस प्रकार कर रही हैं। वस्तुत: अनेक राज्यों द्वारा हाल में अध्यापकों के पेशेवर संवर्ग को समाप्त करने के लिए जिस प्रकार कदम उठाए गए हैं उनसे गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। अर्धशिक्षकों की नियुक्ति निश्चय ही एक लागत कम करने वाला उपाय है, लेकिन यह बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय नहीं है। इससे राज्य सरकारों द्वारा समुचित प्रतिबद्धता के बगैर योजनागत कोष का निवेश सवालों के घेरे में आ जाता है। इससे यह राय बनती है अपनी कि मौजूदा कमी को दूर करने के क्रम में कुछ राज्य बुनियादी शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए व्यापक व्यवस्था के न्यूनतम विस्तार के लिए भी पूरी तरह केंद्रीय अनुदान पर ही निर्भर रहते हैं। राज्य सरकारें बुनियादी शिक्षा की धारणीय प्रणाली विकसित करने की दिशा में, (इनमें ढांचागत विकास उनका रखरखाव, शिक्षक तथा अध्यापन-अधिगम सामग्रियां आदि शामिल हैं) कितना निवेश कर रही हैं? ध्यान रहे कि जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ विद्यालयों की मांग भी बढ़ती जाएगी। इस स्थिति का सामना करने के लिए राज्यों की वित्तीय तैयारी कैसी है? प्रत्येक राज्य में बुनियादी शिक्षा की धारणीय प्रणाली के विकास के लिए वहां किस हद तक केंद्रीय योगदान की जरूरत होगी?

अर्धशिक्षकों की नियुक्ति निश्चय ही एक लागत कम करने वाला उपाय है, लेकिन यह बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय नहीं है। इससे राज्य सरकारों द्वारा समुचित प्रतिबद्धता के बगैर योजनागत कोष का निवेश सवालों के घेरे में आ जाता है। इससे यह राय बनती है कि अपनी मौजूदा कमी को दूर करने के क्रम में कुछ राज्य बुनियादी शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए व्यापक व्यवस्था के न्यूनतम विस्तार के लिए भी पूरी तरह केंद्रीय अनुदान पर ही निर्भर रहते हैं

भावी चुनौतियां

निष्कर्ष के तौर पर, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं के दबाव में सबके लिए बुनियादी शिक्षा में प्रगति को अनुचित रूप से संख्यात्मक लक्ष्य के संदर्भ में देखा जा रहा है। इसमें स्कूली प्रक्रियाओं और परिणामों पर कम ध्यान है। केंद्र तथा राज्य सरकारें विद्यालय सुविधाओं के विस्तार, संबद्ध आयुवर्ग के बच्चों की कवरेज आदि के संदर्भ में हुई प्रगति दर्शाने में बुरी तरह व्यस्त हैं। बुनियादी शिक्षा के विकास के प्रति इस आपूर्ति-उन्मुखी दृष्टिकोण से स्कूल प्रणाली की आंतरिक और बाहरी कुशलता बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान करने वाली गंभीर प्रक्रियाओं की अनदेखी हुई है। योजना अवधि के दौरान विद्यालयों के प्रबंधन और कक्षा के भीतर अध्यापन-अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? क्या विद्यालय अब पहले के मुकाबले बेहतर रूप से काम कर रहे हैं? खासतौर से शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में क्रियात्मक विकेंद्रीकरण को यथार्थ बनाने की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं? अनुमंडल तथा स्कूल स्तर पर संसाधनों के उपयोग में क्या कोई सुधार हुआ है? बुनियादी शिक्षा की अंदरूनी कुशलता बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा किस किस्म के हस्तक्षेप किए गए हैं? दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सबके लिए बुनियादी शिक्षा का मूल्यांकन करने के किसी भी प्रयास को संभवत: इन्हीं पहलूओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न की मात्रात्मक संकेतकों पर। सरसरी तौर पर निगाह डालने पर भी यह स्पष्ट होता हो जाता है कि पिछले दशक में जिन राज्यों ने इन मुद्दों पर ध्यान दिया, उन्होंने मात्रात्मक लक्ष्यों की बेहतरी पर ध्यान केंद्रित करने वाले राज्यों के मुकाबले अधिक प्रगति की। इन दोनों को साथ-साथ चलना होगा। प्रक्रियाओं और परिणामों पर ध्यान दिए बगैर मात्रात्मक प्रगति का परिणाम दीर्घावधि में केवल अव्यावहारिक तथा अनुत्पादक संरचनाएं ही होंगी। ❑

(लेखक राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) ,नई दिल्ली के अनौपचारिक शिक्षा एकक के सीनियर फेलो तथा अध्यक्ष हैं)

सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान से देश के भीतर शिक्षा को लेकर अभूतपूर्व जागरूकता उत्पन्न हुई है और मिशन एक अत्यंत गहन स्कूल–सामुदायिक संबंध का गवाह बना है। यह संबंध सभी बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के मिशन के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक धारणीय प्रगति की बुनियाद होगी

सर्व शिक्षा अभियान की योजना प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के निमित्त मिशन पद्धति अपनाए जाने के संबंध में अक्तूबर 1998 में आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों का परिणाम है। सर्व शिक्षा अभियान की योजना का आरंभ भारत सरकार ने 2001 में किया।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता नौवीं योजना के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की बीच 85:15 की भागीदारी के आधार पर थी, दसवीं योजना के दौरान यह 75:25 के आधार पर है और इसके बाद 50:50 के आधार पर होगी।

कार्यक्रम में समूचा देश शामिल किया गया है, सिवाय गोवा राज्य के। 2004–05 के दौरान अभियान के अंतर्गत 598 जिलों की वार्षिक कार्ययोजनाएं अनुमोदित की गईं। इस कार्यक्रम में ऐसी बस्तियों में नये स्कूल स्थापित करना, जहां कोई स्कूली सुविधाएं मौजूद नहीं है तथा अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल, अनुरक्षण अनुदान तथा स्कूल सुधार अनुदान के प्रावधान के माध्यम से स्कूल के मौजूदा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाएगा।

कार्यक्रम के तहत अपर्याप्त शिक्षक वाले मौजूदा स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे।

मौजूदा अध्यापकों की क्षमता गहण प्रशिक्षण, अध्यापन–अधिगम सामग्री और शैक्षणिक अनुसमर्थन तंत्र विकसित करके बढ़ाई जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान का कमजोर वर्गों की लड़कियों और बच्चों पर विशेष ध्यान है। कार्यक्रम के अधीन इन बच्चों के लिए नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों सहित अनेक प्रोत्साहन योजनाएं हैं। सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर–आधारित शिक्षा प्रदान करना चाहता है।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य

- 2003 तक 6–14 वर्ष के सभी बच्चे स्कूल में हों।
- 6–14 वर्ष आयु के सभी बच्चे 2007 तक पांच वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें।
- 6–14 वर्ष आयु के बच्चों के 2010 तक आठ वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना।
- जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक स्तर की प्रारंभिक शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना।
- प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक लड़के और लड़कियों के बीच अंतराल और सामाजिक वर्ग विशेषताएं समाप्त करना तथा
- 2010 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे शिक्षा जारी रखें।

इस अभियान में समुदाय को सहभागी बनाने की इच्छा शामिल है। पंचायतीराज संस्थानों के परामर्श से तैयार की गई ग्राम शिक्षा योजनायें, जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं का आधार बनेंगी। अभियान में लड़कियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, कठिन परिस्थितियों में रहे अन्य बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष बल देते हुए सारा देश कवर किया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की है।

दसवीं योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के लिए आवंटन किया गया है। वर्ष 2003–04 के दौरान अभियान के अंतर्गत कुल व्यय 3,617.91 करोड़ रुपये था। वर्ष 2004–05 के लिए बजट नुमान 3,057.08 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान 5,079.58 करोड़ रुपये है (तालिका: 1)।

सर्व शिक्षा अभियान का प्रभाव

दसवीं योजना के पहले दो वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान का कार्य शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण गतिविधियों से युक्त रहा है। इन दो वर्षों में इस बात को सुनिश्चित करने पर विशेष

तालिका : 1

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जारी निधियां (करोड़ रुपये में)

मद	2003-04	2004-05 (30.12.2004)
केंद्र सरकार द्वारा जारी निधियां	2,698.38	4,386.47
राज्य सरकार द्वारा जारी निधियां	2,698.38	1,106.66
उपलब्ध कुल निधियां	3,563.18	5,605.52
व्यय	3,617.91	3,655,34

*पिछले वर्ष का खर्च न हुआ शेष शामिल है।

तालिका : 2

सर्व शिक्षा अभियान के तहत परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित भौतिक मदें

मद	2003-04	2004-05
अनुमोदित विद्यालयों की संख्या	67,190	44,719
स्वीकृत अध्यापकों की संख्या	3,98,189	2,10,431
विद्यालय भवनों की संख्या	40,960	29,018
अतिरिक्त कमरे	68,779	82,538
शौचालय	46,272	50,044
पेयजल	33,161	44,322
अध्यापक अनुदान (अध्यापकों की संख्या)	29,67,053	32,39,155
विद्यालय अनुदान (विद्यालय संख्या)	6,83,303	9,03,191
मरम्मत अनुदान (विद्यालय संख्या)	7,33,000	8,56,230
नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें (बच्चों की संख्या)	4.70 करोड़	6.15 करोड़

जोर रहा है कि विद्यालय न जाने वाले सभी बच्चों को विद्यालयों में लाया जाए। इन दोनों बातों पर जोर दिया गया है कि नियमित विद्यालयों की मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को सुधारा जाय और विभिन्न कारणों से विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए वैकल्पिक कार्ययोजनाओं को तैयार किया जाए।

अभियान के इन सभी हस्तक्षेपों के परिणाम स्वरूप विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 2004-05 के आरंभ के 2.3 करोड़ से घटकर 30 सितंबर, 2004 को 81 लाख (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुमानों के अनुसार) हो गई।

उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करने के लिए अभियान के अंतर्गत देशभर में तीन लाख से अधिक अतिरिक्त शिक्षक भर्ती किए गए।

देश में अधिकांश प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को वार्षिक रूप से 10 से 20 दिन की अवधि का सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापकों तथा स्कूलों को शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए ब्लाक और क्लस्टर स्तरों पर 60,000 से अधिक शैक्षिक संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

संरचना में सुधार के लिए वर्ष 2004-05 से अंतिम दो वर्षों में 80,000 से अधिक नये स्कूल खोलने तथा लगभग 4.5 लाख अध्यापक नियुक्त करने का अनुमोदन कर दिया गया है। इसके अलावा, एक लाख से अधिक शिक्षण कक्षों, लगभग 60,000 स्कूली इमारतों, एक लाख शौचालयों और 75,000 पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था करके संरचना में सुधार करने की योजना है। शिक्षण और छात्रों की अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु अनुदान दिए जाते हैं। सभी शिक्षकों को 20 दिन का प्रशिक्षण दिए जाने तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों और लड़कियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा, सभी स्कूलों को सिविल मरम्मत के लिए अनुरक्षण अनुदान तथा उपस्कर बदलने के अनुदान दिए जाते हैं। शिक्षा गारंटी स्कीम और सेतु पाठ्यक्रमों जैसे वैकल्पिक शिक्षा उपायों के अंतर्गत लगभग 1.42 करोड़ बच्चे दाखिल किए जाने की संभावना है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत समीक्षा और अनुश्रवण तंत्र

अनुश्रवण तंत्र

- यह अभियान चार स्तरीय समीक्षा और अनुश्रवण प्रणाली का पालन करता है।
- 42 राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थाओं को नियमित क्षेत्रीय दौरे करने और निष्पादन का अनुश्रवण करने के लिए सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ जोड़ दिया गया है। इनकी समीक्षा 2004-05 में शुरू होगी।
- एक कंप्यूटरीकृत शैक्षिक एमआईएस प्रणाली सभी महत्वपूर्ण शैक्षिक सांख्यिकी पर वार्षिक स्कूल आधारित आंकड़े प्रदान करती है।
- स्कूल निष्पादन पर स्थानीय-समुदाय आधारित अनुश्रवण, नामांकन अभियान और स्कूल न जा सकने वाले बच्चों से संबंधित परिवारिक आंकड़ों को अद्यतन बनाने का काम प्रतिवर्ष किया जाता है।
- विशेष रूप से गणित और भाषा में अधिगम स्तरों में वृद्धि की जांच के लिए हर तीन वर्ष पर छात्र उपलब्धि स्तर के अध्ययन किए जाते हैं।
- लेखाओं, अधिप्राप्ति प्रणालियों, लेखा परीक्षा और नियमित वित्तीय अनुश्रवण तंत्रों को सुचारू रूप देने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने के प्रयोजन से एक विस्तृत वित्तीय और अधिप्राप्ति नियम पुस्तिका तैयार की गई है।

छमाही संयुक्त समीक्षा मिशन

सर्व शिक्षा अभियान के पहले संयुक्त समीक्षा मिशन ने 24 जनवरी से 7 फरवरी, 2005 के दौरान नमूने के तौर पर देश में आठ प्रमुख राज्यों का दौरा किया। इस मिशन में स्वतंत्र समीक्षक शामिल थे। समीक्षा मिशन ने इन राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्कूलों, ईसीजी केंद्रों का दौरा किया एवं क्षेत्रीय कार्मिकों, वीईसी, शैक्षणिक सहयोग संस्थानों और साथ ही राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के सरकारी कार्मिकों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान किया।

- इस कार्यक्रम ने सभी राज्यों में पर्याप्त रुचि और प्रतिबद्धता का सृजन किया है तथा प्रारंभिक शिक्षा को विकास कार्यसूची का केंद्रीय तत्व बनाने में सहायता प्रदान की है। राजनीतिक अधिकारी, सरकारी कार्मिक और शिक्षा विभाग केवल कार्यक्रम घटकों को क्रियान्वित करके ही नहीं बल्कि कार्यक्रम को राज्य-विशिष्ट स्थितियों के अनुरूप ढालकर भी इस मिशन को एक आकार देने में पूरी तरह प्रवृत्त हैं। नामांकन अभियान, अधिगम उपलब्धि सर्वेक्षण, सेतु पाठ्यक्रम, शिशु केंद्र जैसी वैकल्पिक अधिगम स्थितियां यह दर्शाती हैं कि इन राज्यों द्वारा राष्ट्रीय तंत्र को किस प्रकार अनुकूलित किया गया है।

- इस कार्यक्रम ने देश के भीतर शिक्षा के बारे में अभूतपूर्व जागरूकता उत्पन्न की है और मिशन एक अत्यंत गहन स्कूल-समुदाय संबंध का गवाह रहा है। यह संबंध सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के मिशन के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक धारणीय प्रगति की बुनियाद होगा। चाहे अतिरिक्त अ ध्यापकों की तैनाती का प्रश्न हो अथवा बेहतर बड़े स्कूल भवनों का निर्माण करने या अध्यापन-अधिगम सामग्री का संवर्धन करने अथवा पीटीए बैठकों में भाग लेने का प्रश्न हो, स्कूल के विकास में समुदाय की सहभागिता में स्पष्ट वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप अनेक सकारात्मक विकास देखने को मिले हैं। नामांकनों में वृद्धि हुई है, छात्रों और अध्यापकों की उपस्थिति बढ़ी है, स्कूल भवन सुंदर दिखाई देते हैं और उनका बेहतर रखरखाव देखने में आता है तथा प्रणालीगत जवाबदेही में काफी सुधार हुआ है।

- अभियान ने स्कूली सुविधाओं की सुलभता में महत्वपूर्ण सुधार किया है। नमनशील, विकेंद्रीकृत, परिस्थितियों के अनुकूल दृष्टिकोण से दूरस्थ और जिन आबादियों तक अभी तक नहीं पहुंचा जा सका था, उन तक पहुंचने के प्रयोजन से वहां स्कूल खोलने में मदद मिली है। घने वनों में अलग-अलग पड़े द्वीपसमूहों और पर्वतीय क्षेत्रों में ईजीएस की स्थापना से कई समुदायों के सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिमान में बदलाव आया है। मिशन के सदस्यों की जानकारी में ऐसे कई उदाहरण आए जहां ईजीएस केंद्रों ने जनजातीय समूहों की विश्व दृष्टि में बदलाव ला दिया है। साथ ही इस कार्यक्रम ने शिक्षित युवकों का एक समर्पित समूह तैयार किया है जो इन दूरस्थ केंद्रों में अनुदेशकों का काम करते हैं। संस्कृति, स्थानीय भाषा और स्थानीय समुदायों के सामाजिक रीति-रिवाजों के ज्ञान ने छात्रों के समूहों के साथ मेलजोल स्थापित करने में मदद की है जिसके फलस्वरूप पहली पीढ़ी के छात्रों का बड़े पैमाने पर दाखिला हुआ है।

- कार्यक्रमों ने बच्चों को स्कूल में दाखिल किए जाने के लिए कार्यनीतियां तैयार करने में राज्यों की सहायता की है। यह जानना एक सुखद अनुभूति है कि जिन आठ राज्यों में मिशन ने दौरा किया, उनमें स्कूल न जा सकने वाले बच्चों की संख्या जनवरी 2003 में 1.2

तालिका : 3

कार्यान्वयन में प्रगति (प्रमुख उपाय)

मद	मंजूर भौतिक लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
नये स्कूल खोलना	67,190	66,147	98
स्कूल भवनों का निर्माण	78,776	(निर्माणाधीन)37,525	
		(निर्मित) 17,454	69
अतिरिक्त कक्षाकमरों का निर्माण	171154	(निर्माणाधीन)66,556	
		(निर्मित) 33,777	59
ईजीएस * के अंतर्गत कवर हुए बच्चों की संख्या	43,67,655	63,98,408	136
नये अध्यापकों की नियुक्ति	5,35,203	3,10,506	58
मुफ्त पाठ्यपुस्तकें	4,69,59,451	558,61,609	118
ब्लाक संसाधन केंद्रों की स्थापना	6,734	6,653	98.8
क्लस्टर संसाधन केंद्रों की स्थापना	66,401	62,000	93.4

*ईजीएस: शिक्षा गारंटी केंद्र उन बस्तियों में स्थापित किए जाते हैं जहां एक किलोमीटर के अंदर कोई नियमित स्कूल नहीं है

करोड़ से (राज्यों द्वारा किए गए पारिवारिक सर्वेक्षण के अनुसार), दो वर्षों में नाटकीय रूप से घटकर केवल तीस लाख रह गया। नये स्कूल, ईजीएस केंद्र, ईसीई सुविधाएं और सेतु पाठ्यक्रम के शुरू किए जाने से शैक्षिक सुविधाएं समुदायों के निकट आ गई हैं। मिशन ने जिन राज्यों का दौरा किया, उनमें से अधिकांश ने शैक्षिक सुविधाओं की प्राय: सर्वसुलभता सूचित की। अभियान के पहले विकासात्मक लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में पहला बड़ा उपाय किया जा चुका है।

- सर्व शिक्षा अभियान के कार्यतंत्र ने स्कूलों की स्टाफ व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की है। मिशन ने जिन राज्यों का दौरा किया, उन सभी में और अध्यापकों की भर्ती की गई है और पश्चिम बंगाल जैसे कुछेक अपवादों को छोड़कर छात्र-अध्यापक अनुपात प्रति अध्यापक 40 छात्रों के स्तर तक पहुंचने के करीब है।
- कार्यक्रम ने एक ऐसा वातावरण निर्मित किया है जिसमें स्कूल प्रक्रियाओं का और अधिक गहराई से अध्ययन किया जा रहा है। संस्थानों, अध्यापक समूहों और साथ ही अलग-अलग अध्यापकों द्वारा उत्कृष्ट अध्यापन-अधिगम सामग्री तैयार की गई है। स्कूल और अधिक बाल-अनुकूल बन रहे हैं और अध्यापकगण बाल-केंद्रित, क्रियाकलाप-आधारित शिक्षा की प्रभावशीलता के बारे में अधिक जागरूक हुए हैं। आयोग ने जिन राज्यों का दौरा किया, उन सभी में पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तकें, पूरक अध्यापन -अधिगम सामग्री तैयार की जा रही है।
- जिन राज्यों का मिशन ने दौरा किया, वे सभी उत्तम शिक्षा की विषमतापूर्ण सुलभता के मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं। अधिकांश राज्यों में लैंगिक और सामाजिक अंतर से परिचित होने के कारण उपचारात्मक शिक्षण, आवासीय स्कूलों, व्यावसायिक कौशल विकास, वर्दियों और मध्याह्न भोजन जैसे उपाय शुरू कर दिए गए हैं। अंतर घट रहे हैं और यदि राज्य मौजूदा केंद्रित और सामरिक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं तो अभियान के अन्य विकासात्मक लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त किया जा सकेगा।
- सर्व शिक्षा अभियान कार्यतंत्र ने मौजूदा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ करने किए जाने की दिशा में मदद की है। शैक्षिक सुधारों की शुरुआत करने और उन्हें बनाए रखने के निमित्त क्षमता निर्माण के एक अंग के रूप में अध्यापक प्रशिक्षण योजना प्रक्रिया का एक अविभाज्य अंग बन गया है। अध्यापकों के व्यावसायिक कौशल के सुधार की प्रक्रिया अब सभी स्थानों पर चल रही है। निश्चय ही, अंतर्वस्तु और प्रशिक्षण प्रविधि की गुणवत्ता के मुद्दे ही वे मुद्दे हैं जो ऐसे अध्यापकों के विश्वास के साथ और अंतत: क्लासरूम अध्यापकों की गुणवत्ता के साथ टकराते हैं।
- अभियान ने विभिन्न कार्यक्रमों के बीच और अधिक अभिसरण ला दिया है तथा राज्यों ने समेकित बाल विकास योजना, संपूर्ण सफाई और जल आपूर्ति जैसी योजनाओं को ईएफए के विशाल मिशन के महत्वपूर्ण इनपुटों के रूप में देखना शुरू कर दिया है।
- अभियान ने और बड़ी संख्या में गैरसरकारी संगठनों और समुदाय के भागीदारों के बीच सहयोगात्मक संबंध स्थापित करके उन्हें निकट ला दिया है। मिशन के लक्ष्यों में एक समान कल्पना और प्रतिबद्धता पर आधारित व्यापक सहभागिता संभवत: ऐसा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो राष्ट्रीय प्रयासों की धारणीयता सुनिश्चित कर सकता है।

कुछेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी ओर और अधिक ध्यान देने तथा एकजुट प्रयास करने की आवश्यकता है :

- आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ा विश्लेषण और आंकड़ों का प्रयोग प्रगति को मापने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि मिशन को दिशा का एहसास हो सके।
- सभी क्रियाकलापों को मिशन के लक्ष्यों के साथ जोड़ना कार्यान्वयन प्रक्रिया की गति और प्रभाविता में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण है।
- सकल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचने के बाद ध्यान उपस्थिति और शिक्षा बीच में छोड़ने वालों पर रोक लगाने की तरफ लगाया जाना चाहिए।
- बच्चों को शिक्षा में बनाए रखने के लिए क्लासरूम प्रक्रियाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं और इसलिए उन्हें और अधिक गहराई से समझे जाने तथा गुणवत्तात्मक दृष्टि से बेहतर बनाए जाने की दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
- प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण की दशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है ताकि सभी की अधिगम उपलब्धियों में सुधार लाया जा सके।
- प्रशासनिक क्रियाविधियों की समीक्षा जरूरी है ताकि विभिन्न बाधाओं और क्रियाविधियों का उन्मूलन करके स्कूल में बच्चों का प्रवेश और उन्हें शिक्षा में बनाए रखने का काम सुगम बन सके।
- सिविल कार्य, जिस पर एसएसए निधियों का लगभग एक तिहाई व्यय जाता है, को अध्ययन परिवेश के अभिन्न अंग के रूप में लिया जाना चाहिए। इस प्रकार संदर्भ विशिष्ट स्कूल भवन डिजाइन पर ध्यान देना काफी महत्वपूर्ण है। ❑

सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राप्त संचयी प्रगति

- 66,147 प्रारंभिक स्कूल खोले गए।
- 17,454 नयी प्रारंभिक स्कूल इमारतों और 33,777 अतिरिक्त कमरों का निर्माण हुआ।
- 3,10,506 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की गई, और
- प्रारंभिक स्कूलों में अध्ययन करने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लगभग 6.15 करोड़ लड़कियों और बच्चों को 2004-05 में नि:शुल्क पाठयपुस्तकें प्रदान की गईं।

(संजय प्रताप सिंह, सहायक सूचना अधिकारी
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली द्वारा संकलित)

शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक शिक्षा

○ उर्मि ए. गोस्वामी

माध्यमिक स्कूल प्रणाली में शिक्षक प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बगैर प्रशिक्षित अध्यापकों के सुंदर भवन, उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकें और सुविधाएं भी प्रभावी नहीं हो पाएंगी

सरकार को उम्मीद है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप 2011 तक 6 से 14 वर्ष की आयुवर्ग के सभी बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। इसका अभिप्राय यह भी हुआ कि कक्षा नौ में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि होगी। यह माध्यमिक शिक्षा की आरंभिक कक्षा होती है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या हम इस वृद्धि के लिए तैयार हैं? इसका छोटा-सा उत्तर है - नहीं! क्या इसके लिए हमारी कोई योजना है? संभवत: है! क्या हम जानते हैं कि हम एक टाइम बम पर बैठे हैं? शायद हां!

अब इस पर बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की मौजूदा दर के संदर्भ में विचार करें। वर्तमान में 52 प्रतिशत बच्चे बुनियादी स्तर पर स्कूल छोड़ देते हैं और बचे हुओं में से केवल 20 प्रतिशत माध्यमिक कक्षा में प्रवेश कर पाते हैं। इस स्तर पर भी माध्यमिक विद्यालयों में हमें भीड़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। चूंकि विगत कुछ वर्षों से भारत अपने को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए इस स्थिति की ओर तत्काल ध्यान देना और आवश्यक हो जाता है। दुर्भाग्यवश, हमारी अर्थव्यवस्था की तरह यह स्थिति भी उलटी, संकुचित तथा अपूर्ण है। हमारे सूचना प्रौद्योगिकी के जानकारों की सफलता, हमारी इंजीनियरी शिक्षा प्रणाली की पहचान और सफलता, शिक्षित और अंग्रेजीदां लोगों की बड़ी संख्या के कारण विश्व के कार्यालय के रूप में भारत के उदय के कारण हम लोग विश्व की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में भारत को उदीयमान सितारा मान बैठे हैं। हालांकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा पास करने वाले छात्रों में से केवल 9.2 प्रतिशत को ही उच्च और ऊपर की शिक्षा मिल पाती है, इसके बावजूद उनकी संख्या काफी बड़ी होती है। इस संख्यात्मक स्वरूप की वजह से ही संभवत: अब तक सार्वभौम शिक्षा का अभाव ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान में सुराख नहीं कर पाई है।

भारत को यदि वास्तव में विश्व की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बनना है और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना है तो समय आ गया है कि हम अपना ध्यान अपनी शैक्षिक संरचना के निर्माण की ओर मोड़ें।

लंबे समय से बुनियादी शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य को 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इस दिशा में तुलनात्मक रूप से धीमी प्रगति हुई है। 2002 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके बाद सरकार ने आरंभिक स्तर की शैक्षिक संरचना पर मिशन के रूप में ध्यान देना शुरू किया। अब तक हम उच्च शिक्षा, खासकर तकनीकी शिक्षा पर ध्यान दे रहे थे। अब सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा हमने बुनियादी शिक्षा पर ध्यान देना आरंभ किया है।

बुनियादी शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच में 14 से 17 वर्ष की आयु वाले बच्चों की माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 से 12) का पड़ाव आता है। विश्व बैंक के अनुसार, इस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने से उनकी उत्पादकता में अशिक्षित कामगारों की तुलना में 2.9 प्रतिशत तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कामगारों की तुलना में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। अगर बड़ी तादाद में बच्चे आठवीं के बाद पढ़ाई छोड़ देंगे तो भारत के लिए ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की अपनी स्थिति को बनाए रख पाना कठिन हो जाएगा।

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की एक उपसमिति द्वारा तैयार एक रिपोर्ट में इसे ज्यादा स्पष्टतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। इससे वर्तमान शिक्षा प्रणाली के सम्मुख उपस्थित समस्या की प्रकृति की एक झलक

मिलती है। "बुनियादी शिक्षा पर्याप्त नहीं है - यह न तो बच्चे को कामकाजी दुनिया के लिए अपेक्षित ज्ञान और कौशल से लैश करती है, न ही यह अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। केवल आठ साल की बुनियादी शिक्षा के बाद किसी बच्चे के लिए कौन-से व्यावसायिक अथवा कैरियर के अन्य अवसर उपलब्ध होते हैं? निम्नस्तरीय सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (अर्ध-चिकित्सकीय, तकनीकी अथवा शिक्षक प्रशिक्षण) की पात्रता के लिए भी न्यूनतम बारहवीं कक्षा का प्रमाणपत्र अपेक्षित होता है।" तो यह स्थिति है। संविधान द्वारा राज्य को 14 साल तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा देने के निर्देश के लगभग 50 वर्षों के बाद प्राथमिक शिक्षा सबको उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है। आंकड़े इसके गवाह हैं।

2001 की जनगणना के अनुसार, 14 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या 9.17 करोड़ है। माध्यमिक शिक्षा इसी आयुवर्ग के लिए अपेक्षित होती है। 2011 तक इनकी संख्या 9.82 करोड़ हो जाने की संभावना है। नब्बे के दशक में 2.83 प्रतिशत वार्षिक दर से माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि दर्ज की गई थी जो 2000 से 2003 के दौरान बढ़कर 7.4 प्रतिशत वार्षिक हो गई।

मोटे अनुमान के अनुसार, वर्तमान में हमें 1.20 लाख विद्यालयों की माध्यमिक कक्षाओं में 1.97 करोड़ छात्रों को तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के 78 लाख छात्रों को समायोजित करना है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि स्कूलों की कक्षाओं में उनकी क्षमता से अधिक छात्र होंगे तथा विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा के लिए वहां उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हो जाएंगी। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के मद्देनजर इस स्थिति में सुधार भी नहीं होने जा रहा। स्पष्टत: बड़े पैमाने पर पूंजी तथा 'शैक्षिक प्रावधानों में गुणात्मक परिवर्तन अपेक्षित' हैं।

तो छात्रों की बाढ़ का हम क्या करें? हमें किन मुद्दों पर विचार करना चाहिए? यहीं शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की चुनौती उठ खड़ी होती है। सच्चाई यह है कि आज भी इंजीनियरी तथा चिकित्सा को छोड़कर व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुनने को अंतिम विकल्प ही माना जाता है। ऐसी स्थिति में, छात्रों के एक तबके को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तरफ मोड़ना अन्यायपूर्ण होगा। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि मौजूदा प्रतिस्पर्धी भूमंडलीकृत बाजार में कौशल का महत्वपूर्ण स्थान है। बुनियादी शिक्षा से लैस लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। अब हम फिर वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी - अर्थात बुनियादी शिक्षा मुहैया कराने पर। लेकिन यह बुनियादी शिक्षा आठवीं जमात पर ही खत्म नहीं हो जाती। अब तक व्यावसायिक शिक्षा को अकादमिक शिक्षा से अलग माना जाता रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि हमने अल्प सामर्थ्य वाले बच्चे तैयार किए। यथार्थ यह है कि मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में छात्रों को कौशल का ज्ञान देना ही होगा। यह अकादमिक शिक्षा को बाधित करना नहीं है। समय आ गया है कि हम व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा पर पुनर्विचार करें, खासकर तब जब माध्यमिक शिक्षा में बड़े पैमाने पर संशोधन-परिवर्द्धन किया जाना है।

एक अन्य मुद्दे को संख्या बढ़ाने के मद्देनजर प्राय: छोड़ दिया जाता है अथवा आगे के लिए स्थगित कर दिया जाता है। वह है गुणवत्ता का मुद्दा। 2001-02 में माध्यमिक विद्यालयों का 23.56 प्रतिशत निजी गैरसहायताप्राप्त स्कूल थे। 1996-97 में इन स्कूलों का प्रतिशत 18.1 प्रतिशत था। दूसरी तरफ 1996-97 में माध्यमिक स्कूलों का 45.7 प्रतिशत सरकारी तथा स्थानीय निकायों के विद्यालय थे जो 2001-02 में कम होकर 42.45 प्रतिशत ही रह गए। दूसरे शब्दों में, माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में हुई बढ़ोतरी काफी हद तक निजी गैरसहायताप्राप्त विद्यालयों की संख्या में हुई वृद्धि थी। काफी हद तक इसलिए, क्योंकि इन आंकड़ों में संभव है कि दो पालियों में पढ़ाने वाले स्कूलों तथा उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्कूलों में प्रोन्नत किए गए स्कूलों की संख्या शामिल नहीं हो। इन आंकड़ों से यह तथ्य भी छुप जाता है कि अब भी निजी गैरसहायताप्राप्त विद्यालयों में छात्रों की संख्या 15 प्रतिशत ही है, यह दीगर बात है कि उनकी कुल संख्या में वृद्धि हुई है।

लेकिन यदि हम इन आंकड़ों को संकेतों के रूप में लें, तो यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जा सकता है कि लोग अब माध्यमिक शिक्षा पर निजी व्यय में बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये आंकड़े यह भी इंगित करते हैं कि सरकार माध्यमिक शिक्षा पर व्यय करने से पीछे हट रही प्रतीत होती है। यह डराने वाली स्थिति है। क्योंकि आबादी का बहुलांश - लगभग 85 प्रतिशत अब भी माध्यमिक शिक्षा के लिए सरकार पर निर्भर करता है। सरकार के लिए यहां अपनी स्थिति साफ करने का अवसर है।

निजी गैरसहायताप्राप्त स्कूल क्यों फैल रहे हैं, इसकी वजह यह धारणा है कि वे बेहतर गुणवत्तायुक्त शिक्षा देते हैं, बच्चे अंग्रेजी और आईसीटी सीख पाएंगे तथा उन्हें एक खास सामाजिक व्यवस्था में प्रवेश मिल पाएगा। आखिरी मामले का तत्काल निदान नहीं दिखता। समय बीतने के साथ-साथ यदि सरकार निजी क्षेत्र से छात्रों को वापस ला पाई तो शायद स्थिति में परिवर्तन आ पाए। लेकिन गुणवत्ता, अंग्रेजी और आईसीटी के मामले में कुछ राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा इसका उदाहरण हैं जहां राज्य सरकारों ने एनआईआईटी जैसी निजी संस्थाओं के साथ मिलकर अपने स्कूलों को आईसीटी समर्थ बनाया है। इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय बजट में धनावंटन किया जाता है। जरूरत कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की है।

अधिकाधिक कक्षाओं का निर्माण करने और उपकरण उपलब्ध कराने में प्रशिक्षित शिक्षकों के मामले को भुला दिया जाता है। सच्चाई यह है कि मौजूदा 1.38 माध्यमिक विद्यालय तथा 11 लाख अध्यापक पर्याप्त नहीं होंगे। छात्रों की बढ़ती संख्या के लिए आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षक कहां हैं?

माध्यमिक विद्यालय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण बिंदु अध्यापकों का प्रशिक्षण होगा। बगैर प्रशिक्षित अध्यापकों के सुंदर भवन, उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकें और सुविधाएं भी प्रभावी नहीं हो पाएंगी।

शिक्षकों को बदलते समय के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षित करना होगा। हमें इस बारे में तत्काल सोचना शुरू कर देना चाहिए।

2001-02 में शिक्षा पर सरकारी व्यय सघउ का 4.02 प्रतिशत था। इसमें माध्यमिक शिक्षा पर व्यय 1.25 प्रतिशत था। नौवीं कक्षा में नामांकन में वृद्धि की संभावना को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा पर व्यय को भी काफी बढ़ाना होगा। यहां यह सवाल पैदा होगा कि भुगतान कौन करे?

2004 में सरकार ने 2 प्रतिशत शिक्षा प्रभार लगाया। यह राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप था जिसमें कहा गया था कि गुणवत्तायुक्त बुनियादी शिक्षा सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए संप्रग सरकार सभी केंद्रीय करों पर उपकर लगाएगी। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इसके आलोक में शिक्षा उपकर के रूप में वर्ष 2004-05 में 4.910 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2005-06 में 7,000 करोड़ रुपये उगाहे गए और यह पूरी राशि बुनियादी शिक्षा के लिए आवंटित कर दी गई।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सरकार ने शिक्षा पर सघउ का कम से कम 6 प्रतिशत सार्वजनिक व्यय करने तथा इसकी कम से कम आधी राशि प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा पर व्यय करने का वादा किया था। यह चरणबद्ध रूप से किया जाना है। इस उपकर से प्राप्त राशि का एक हिस्सा माध्यमिक शिक्षा के लिए आवंटित किया जाएगा अथवा नहीं, यह बहस का मुद्दा है। लेकिन बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रक्षेपित व्यय के आलोक में यह निरर्थक प्रतीत होता है।

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौम बनाने की अनुशंसा करते हुए इस पर आने वाली लागत का विस्तृत परिकलन किया है। सर्व शिक्षा अभियान को यदि 75 प्रतिशत सफलता मिलती है तो 2006-07 तक कक्षा नौ में नामांकन कराने वाले बच्चों की संख्या में 9.4 लाख की वृद्धि हो जाएगी। कक्षा नौ में नामांकन कराने वाले बच्चों की वर्तमान प्रक्षेपित संख्या 2.7 करोड़ है। इस वृद्धि से राज्यों एवं केंद्र दोनों को वर्ष 2006-07 में 5,676 करोड़ रुपये अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता होगी।

माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौम बनाने के लिए बोर्ड ने केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का सुझाव दिया है। चूंकि राज्य वित्तीय बोझ को वहन करने में असमर्थ होंगे, इसलिए बोर्ड ने अनुशंसा की है कि वित्त भार का बड़ा हिस्सा केंद्र वहन करे। हालांकि इसने यह भी स्वीकार किया है कि सार्वभौम माध्यमिक शिक्षा के लिए वित्त-व्यवस्था को केंद्र, राज्यों और समुदाय को मिलकर वहन करना चाहिए। इसका सुझाव है कि यह कार्यक्रम दसवीं योजना के शेष बचे वर्षों से ही आरंभ कर दी जाए और इसके वित्तभार को केंद्र और राज्य 85:15 के अनुपात में वहन करें। यह कार्यक्रम आगे 75:25 के अनुपात में वित्तभार वहन करते हुए जारी रखा जाए। कार्यक्रम की आयु लंबी होगी और इसे बारहवीं योजना में भी अनुसूची 5 और 6 में आने वाले क्षेत्रों एवं राज्यों के लिए जारी रखा जाएगा।

उपरोक्त हिस्से के अनुपात में केंद्र को 4,824.6 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी होगी। 2005-06 में माध्यमिक शिक्षा के लिए बजटीय अनुमान (गैर योजना) 787.51 करोड़ रुपये है। योजनागत राशि के साथ मिलाने पर बजटीय आवंटन 1,591.61 करोड़ रुपये हो जाता है।

इससे हमें यह ज्ञात हो जाता है कि हम किस तरह की वित्तीय प्रतिबद्धता दर्शा रहे हैं। इसमें बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने की सरकार की संवैधानिक प्रतिबद्धता को जोड़ लें। बुनियादी शिक्षा पर मौजूदा व्यय 47,000 करोड़ रुपये है तथा 2 प्रतिशत शिक्षा उपकर से इस साल 7,000 करोड़ एकत्र किए जाने की संभावना है। जाहिर है कि यह प्रभार पर्याप्त नहीं है। और, अधिक प्रभार लगाना अग्रगामी रास्ता नहीं है। ❑

(लेखिका दी इकोनॉमिक टाइम्स की प्रधान संवाददाता हैं। वह शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर लिखती हैं)

एडुसेट

एडुसेट अर्थात एजुकेशन सेटेलाइट एक संचार उपग्रह है जो भूस्थानिक कक्षा में स्थापित है। एडुसेट कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य कम लागत वाले शिक्षा कार्यक्रमों के जरिये शिक्षा को बढ़ावा देना और भारत के उन लोगों तक पहुंचना है जिन तक सामान्य ढंग से पहुंचना मुश्किल होता है। इस उपग्रह को खासतौर से ऐसा डिजाइन किया गया है कि वह देश के विभिन्न क्षेत्रों तक अपने कार्यक्रम पहुंचा सके। यह 5 क्षेत्रीय बीम और एक राष्ट्रीय बीम के जरिये अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है।

इसके जरिये प्रसारित कार्यक्रम मुख्य रूप से स्कूलों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए होते हैं। यह अनौपचारिक शिक्षा में भी सहायक है। अपने कार्यकाल के शुरुआती चरण में एडुसेट के कार्यक्रम प्रति बीम 100 से 200 कक्षाओं तक पहुंचेंगे। पूरी तरह से चालू हो जाने पर इसमें 30 अपलिंक की क्षमता होगी और हर अपलिंक के जरिये 5,000 सुदूरवर्ती टर्मिनलों तक पहुंचा जा सकेगा। इस उपग्रह के पूरी तरह से चालू हो जाने पर इसके जरिये डेढ़ लाख ग्राउंड टर्मिनलों तक कार्यक्रम पहुंचाए जा सकेंगे। ❑

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में निरूपित साक्षरता अपने आप में कोई साध्य नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति एवं शिक्षित समाज का निर्माण सुनिश्चित करने वाले परिवर्तन का एक सक्रिय और सक्षम साधन बनना चाहिए

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की मई 1988 में स्थापना के साथ एक राष्ट्रीय प्रयास की शुरुआत हुई थी। व्यक्तिगत, सामूहिक और राष्ट्रीय जीवन में प्रौढ़ साक्षरता की भूमिका की व्याख्या करने और उसे प्रासंगिक बनाने के लिए, नियोजन और क्रियान्वयन के स्तर पर एक ठोस प्रयास किया गया ताकि मिशन के लक्ष्यों को वास्तविकतापूर्ण ढंग से पूरा किया जा सके। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यात्मक साक्षरता के लिए अक्षर ज्ञान और संख्यात्मक ज्ञान में आत्मनिर्भरता की साधारण उपलब्धि से परे जाता है। कार्यात्मक साक्षरता की उपलब्धि का अर्थ है – राष्ट्रीय एकीकरण, पर्यावरण संरक्षण, महिला समानता, छोटा परिवार मानदंड का अनुपालन आदि के मूल्यों का संचार करना। इस प्रकार मिशन में निरूपित साक्षरता अपने आप में कोई साध्य नहीं है, बल्कि इसे इन सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति एवं शिक्षित समाज के निर्माण को सुनिश्चित करने वाले परिवर्तन का एक सक्रिय और सक्षम साधन होना चाहिए। कार्यात्मक साक्षरता की प्राप्ति का परिणाम सशक्तीकरण और जीवनस्तर में एक सुनिश्चित सुधार होता है। इससे सूचना युग के लाभों को बांटने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना है, यानी 15-35 वर्ष के निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान कर वर्ष 2007 तक 75 प्रतिशत की पोषणक्षम प्रभावसीमा को प्राप्त करना। इसकी उद्देश्यपूर्ण और प्रभावकारी शिक्षा से उत्पादकता वृद्धि, स्वास्थ्य देखरेख सुधार, परिवार कल्याण और समुदाय के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बेहतरी के रूप में अच्छे परिणाम सामने आते हैं। इस आयुवर्ग के अलावा, इस आयु समूह से बाहर के लोगों को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया है, खास कर 9-14 वर्ष के उन बच्चों को जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना विभाग के एक स्वतंत्र और स्वायत्त स्कंध के रूप में, उसके कार्य क्षेत्र में कार्यकारी एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान करते हुए की गई थी।

प्राधिकरण की एक महापरिषद, कार्यकारी समिति और एक परियोजना मंजूरी समिति होती है। महापरिषद मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है और साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में नीतियां और कार्यक्रम तैयार करती है। कार्यकारी समिति सचिव, प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता की अध्यक्षता में प्राधिकरण के अन्य सभी कार्य करती है। परियोजना मंजूरी समिति साक्षरता परियोजनाओं पर विचार कर उन्हें वित्तीय सहायता हेतु मंजूरी देती है।

साक्षरता से आगे

साक्षरता प्रौढ़ शिक्षा की दिशा में एक बुनियादी कदम है जो एक जीवनपर्यंत अधिगम की योजना है और संप्रेषण एवं सूचना की दुनिया के लिए एक प्रवेश बिंदु है। प्रौढ़ साक्षरता के क्रमिक और वैकल्पिक माडलों का प्रयोग करने के बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने साक्षरता-उन्मूलन की मूल रणनीति के रूप में पूर्ण साक्षरता अभियान को अपनाया। यह अभियान मुख्यत: 15-35 वर्ष के आयु-समूह की निरक्षर आबादी को बुनियादी साक्षरता प्रदान करता है। यह देश के लगभग सभी जिलों में आरंभ किया गया है। इन अभियानों को जिला साक्षरता समितियों के माध्यम से चलाया जाता है जो स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय हैं और जिनमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है।

लक्ष्य ग्रासरूट स्तर पर एक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किए जाते हैं। ये सर्वेक्षण आयोजना, अभिप्रेरण और वातावरण निर्माण के साधन का काम भी करते हैं। हालांकि अभियान का लक्ष्य कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना होता है, तथापि यह सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक कई अन्य संदेशों को भी उपलब्ध कराता है जैसे कि स्कूलों में बच्चों का नामांकन और अभिधारण, रोग-प्रतिरक्षा, छोटा परिवार मानदंड का प्रचार-प्रसार, महिला समानता और

सशक्तीकरण, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द आदि।

एकीकृत दृष्टिकोण

पूर्ण साक्षरता अभियानों के सफल क्रियान्वयन के साथ करोड़ों निरक्षर बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस बात की अधिक संभावना है कि यदि उनकी साक्षरता को ठोस और टिकाऊ न बनाया गया तो वे फिर से आंशिक या पूर्णत: निरक्षर बन सकते हैं। बुनियादी शिक्षा के पहले दौर, और उसके सुदृढ़ीकरण, उपचारीकरण और दक्षता-उन्नयन के दूसरे दौर को अब एक समन्वित परियोजना माना जा रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम सफलतापूर्वक अविच्छिन्न शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ें। ये जीवनपर्यंत अधिगम प्रदान करते हैं।

अवशिष्ट निरक्षरता

हालांकि पूर्ण साक्षरता मिशन जनांदोलन का रूप ले कर देशभर में फैल गया है पर अनेक मामलों में प्राकृतिक विपदाओं, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, कलेक्टरों के बार-बार स्थानांतरण आदि की वजह से बाधा आई। रुकी हुई परियोजनाओं को पुन: बहाल करना प्राथमिकता पर है। साक्षरता चरण की सफलता के बावजूद अवशिष्ट निरक्षरता वाले स्थान अभी भी मौजूद हैं। अब तक कार्यक्रम के दायरे में न आए जिलों को और 30 प्रतिशत से कम महिला साक्षरता वाले जिलों को कवर करना जारी रखे जाने की योजना है। महिलाओं और वंचित समूहों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता रहेगा।

केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्त-पोषण का मौजूदा अनुपात 2:1 है, लेकिन जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आने वाले जिलों में यह अनुपात 4:1 है। अब क्रियान्वयन एजेंसियों को साक्षरता के बाद के चरण और सतत शिक्षा के अग्रिम चरण सहित बुनियादी शिक्षा कार्यकलापों पर खर्च करने की अनुमति मिल गई है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की मुख्य बातें

- वर्ष 2001 में साक्षरता दर 1991 में 52.21 प्रतिशत के मुकाबले 64.8 प्रतिशत दर्ज की गई। इस अवधि में 12.59 प्रतिशत की वृद्धि किसी भी दशक की सर्वोच्च वृद्धि है।
- 31 मार्च, 2004 तक 11.82 करोड़ लोगों को साक्षर बनाया गया।
- ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता वृद्धि दर शहरी क्षेत्रों से अधिक है।
- पुरुष-महिला साक्षरता दर में अंतर 1991 के 24.84 प्रतिशत से घटकर 2001 में 21.6 प्रतिशत हो गया।
- पिछले दशक के दौरान महिला साक्षरता दर 14.41 प्रतिशत बढ़ी अर्थात 39.3 प्रतिशत से बढ़कर 53.70 हो गई, जबकि पुरुष साक्षरता दर 11.17 प्रतिशत बढ़ी अर्थात 64.13 से बढ़कर 75.3 प्रतिशत हुई।
- इसके फलस्वरूप लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि 60 प्रतिशत सहभागी और लाभार्थी महिलाएं हैं।
- वर्ष 1991-2001 के दौरान सात वर्ष से अधिक आयु वाली आबादी 17.16 करोड़ बढ़ी, जबकि 20.36 करोड़ लोग साक्षर बने।
- 1991-2001 के दौरान समस्त राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में साक्षरता वृद्धि हुई है।
- समस्त राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पुरुष साक्षरता दर अब 60 प्रतिशत से अधिक है। केरल की साक्षरता दर उच्चतम 90.92 प्रतिशत और बिहार की निम्नतम 47.53 प्रतिशत है।
- निरक्षरों की निरपेक्ष संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। यह संख्या 1991 में 32.89 करोड़ से घटकर 2001 में 30.4 करोड़ हो गई है।
- देश के कुल 600 जिलों में 596 जिले राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा कवर किए जा रहे हैं।

निम्न महिला साक्षरता दर वाले जिलों पर विशेष ध्यान

2001 की जनगणना के अनुसार देश के 45 जिलों की महिला साक्षरता दर 30 प्रतिशत से कम है। इसलिए निम्न महिला साक्षरता से निपटना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए अत्यंत चिंता का विषय है और इसलिए सुधार करने के लिए 45 निम्न महिला साक्षरता जिलों को लक्षित करने का निर्णय लिया गया। चूंकि इनमें से अधिकांश जिले उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में संकेंद्रित हैं इसलिए महिला साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए इन जिलों में विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में महिला साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए 15-35 आयु वर्ग में 25 लाख निरक्षर महिलाओं को कवर करने के वास्ते, त्वरित महिला साक्षरता परियोजना नामक एक विशेष परियोजना शुरू की गई है। ये जिले हैं : महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, रामपुर और बदायूं। कार्यक्रम को 97 स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया।

बिहार में महिला साक्षरता

बिहार में महिला साक्षरता कार्यक्रम को, पहले चरण में 13 निम्न महिला साक्षरता जिलों में कार्यान्वित

किया गया जिसमें 15-35 आयु वर्ग की 24.03 लाख महिलाओं को कवर किया गया। ये जिले थे : पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगरिया, बांका और जमुई। परियोजनाओं को पंचायतीराज कार्यकर्ताओं, महिला स्वयंसेवी अध्यापकों और महिला स्वयंसेवी समूहों की सक्रिय भागीदारी के साथ संबंधित जिलों की जिला साक्षरता समिति के तत्वावधान में कार्यान्वित किया गया।

प्रमुख विशेषताएं

- विशेष महिला साक्षरता कार्यक्रम, चालू संपूर्ण साक्षरता अभियान पीएलपी कार्यक्रमों के साथ-साथ, जिन्हें मिशन द्वारा पहले ही मंजूर किया जा चुका था, जिला साक्षरता समितियों द्वारा कार्यान्वित किए गए।
- विशेष महिला साक्षरता कार्यक्रम जनवरी 2003 में शुरू हुए और दिसंबर 2003 में संपन्न हो गए।
- जिला साक्षरता समितियों ने अध्यापिकाओं, महिला सामाजिक संस्थाओं, महिला और बाल विकास अधिकारियों व जिले के अन्य महिला अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ, जिला, ब्लाक और पंचायत स्तर पर महिला समितियां गठित की थी।
- किशनगंज और अररिया जैसे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम जनसमुदाय के बीच साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए इमामों से अपील कराई गई।
- परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, एसआरसी और दीपायन द्वारा नियमित रूप से देखरेख की गई।
- चुनिंदा महिला साक्षरता केंद्रों में पूरक पठन सामग्री वितरित की गई।
- दस दिन के रिहायशी शिक्षण शिविरों के अंतर्गत लगभग 2,000 निरक्षर महिला पीआरआई को कवर किया गया।
- प्रत्येक जिले से 200 उत्कृष्ट महिला स्वयंसेवी अध्यापकों का चयन किया गया और उन्हें स्वसहायता समूहों के गठन में दक्ष प्रशिक्षणार्थियों के रूप में प्रशिक्षित किया गया।
- एक निश्चित पाठ्यक्रम में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के वास्ते 300 उत्कृष्ट महिला स्वयंसेवी अध्यापकों के एक अन्य समूह को चुना गया है। अभी तक 6 जिलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला दल प्रशिक्षित किया गया है।
- 13 जिलों में महिला साक्षरता कार्यक्रम परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। 13 जिलों में से 8 जिलों के परिणाम 60 प्रतिशत से ऊपर रहे (पश्चिमी चंपारण 92 प्रतिशत, पूर्वी चंपारण 90 प्रतिशत, खगरिआ 61 प्रतिशत और सीतामढ़ी 60 प्रतिशत)। 4 जिलों का परिणाम 60 प्रतिशत से कम रहा तथा एक जिले के परिणाम की प्रतीक्षा है।

उड़ीसा में त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम

उड़ीसा में 9 जिलों को, जहां महिला साक्षरता दर निम्न है, त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम के लिए विशेष परियोजना के अंतर्गत कवर किया गया है। ये जिले हैं : कोरापुट, नवरंगपुर, मलकनगिरी, रायगढ़, कालाहांडी, गजपति, सोनपुर और नौपाड़ा।

कार्यक्रम को 15-35 आयु वर्ग में 10.43 लाख निरक्षर महिलाओं को कवर करते हुए 117 स्वयंसेवी संगठनों के एक नेटवर्क द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए राज्य संसाधन केंद्र, भुवनेश्वर, नोडल एजेंसी है।

झारखंड में विशेष महिला साक्षरता कार्यक्रम

विशेष महिला साक्षरता कार्यक्रम झारखंड में 5 निम्न महिला साक्षरता जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ये जिले हैं : पाकुर, साहिबगंज, गिरिडीह, गरहवा और गोड्डा। कार्यक्रम को पंचायतीराज संस्थानों/महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि की सक्रिय भागीदारी के साथ संबंधित जिले की जिला साक्षरता समितियों के तत्वावधान में कार्यान्वित किया जा रहा है।

कार्यक्रम के अंतर्गत 15-35 आयु वर्ग की लगभग 5 लाख निरक्षर महिलाओं को कवर किया जा रहा है। इन जिलों में महिला साक्षरता कार्यक्रमों की निगरानी और संसाधन सहायता प्रदान करने के वास्ते एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान, पटना के तत्वावधान में एक विशेष संसाधन-सह-सहायता समूह अगस्त 2003 में गठित किया गया था।

सतत शिक्षा

सतत शिक्षा, मानव संसाधन विकास कार्ययोजना और शिक्षार्थी समाज के सृजन के लक्ष्य के लिए एक अनिवार्य पहलू है। पिछले दशक की उपलब्धियां निष्फल न जाएं यह देखने के लिए सभी हिस्सेदारों को सम्मिलित प्रयत्न करने की जरूरत होगी। विश्व के शिक्षाविद् प्रौढ़ प्राथमिक शिक्षा की संकीर्ण धारणा से परे जाने के महत्व को अधिकाधिक महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने सतत शिक्षा को अपने क्रियाकलापों का एक आवश्यक घटक बनाया है।

सतत शिक्षा स्कीम देश में संपूर्ण साक्षरता और साक्षरता पश्चात कार्यक्रमों के प्रयत्नों को शैक्षिक निरंतरता प्रदान करती है। पुस्तकालय, वाचनालय, शिक्षण केंद्रों, खेलों और सांस्कृतिक केंद्रों तथा अन्य व्यक्तिगत रुचि संवर्धन कार्यक्रमों की सुविधाएं प्रदान करके लगभग 2000-2500 लोगों की आबादी की सेवा के लिए सतत शिक्षा केंद्रों (सीईसी) और नोडल सतत शिक्षा केंद्रों (एनसीईसी) की स्थापना के द्वारा नवसाक्षरों को आगे शिक्षण अवसर प्रदान करने पर मुख्य जोर दिया जा रहा है। समतुल्यता कार्यक्रम, जीवन गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, आय सर्जक कार्यक्रम और व्यक्तिगत रुचि संवर्धन कार्यक्रमों जैसे विभिन्न क्रियाकलाप चलाने के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। दस से पंद्रह ऐसे केंद्र क्लस्टर समूह का निर्माण करते हैं और उनमें से एक नोडल सीईसी के रूप में कार्य करता है।

सतत शिक्षा के अंतर्गत ग्राम पुस्तकालयों की स्थापना शामिल है। इससे देशभर में अधिक पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध होंगी। यह विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि अधिकांश जिलों द्वारा साक्षरोत्तर कार्यक्रम तथा और

अधिक अविच्छिन्न शिक्षा चरण पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है और यह प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में करता है। यह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का कार्यात्मक अंग है जो मिशन के तत्वावधान में शुरू की गई विभिन्न स्कीमों की मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का मुख्य कार्य शैक्षणिक और तकनीकी सहायता को बढ़ावा देना और मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करना है।

वर्तमान स्थिति

देश में 600 जिलों में से 596 को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ले लिया गया है - 142 पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत, 182 को साक्षरोत्तर कार्यक्रम के अंतर्गत और 272 को अविच्छिन्न शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत। 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार लगभग 11.82 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा चुका है। इनमें से लगभग 60 प्रतिशत लाभभोगी महिलाएं हैं तथा 22 प्रतिशत और 12 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड साक्षरता दौड़ में पिछड़ते रहे हैं। अभियान शुरू होने से पहले इन राज्यों की निराशाजनक साक्षरता दरें धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी हैं। इन स्थितियों में नये प्रयासों की जरूरत थी। 2001 के जनगणना आंकड़ों ने अत्यधिक उत्साहवर्धक प्रवृत्ति दिखाई है और यह प्रसन्नता की बात है कि साक्षरता वृद्धिदर इन राज्यों में अन्य अधिकांश राज्यों की तुलना में अधिक है। इस प्रकार प्रारंभिक धीमी सफलता के बावजूद इन राज्यों ने भी अभियान के सारे तत्व एवं भावना को अंगीकार कर लिया है।

मिशन के साक्षरता कार्यक्रमों का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम गैरसाक्षरों की कुल संख्या में आई गिरावट है। देश में आबादी की वृद्धि के प्रभाव को पराभूत करना एक साहसिक चुनौती थी। स्वतंत्रता के बाद पहली बार साक्षरता वृद्धि ने आबादी वृद्धि को पार कर लिया है।

सामाजिक प्रभाव

साक्षरता अभियानों द्वारा उत्पन्न सामाजिक अभिप्रेरण एवं गतिशीलता का अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ा है, विशेषकर महिलाओं की अधिकारिता, स्वास्थ्य एवं आबादी स्थायित्व एवं पर्यावरणीय जागरूकता पर। पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा प्रभावकारी सामाजिक कार्रवाई के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। समाज में बोलने की आजादी को बढ़ावा देकर, विशेषकर अधिकारविहीन वर्गों में जनतांत्रिक भागीदारी को समृद्ध किया गया है। अभियानों ने समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और भारत की महान सामाजिक संस्कृति में वैज्ञानिक अभिरुचि एवं अपनत्व की भावना भरने तथा अनेकता में एकता की भावना जगाने का कार्य किया है। ❑

(योजना (हिंदी) द्वारा संकलित)

भारतीय अर्थव्यवस्था

सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर इतनी अद्यतन जानकारी इतने कम मूल्य पर अन्यत्र दुर्लभ है

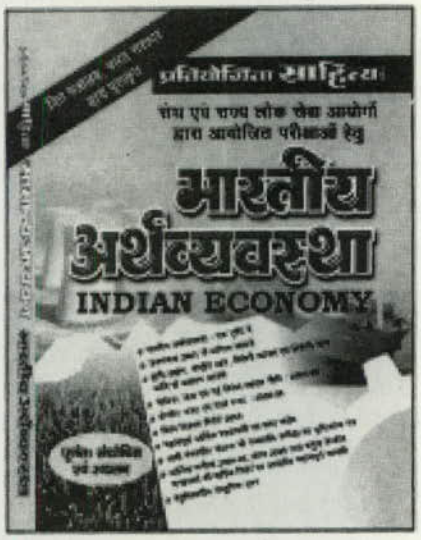

प्रमुख आकर्षण

• रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की नई वार्षिक ऋण एवं मौद्रिक नीति, 2005-2006 • नई विदेश व्यापार नीति 2005-2006 • केन्द्रीय बजट 2005-2006 • रेलवे बजट 2005-2006 • आर्थिक सर्वेक्षण 2004-2005 • भारत 2005 • World Economic Outlook April, 2005 • Statistical Outline of India 2004-05 • सितम्बर 2004 में जनगणना आयोग द्वारा भारत की जनगणना से सम्बन्धित प्रकाशित अन्तिम आंकड़ों का समावेश • केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट 2004-2005 • विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2005 • अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक रिपोर्ट 2004 • Statesman's Year Book 2005 • रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की 'मुद्रा एवं वित्त' रिपोर्ट 2003-2004 • रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की 'भारत में बैंकिंग एवं प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट' 2003-2004 • विश्व व्यापार संगठन (WTO) की वार्षिक रिपोर्ट 2004 • अंकटाड (UNCTAD) की विश्व निवेश रिपोर्ट 2004 • मानव विकास रिपोर्ट 2004 • Global Development Finance 2004 • दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 • 545 वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रश्नों सहित

Book Code : 851 ◆ Pages : 248 ◆ Price : Rs. 100/-

प्रतियोगिता साहित्य

Hospital Road, Agra-3 ☎ 0562-2853400 Fax 2851568
Email: info@sbpagra.com *or* visit www.sbpagra.com

YH/9/5/05

केब की सिफारिशें और शिक्षा की चुनौतियां

○ विमल कुमार

शिक्षा में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और इसके कुछ पहलुओं पर देश में आम सहमति बनाकर सरकार को योजना की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए

मानवाधिकारों के अंतरराष्ट्रीय घोषणा पत्र, 1948 में कहा गया था कि हर मनुष्य को शिक्षा का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर समान रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। पिछले करीब साठ सालों में उच्च शिक्षा की तो बात छोड़िए, पूरे विश्व में प्राथमिक शिक्षा का भी लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है। संयुक्त राष्ट्र की सहस्राब्दी घोषणा में 2015 तक पूरी दुनिया में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

ऐसे में भारत में शिक्षा की स्थिति पर विचार करते समय हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करना होगा। भारत एक विकासशील देश है और मानव विकास रिपोर्ट में इसका 132वां स्थान है। जाहिर है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अचानक कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आ सकता। खासकर ऐसे समय में जब आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण मनुष्य के जीवन के बुनियादी मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों में ही परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हो तथा राज्य एवं समाज के स्वरूप तथा प्राथमिकताओं को भी बदल रहा हो। किंतु यह भी सच है कि संसाधनों का अभाव और गरीबी शिक्षा के प्रचार-प्रसार में बाधा नहीं हैं क्योंकि भारत से पिछड़े कई देशों ने, जिनमें अनेक एशियाई देश भी शामिल हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक प्रगति की है। लेकिन भारत में शिक्षा के सवालों पर कोई भी सार्थक विमर्श शुरू करते समय इन बातों पर गौर करना ही होगा कि आजादी के समय औपनिवेशिक शिक्षा की छाया और संसाधनों का अभाव महत्वपूर्ण कारक थे। अब लगभग साठ सालों में आबादी बढ़ने से संसाधनों का संकट तो बना ही हुआ है, बाजार की विकृति और भगवाकरण की नयी चुनौतियां भी सामने उत्पन्न हो गई हैं। आजादी के बाद गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को दूर करने का कोई क्रांतिकारी परिवर्तन तो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हो पाया। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा धरी की धरी रह गई। इतिहास से लेकर भाषा तक में हम औपनिवेशिक मूल्यों को ढोते रहे। संसाधनों की इस कदर कमी रही कि कोठारी आयोग की 1961 की यह सिफारिश कि सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाए, आज तक लागू नहीं हो पाई।

अब, संप्रग सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शिक्षा का बजट छह प्रतिशत करने की बात कही है। मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने भी उम्मीद जताई है कि अगले चार वर्षों में यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा, पर इससे शिक्षा की चुनौतियां कम नहीं हो पातीं। केब की सिफारिशों को इन्हीं आलोक में देखना होगा।

यह सच है कि राजग शासनकाल ने वर्तमान सरकार के लिए शिक्षा के सामने कुछ नयी समस्याएं भी पैदा कर दीं। यूपीए सरकार का एक साल इन्हीं समस्याओं से निबटने में लगा। शिक्षा का भगवाकरण ऐसी ही एक समस्या है जो आजादी के बाद तो नहीं थी पर पिछले कुछ वर्षों में हिन्दुत्ववादी ताकतों के उभार से पैदा हुई। राजग शासनकाल में तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन ही नहीं हुआ। करीब दस साल के बाद यूपीए सरकार ने इसका पुनर्गठन कर सात उपसमितियां भी गठित कीं और इन समितियों ने अपनी-अपनी रिपोर्टें भी पेश कीं। पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की दो दिवसीय बैठक में इन रिपोर्टों पर सार्थक बहस भी हुई और मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक को छोड़कर शेष सभी छह रिपोर्टों पर आम सहमति बनी। अर्जुन सिंह ने यह भी कहा कि इन रिपोर्टों के आधार पर देश में शिक्षा का मार्गदर्शक खाका तैयार होगा। राजीव गांधी की नयी शिक्षा नीति के बाद देश में यह शिक्षा के क्षेत्र में दूसरी बड़ी कवायद है।

राजस्थान के शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवाड़ी, पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री कांति विश्वास, असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, योजना आयोग के सदस्य भालचंद्र मुंगेकर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल, साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष यू.आर. अनंतमूर्ति तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जोवा हसन तथा गोपाल गुरू की अगुवाई वाली इन समितियों ने अपनी रिपोर्टों में ऐसी सिफारिशें की हैं, जिन्हें पूरी तरह लागू किया गया तो भविष्य में शिक्षा की नयी तस्वीर बन सकती है, और पूरा परिदृश्य ही बदल सकता है। यों तो हर रिपोर्ट में कुछ खामियां,

कुछ सीमाएं और कुछ अधूरापन रह ही जाता है। पर, सभी रिपोर्टें कमोबेश अच्छी हैं तथा पूरी मेहनत के साथ बनाई गई हैं। कुछेक अपवादों को छोड़कर सभी रिपोर्टों में शिक्षा के मौजूदा स्वरूप और ढांचे में बदलाव लाने की बातें कहीं गई हैं।

इन रिपोर्टों में जो मुख्य सैद्धांतिक बातें सामने आई हैं, वे यह हैं कि देश के स्कूलों में जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, उनमें लैंगिक तथा सामाजिक समानता, धर्मनिरपेक्षता और रचनात्मकता का गहरा अभाव है। इनमें शिशु मंदिर से लेकर मदरसे तक शामिल हैं। पूरी शिक्षा ऐसे लोगों के हाथों में चली गई है जिनके पास वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील दृष्टि का नितांत अभाव है। बाजार और हिंदुत्व ने इसे खूब प्रश्रय भी दिया है। जिन राज्यों में धर्मनिरपेक्ष सरकारें हैं, मसलन बिहार और उत्तर प्रदेश, वहां भी यह समस्या बनी हुई है। यानी अधकचरी इतिहास दृष्टि और गैरपेशेवर रवैये ने यह विकृति पैदा की है। इस दृष्टि से जोया हसन की रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। इस समिति ने राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक परिषद गठित करने की सिफारिश की है। इस परिषद से काफी चीजें नियंत्रित की जा सकती हैं।

शिक्षा में बाजार की विकृति को दूर करने वाले निजी एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं पर अंकुश लगाने के लिए केब की बैठक में इस संबंध में एक विधेयक भी सदस्यों के बीच वितरित किया गया। यह विधेयक हालांकि किसी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं था। केब की रिपोर्टों में महत्वपूर्ण रिपोर्ट सिब्बल समिति द्वारा तैयार मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक है। केब में हालांकि इस पर आम सहमति नहीं बन पाई। अर्जुन सिंह ने कहा भी कि इस पर अभी और विचार-विमर्श किए जाने की जरूरत है। केब के कई सदस्य इस विधेयक को पब्लिक स्कूलों के समर्थन तथा कामन स्कूल सिस्टम का विरोधी मानते हैं। उनका यह भी कहना है कि विधेयक में मुफ्त शिक्षा की वित्तीय जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से सरकार पर नहीं सौंपी गई है। देखना है, विचार-विमर्श के बाद यह विधेयक किस रूप में सामने आता है। तभी इस पर कुछ टिप्पणी की जा सकती है। बहरहाल पब्लिक स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को दाखिला देने की इसमें सिफारिश की गई है।

तीसरी महत्वपूर्ण रिपोर्ट मुंगेकर समिति की है। इसमें कालेजों तथा विश्वविद्यालयों की फीस प्रत्येक छात्र पर खर्च होने वाली कुल राशि का बीस प्रतिशत करने की बात कही गई है। इनमें आईआईटी एवं आईआईएम शामिल नहीं हैं। मुंगेकर समिति ने भी शिक्षा का बजट सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत करने तथा अमीर वर्ग पर कुछ नये कर लगाने का प्रस्ताव किया है। अभी भारत में 8-9 प्रतिशत छात्र ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, जबकि अमरीका जैसे विकसित देश में करीब 80 प्रतिशत छात्र उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। मुंगेकर समिति का मानना है कि यह प्रतिशत कम से कम 20 होना चाहिए। विकास के लिए यह आवश्यक है। मुंगेकर समिति विदेशी शिक्षा संस्थाओं के भारत में प्रवेश से पहले एक नियामक तंत्र विकसित करने के पक्ष में है। कांति विश्वास समिति ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने और उसे स्वायत्तता दिए जाने के पक्ष में सिफारिशें की हैं। आज विश्व के श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थानों में भारत का एक भी शिक्षण संस्थान शुमार नहीं है। यह अलग बात है कि भारत की प्रतिभाएं नासा और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में विदेशी प्रतिभाओं के लिए चुनौतियां पैदा कर रही हैं। केब की बैठक में इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई कि विश्वविद्यालयों का स्तर गिरता जा रहा है, इसलिए उन्हें स्वायत्तता प्रदान कर देने से ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं आ पाएगा। केब के सदस्यों को चिंता इस बात की भी थी कि वित्तीय मामलों में स्वायत्तता देने से कहीं शिक्षण संस्थान मनमाना फीस आदि न वसूलने लगें। घनश्याम तिवाड़ी की समिति ने सर्वशिक्षा अभियान की तरह माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की सिफारिश की है।

इस तरह देखा जाए तो केब की इन समितियों ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन के लिए काफी कुछ सिफारिशें की हैं। यहां केवल मुख्य सिफारिशों की ही चर्चा की गई है। सभी सिफारिशों की चर्चा इस लेख की सीमा में संभव भी नहीं है। यूपीए सरकार के आलोचक भी मानते हैं कि ये सिफारिशें काफी रचनात्मक, सार्थक, परिवर्तनकारी और महत्वपूर्ण हैं, पर सवाल है कि क्या ये सिफारिशें पूरी तरह लागू हो पाएंगी। इनके क्रियान्वयन के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है और जारी सिफारिशें इस बात पर निर्भर करती हैं कि सरकार इनके लिए कितना संसाधन जुटा पाती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अलावा वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग की भागीदारी के बगैर यह संभव नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र में भविष्य में कैसी सरकार आती है। अगर वह प्रतिगामी सरकार होगी तो निस्संदेह इन सिफारिशों की कांट-छांट और कतर-ब्योंत करेगी। बहरहाल इन सिफारिशों के आधार पर शिक्षा का नया रोडमैप निकट भविष्य में तैयार होगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि इस रोडमैप की मंजिल क्या होगी, यानी इन सिफारिशों के आलोक में देश में रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे क्योंकि इन सिफारिशों की सार्थकता तभी है जब बच्चे पढ़-लिखकर निकलें तो उनके सामने हम रोजगार की व्यवस्था कर सकें अन्यथा शिक्षित बेरोजगारों की एक और बड़ी फौज निकट भविष्य में खड़ी होगी। लेकिन यूपीए सरकार, विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह जिस तरह अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं उससे उम्मीद की नयी किरण नजर आती है। मंजिल दूर और धुंधली सही, रास्ता तो बन रहा है। वैसे शिक्षा में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और इसके कुछ पहलुओं पर देश में आम सहमति बनाकर सरकार को योजना की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। जैसे विदेश नीति और रक्षा नीति के मामले में एक राष्ट्रीय आम सहमति है, वैसी ही आम सहमति शिक्षा में भी होनी चाहिए, तभी यह रोडमैप कारगर होगा। ❑

(लेखक यूनीवार्ता के विशेष संवाददाता और युवा कवि हैं)

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 : एक विमर्श

○ कौशलेन्द्र प्रपन्न

पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए कि वह युवा पीढ़ी को नयी प्राथमिकताओं व बदलते सामाजिक संदर्भ में उभरते दृष्टिकोणों के परिप्रेक्ष्य में पुनर्मूल्यांकन व पुनर्व्याख्यायित करने में सक्षम बना सके। बच्चों को परीक्षा बनाम शिक्षा के तनाव से मुक्ति के उपाय के लिए प्रतिबद्ध यह दस्तावेज विभिन्न शिक्षाविदों, विषय–विशेषज्ञों को उपयोगी सुझाव एवं एहतियात बरतने का इशारा करता है

"माना न रोशनी है, न कमरा, न ओसारा है / टीचर, स्कूल, सब झूठे रजिस्टरों का मारा है / सहारा लो अभी झुटपुटे का, उजाले का / क्या करेंगे ऐसे लाले का, पाठशाले का। / माना अकेले ही तुम, पर दस को पढ़ाओ / फिर दस गुना, दस गुना दस ..... बढ़ाते जाओ।"

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये पंक्तियां हमारी शिक्षा-व्यवस्था की नब्ज पर हाथ धरती हैं और उसके एक-एक शब्द हमारी शैक्षिक परिदृश्य को उघाड़ती चलती हैं। शिक्षा के चरित्र को राजनीति, विचारधारा, समाज के साधन-संपन्न वर्ग, सत्ता आदि जिस कदर प्रभावित करते हैं उससे इतना तो तय है कि उनके हित तो सधते हैं; उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि एक निर्णय, एक बदलाव से हजारों, लाखों बच्चे प्रभावित होंगे। ज्ञान भिक्षु (बच्चे) निजी स्कूलों की चौखट से दुत्कारे जाएंगे और अंततः सरकारी स्कूल की मड़इया में शरणागत होंगे। उन तमाम बच्चों को पाठ्यक्रम की मुख्यधारा से भी विलगा दिए जाने की प्रक्रिया (अप्रत्यक्ष) भी उनके निर्णय, से शुरू होती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्मित नयी पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों को लगभग हर शासन काल में अपने-अपने रंग-ढंग, शैली और भाषा में गढ़ने की कोशिश की जाती रही है। इसीलिए सन् 2000 में तैयार पाठ्यचर्या पर मुख्य आरोप यही लगाया गया कि यह शिक्षा का भगवाकरण है। इतिहास के पाठ्यपुस्तकों से वामपंथी (तथाकथित) इतिहासकारों की किताबें, पाठ पंक्तियों को कान पकड़ कर बाहर किया गया। और, पांच साल बाद एनसीईआरटी द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 पर, कुछ घटकों का आरोप है कि यह शिक्षा का अभारतीयकरण है। अगर आरोप-प्रत्यारोपों की बौछार में देखने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि ये आरोप खीझभरे, सत्ता के गलियारे से बाहर खड़े होकर गलियाने जैसे कर्म से बढ़कर नहीं होते। लेकिन शिक्षा की अपनी प्रकृति ही ऐसी है कि वह एनकेन प्रकारेण बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण, चहुंमुखी विकास को ही अपना लक्ष्य मानती है। हम यहां पूर्वग्रह से अलग होकर विमर्श करने की कोशिश करेंगे कि वस्तुतः पाठ्यचर्या 2005 किन खास शैक्षिक मुद्दों पर हमें ठहर कर सोचने, निर्णय लेने, योजना बनाने की अपनी सलाह देती है। उन सिफारिशों को स्थान-स्थान पर परखने की कोशिश की जाएगी।

एनसीईआरटी द्वारा तैयार नयी पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, स्कूली शिक्षा में लाए जाने वाले परिवर्तन पर इस दृष्टि से विचार हो कि स्कूली ज्ञान के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विषयों के साथ पेशेवर बर्ताव किया जा रहा है अथवा नहीं। विभिन्न विषयों के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले तथ्य तथा उनका विश्लेषण, तत्संबंधी अनुशासन की प्रकृति के साथ तारतम्य बैठा पाते हैं या नहीं। इस दृष्टि से पाठ्यचर्या की शिक्षणशास्त्रीय एवं ज्ञानशास्त्रीय विवेचना उपेक्षित रही। वास्तव में यह पूरा का पूरा मुद्दा अलग-अलग खंडों में बंटा न होकर स्कूली ज्ञानशास्त्र और ज्ञानशास्त्रीय विवेचना से मुंह मोड़ना है। जबकि पूरी चर्चा का मुख्य नायक/नायिका बच्चों (बच्चियों) को केंद्र में रखकर इसकी शिक्षणशास्त्रीय एवं ज्ञानशास्त्रीय विवेचना की जानी चाहिए। सन् 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आलोचक अपने कर्त्तव्य का निर्वाह भर कर

पा रहे हैं। उन्हें इस पाठ्यक्रम, की आलोचना इसलिए करनी है, क्योंकि 2000 में तैयार पाठ्यचर्या को सवालों के कठघरों से निकाल कर न्यायालय तक ले जाया गया था। इस संदर्भ में गौरतलब है कि हमारी प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि हम स्वभावत: नये विचार, वातावरण की आलोचना पूर्वग्रह से ग्रसित होकर करते हैं। यह शैक्षिक दस्तावेज बुनियादी तौर पर मानता है कि "लोकतंत्र में नागरिकता में कई बौद्धिक, सामाजिक व नैतिक गुण शामिल होते हैं। एक लोकतांत्रिक नागरिक में सच को झूठ से अलग छांटने, प्रचार से तथ्य अलग करने, धर्मांधता और पूर्वाग्रहों के खतरनाक आकर्षक को अस्वीकार करने की समझ व बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए - वह न तो पुराने को इसलिये नकारे क्योंकि वह पुराना है, न ही नये को इसलिए स्वीकार करे क्योंकि वह नया है- बल्कि उसे निष्पक्ष रूप से दोनों को परखना चाहिए और साहस से उसको नकार देना चाहिए जो न्याय व प्रगति के बलों को अवरुद्ध करता हो...."

यह परिकल्पना एक लोकतांत्रिक समाज में जिम्मेदार एवं समझ को इस्तेमाल करने वाला प्रबुद्ध वर्ग खड़ा करके शिक्षा के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति करता है। लेकिन स्कूली माहौल इस लोकतांत्रिक दर्शन की निर्मम हत्या करता है। नजरें उठाकर देखें तो हम आसपास के स्कूलों, शैक्षिक संस्थानों को अलोकतांत्रिक रवैये से अटा पाएंगे। वे तमाम शिक्षा आयोगों, कमेटियों की सिफारिशों को धता बताते हुए अपने ही ढंग से बच्चों को गढ़ रहे होते हैं। अपनी दुकान चमकती रहे इसलिए महंगी किताबें, संदर्भ पुस्तकों, अन्यान्य वस्तुओं के साथ ही नये औजारों से शिक्षा का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। शिक्षा का लोकतांत्रिक स्वरूप कैसा हो इस पर पुन: निम्नांकि पंक्तियों के बरक्स जानें :

"लोकतंत्र एक व्यक्ति की एक मनुष्य के रूप में आत्मसम्मान व योग्यता में आस्था पर आधारित है.... अत: लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य है हर व्यक्तित्व का पूर्ण व चहुंमुखी विकास- अर्थात एक ऐसी शिक्षा जो छात्रों को एक समुदाय में जीवन की बहुआयामी कला में दीक्षित करे। बहरहाल, यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति अकेले न तो रह सकता है न ही विकसित हो सकता है.... उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं जो अपने साथी नागरिकों के साथ शालीनता, सामंजस्य, कार्यकुशलता के साथ जीने की शैली के लिए आवश्यक गुणों को पोषित न करती हो।" *(माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952–53, पृष्ठ–20)*

इन लोकतांत्रिक मूल्यों, मान्यताओं को अमली जामा पहनाने की प्रतिबद्धता को दुहराते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 स्वीकारती है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय अस्मिता को सुदृढ़ करने के लिए पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए कि वह युवा पीढ़ी को, अतीत को नई प्राथमिकताओं व बदलते सामाजिक संदर्भ में उभरते दृष्टिकोणों के परिप्रेक्ष्य में पुनर्मूल्यांकन व पुनर्व्याख्यायित करने में सक्षम बना सके। इस संदर्भ में युवा पीढ़ी में अपने अधिकारों के प्रति एक नागरिक चेतना व संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की रचना पूर्वापेक्षित है। *(रा.पा. रू. 2005, पृष्ठ–20)*

लोकतांत्रिक शिक्षा का पाठ जिस स्वस्थ एवं सकारात्मक माहौल में पढ़ाया जा सकता है उसके लिए उर्वर जमीन (बच्चे के बौद्धिक स्तर) की भी जरूरत पड़ती है। बच्चे सीखने के प्रति कितना तत्पर और कटिबद्ध हैं, इस पर यह बात खास टिकी हुई है कि सिखाने वाली शैली, भाषा, माध्यम कितना प्रभावोत्पादक और सुगम्य है। हालांकि श्री अरविंद मानते हैं कि 'नथिंग कैन बी टॉट'। अध्यापक सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में साधन, मार्गदर्शक मात्र की भूमिका निभाता है। (अध्याय-5, *प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रू टीचिंग, डिवाइन लाईफ मेनिफेस्टो,* पृष्ठ-224) जब अध्यापक 'कर्त्ता' (सिखाने वाला) की भूमिका में प्रवेश कर जाता है वहीं से शिक्षा-शिक्षण कार्यक्रम, से दो वर्गों का जन्म होता है: पहला, पढ़ने-वाला। दूसरा, पढ़ाने वाला। पॉलो फ्रेरा इस फांक की पहचान 'उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र' पुस्तक में कुछ इस प्रकार करते हैं कि एक शासक है तो दूसरा शासित। अध्यापक शोषक हैं और बच्चे शोषित। दूसरे शब्दों में, अध्यापक उत्पीड़क हैं तो बच्चे उत्पीड़ित। शब्दों की अदला बदली हो सकती है मगर अन्वेषण से प्राप्त सार वस्तुत: एक से होते हैं। शिक्षा में उपरोक्त दो वर्गों की सत्ता पूरी शक्ति से कायम है। कक्षा में मजाल है बच्चे अध्यापक की मर्जी के खिलाफ कुछ भी बोल दें। दस्तावेज सीखने-सिखाने पर रोशनी डालती है, सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दुबारा सीखने की तत्परता, नयी परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। *(रा.पा. रू. 2005, पृष्ठ–25)*

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 का दूसरा अध्याय सीखने एवं ज्ञान के चरित्र और ज्ञान से बच्चों के सह-संबंध पर विस्तार से चर्चा करता है। रिपोर्ट मानता है कि शिक्षा कार्यक्रम ऐसा हो कि वह विशेषताओं व जरूरतों की विशाल विविधताओं के भीतर भौतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक अभिरुचियों को संबोधित करे।... हमें उनकी सक्रिय व रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित और संवर्धित करना चाहिए- दुनिया से वास्तविक तरीके से संबंध बैठाने, अर्थ बनाने, रचना करने और दूसरे मनुष्यों से संवाद स्थापित करने की उनकी मूल अभिरुचि को पोषित करना चाहिए। लेकिन सच्चाई कुछ और बयान करती है। जहां रिपोर्ट यह आशा करती है कि बच्चों में यह सामर्थ्य विकसित किए जाएं कि बच्चे खुद अर्थग्रहण करने, रचना करने में सक्षम हो जाएं वहीं व्यावहारिक सच कुछ और है - पाठ्यपुस्तकों के पाठ के अंत में पूछे जाने वाले सवालों पर नजर दौड़ाएं तो हमें मालूम होगा कि वे प्रश्न कब, कहां, क्यों जैसे तथ्यों, तारीखों से आगे निकलकर बच्चों से रचनात्मक विश्लेषणपरक उत्तर की उम्मीद ही नहीं करते। खासकर स्कूली स्तर तक तो बच्चों में समझ की सीमा और गहराई (सीखने) की इन्हीं कब, कैसे, कहां से माप ली जाती है जो बच्चों की बौद्धिक संपदा एवं समझ के खांटी स्रोत को नजरअंदाज करती है। शिक्षा का वृहद कार्य बच्चों को अपने तरीके से अर्जित ज्ञान, बोध के ढांचे को परिमार्जित करना, सजाना-संवारना है। दूसरे शब्दों में कहें तो बच्चे जिन चीजों को अपने ढंग से समझते हैं, सीखते हैं हम उनकी इस प्रक्रिया में सहभागी

हों न कि प्रौढ़ वर्ग की समझ, दृष्टि उन पर थोप दें।

शिक्षा स्पष्टत: दो फांक में बंटी पाटों को चौड़ी करने, उन्हें बनाए रखने में परोक्षत: शामिल है। इन दो वर्गों की पहचान हम निजी एवं सरकारी, जाति और धर्मगत स्कूली शिक्षा के रूप में कर सकते हैं। स्कूल के प्रांगण में जिस ढंग से धार्मिक पर्वों (दीवाली, बुद्ध पूर्णिमा, ईद आदि) की छुट्टियां होती हैं, उससे बच्चों की समझ बिल्कुल अलग होती है। दोनों धर्म के पर्वों की मान्यतायें एवं रीति-रिवाज बच्चों के संस्कार, ज्ञान की सीमा से परे रह जाती हैं। लेखक ने कुछ स्कूलों में एक सर्वे किया और बच्चों से पर्वों पर संवाद किया। सर्वे में पता चला कि हिंदू बच्चे मुस्लिम पर्वों के रीति-रिवाज, परंपरा से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। वहीं मुस्लिम बच्चों को हिंदू पर्वों (होली, दीवाली) को मनाने के पीछे की पौराणिक कथा, कारण आदि सब मालूम था। कोठारी आयोग ने 1966 में ही दोनों बिंदुओं पर ध्यान दिया है, "जिस प्रकार की स्थिति भारत में है, उसमें यह शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वह विभिन्न सामाजिक वर्गों, समुदायों को साथ लाए और इस प्रकार एक समतावादी व सुसंगठित समाज के आविर्भाव को प्रोत्साहित करे। लेकिन मौजूदा स्थिति में स्वयं शिक्षा व्यवस्था ही सामाजिक अलगाव को बढ़ाने का रुख रखती है और वर्ग भेद की गहनता को निरंतर बनाए हुए है। यह अलगाव बढ़ता ही जा रहा है, इससे विशिष्ट वर्ग व जनसाधारण के बीच की खाई भी गहरी हो रही है।" (कोठारी आयोग, 1966:18) स्थिति आज भी बहुत सुधरी हालत में नहीं है। सरकारी और गैरसरकारी स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, मांग और मूल्य में फर्क मौटे तौर पर दिखाई देता है। जहां बच्चे एक ओर साल के सौ-दो सौ रुपये शुल्क के रूप में खर्च करते हैं वहीं कुछ वर्ग पंद्रह सौ से पांच हजार मासिक शुल्क भी भरते हैं। हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सकती है। लेकिन सरकारी-गैरसरकारी, संपन्न-विपन्न वर्गों की शिक्षा के पाट में अंतत: पिसते तो बच्चे ही हैं।

बाल केंद्रित शिक्षा की जरूरत पर 1950-60 के आसपास से विश्वस्तर पर आवाजें उठ रही थीं। जॉन डिवी, मांटेसरी सरीखे शिक्षाविद को महसूस हो रहा था कि शिक्षा बच्चों के लिए है, बच्चों को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या व ज्ञान मीमांसा होनी चाहिए। और संभवत: यही आवश्यकता शिक्षा में संवाद जैसे तत्व को प्राथमिकता से स्वीकारने पर विवश करता है। जे. कृष्णमूर्ति, रवीन्द्रनाथ टैगोर, पॉलो फ्रेरा आदि शिक्षा-दार्शनिकों ने बच्चों से संवाद स्थापित करने पर विशेष बल दिया। जे. कृष्णमूर्ति का मानना था कि प्रकृति की हर चीज- पेड़, पत्तियां, पहाड़, नदी सब हमसे बातचीत करती हैं। हमें बच्चों से बातचीत करनी चाहिए। उनकी प्रकृति को समझ कर शिक्षा-दर्शन का स्वरूप तय करना चाहिए। वहीं पॉलो फ्रेरा भी कक्षा में संवाद की स्थिति को स्वीकारते थे। मगर उन्होंने पाया कि कक्षा में अध्यापक-छात्र दो वर्ग बैठते-मिलते हैं। सीखने-सिखाने वाले मिलते हैं। एक खाली स्लेट होता है तो दूसरा ज्ञान से परिपूर्ण खड़िया जो जैसे चाहे, जो चाहे लिख सकता है। यह दृश्य बड़ा ही ठस एवं ठहरे हुए शिक्षा-प्रवाह को प्रकट करता है। कहना चाहिए कि यह व्यवहारवादी ज्ञान की परिपाटी पर चलने वाला है, क्योंकि व्यवहारवादियों का बड़ा समूह बच्चों को ऑब्जेक्ट मानता रहा है। इसमें पुनर्बलन, प्रोत्साहन, पारितोषिक आदि बाह्य तत्वों से बच्चों की सीखने की इच्छा को, गति को प्रभावित किया जा सकता है। जबकि यह दस्तावेज इन्हीं मान्यताओं में पले-बढ़े बच्चों (अध्यापकों) से गुजारिश करता है कि अब वक्त आ गया है जब शिक्षा बच्चों के अनुरूप हो। उनको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, गतिविधियां तैयार की जाएं न कि शिक्षा को केंद्र में रखकर बच्चों को वैसे गढ़ा जाए। "पूछताछ, अन्वेषण, प्रश्न पूछना, वाद-विवाद, व्यावहारिक प्रयोग व चिंतन जिससे सिद्धांत बन सकें और विचार स्थितियों की रचना हो सकें- ये सब बच्चों की सक्रिय व्यस्तता के कार्य होने चाहिए। स्कूल द्वारा ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि बच्चे प्रश्न पूछें, चर्चा करें, चिंतन करें और तब अवधारणाओं को आत्मसात करें या फिर नये विचार रचें।' यह प्रस्ताव राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की नयी रूपरेखा खंड में पृष्ठ 36 पर है। लेकिन यदि कक्षा में प्रवेश करें तो अनुभव बिल्कुल विपरीत होंगे। वहां प्रश्न पूछने, वाद-विवाद करने, अन्वेषण करने वाले बच्चों को डपट कर बैठा दिया जाता है क्योंकि अध्यापक/ अध्यापिका जी को पाठ समय से 'खत्म' करना है। न कि समझ विकसित करते हुए संवाद स्थापित करना है। एक और स्थिति पैदा होती है कि कई बार अध्यापक स्वस्थ वाद-विवाद को उचित मुकाम तक पहुंचाने में मदद करने की बजाय तानाशाही भूमिका अदा करने लगते हैं। तब स्थिति बेकाबू हो जाती है। शिक्षा में संवाद की महत्ता का गला घुट जाता है। दस्तावेज मानता है कि बच्चों के ज्ञानार्जन में अध्यापकों की भूमिका भी बढ़ सकती है यदि वे ज्ञान-निर्माण की इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो जाएं जिसमें बच्चे व्यस्त हैं। बच्चों को वे प्रश्न पूछने की अनुमति देना जिनसे वे स्कूल में सिखाई जाने वाली चीजों का संबंध बाहरी दुनिया से स्थापित कर सकें, उन्हें एक ही तरीके से उत्तर रटाने और देने की बजाय अपने शब्दों में जवाब देने और अपने अनुभव बताने के लिए प्रोत्साहित करना- ये सभी बच्चों की समझ विकसित करने में बहुत छोटे किंतु महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

भारतीय शिक्षा में परीक्षा एक सामाजिक चयन की प्रतियोगिता आधारित अवधारणा है जो औपनिवेशिक विरासत के रूप में आई है। इसका स्वरूप आज भी कमोबेश वही है जो औपनिवेशिक काल में था। परीक्षा की यह अवधारणा भारत में 19वीं सदी के अंतिम दौर में लागू की गई। इस ओर प्रो. यशपाल इशारा करते हैं और इस रूपरेखा में परीक्षा के तनाव को कम करने पर पुनर्विचार करते हैं। लेकिन वर्तमान परीक्षा प्रणाली रटंत विद्या, समान उत्तर, वस्तुनिष्ठ जवाबों को ही तरजीह देती है। पास-फेल के तमगे बांटने में विश्वास करने वाली परीक्षा प्रणाली तमाम रचनात्मकता, खुद के दृष्टि-विश्लेषण को प्रश्रय नहीं के बराबर देती है। यह हाल आजादी के बाद भी भारत में कायम है। ऐसी स्थिति में एक सवाल सहज ही उठता है कि सार्वजनिक परीक्षाएं आजादी के बाद के भारत की आकांक्षाओं और

अपेक्षाओं (सामाजिक न्याय के इर्द-गिर्द भारतीय समाज की पुनर्रचना) को पूरा करने में कैसे समर्थ हो सकती है। वास्तव में परीक्षा ही आज शिक्षा हो चुकी है अत: इस अर्थ में संपूर्ण भारतीय शिक्षा के लिए भी यह प्रश्न प्रासंगिक हो उठता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 परीक्षा की इस लचर व्यवस्था पर पांचवें अध्याय में विस्तार से विमर्श करती है। 'शिक्षा बिना बोझ के', रपट में कहा गया है कि दसवीं और बारहवीं के अंत में होने वाली परीक्षा की इस अर्थ में समीक्षा की जानी चाहिए कि अभी के पाठ-आधारित और क्विज परीक्षा की विधि को बदल दिया जाए क्योंकि इससे तनाव का स्तर काफी बढ़ जाता है। (5.3 परीक्षा सुधार, पृष्ठ 163) तनाव को कम करने पर प्रो. यशपाल खासा जोर देते हैं। उनके निर्देशन में तैयार यह दस्तावेज मानती है कि (क) परीक्षा को किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ाया जाए। (ख) विद्यार्थियों को उतने ही पत्रों की परीक्षा देने का अधिकार हो जितने की तैयारी हो। तीन साल के दौरान वे परीक्षा पूरी कर सकें। (ग) पास फेल लिखने की जगह - जिससे वांछित दक्षता के अभाव का पता चलता है - पुनर्परीक्षा वांछनीय लिखा जाए। यदि इन सुझावों को अमली जामा पहना दिया जाए तो मई-जून के दिनों में होने वाली आत्महत्याएं, मनोदलन की घटनाओं पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। परीक्षा का डर हमारे समाज में, घर-स्कूल में, इस कदर स्थान बना चुका है कि परीक्षा के दिनों में घरों में मातमी माहौल बन जाता है। अखबारों, निजी चैनलों में धड़ल्ले से मनोचिकित्सकों, सलाहकारों के सुझाव एवं रेडिमेड कैप्सूल छपने और प्रसारित होने लगते हैं। आनलाइन सेवाएं, तनाव कम करने के लिए महीनेभर पहले से सुझाव बांटने लगती हैं। दस्तावेज विचार करता है, वर्तमान परीक्षा को अधिक वैध बनाने के लिए पर्चा निर्धारण को क्या रूप देने की आवश्यकता है। ध्यान प्रश्न-पत्र निर्धारण पर हो न कि पर्चा निर्धारण पर (पृष्ठ 165) क्योंकि कई बार सवाल इतने उलझाऊ और अस्पष्ट होते हैं कि बच्चे सवाल ही नहीं समझ पाते। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नये सत्र से 10वीं-12वीं के बच्चों को सवाल पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय देगा। यह अच्छा कदम माना जा सकता है।

इस दस्तावेज पर जमी खामोशी का जिक्र होना अपेक्षित है। तमाम गतिविधियों, भाषा-शिक्षण, भाषा-कौशल, ज्ञान का संबंध स्कूल की बाहरी जिंदगी से स्थापना पर जोर देती इस रिपोर्ट की सिफारिशें कब हमारी व्यवस्था और पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों में शामिल होंगी, होंगी भी या नहीं, ऐसे कुछ अनुत्तरित सवाल हैं जो उठने स्वाभाविक हैं। पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों के बदलने से बेशक सत्ता, विचारतंत्र को फायदा हुआ हो या नहीं, लेकिन बच्चों को नुकसान जरूर हुआ है। बच्चों को परीक्षा बनाम शिक्षा के तनाव से मुक्ति के उपाय के लिए प्रतिबद्ध यह दस्तावेज विभिन्न शिक्षाविदों, विषय-विशेषज्ञों को उपयोगी सुझाव एवं एहतियात बरतने का इशारा करता है। इस दस्तावेज पर चर्चा से बचने एवं चुप्पी की संस्कृति को बरकरार रखने में शामिल वर्ग कहीं न कहीं एक सार्थक विमर्श से खुद को अलग करते हैं। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

The power to excel

Does your son have it?

He thinks differently. He aims high.

And he acts with a self-assurance that never ceases to amaze you.

You rightly believe he'll make his mark in any field he chooses.

But remember: today, the choicest of careers are the toughest to enter. And the finest of institutions mean the keenest of competition.

Does he have the power to outperform the brightest of contestants? The power to excel?

Make sure he does, with Brilliant Tutorials – a pioneer whose correspondence courses have brought success to thousands of young aspirants like your son, for nearly 35 years now.

Brilliant's Postal Courses open for Competitive Entrance Exams

IIT-JEE
- **2-Yr. ELITE** Course with **YG-FILEs + B.MAT**, for 2007 (Std. XI)
- **1-Yr. Course** with **YG-FILE + B.MAT**, for 2006 (Std. XII/passed)
- **YG-FILE + B.MAT**, for 2006 (Std. XII/passed)
- **TARGET-IIT:** Primer Courses for students of Std. IX, X

GATE
- GATE 2006

IAS, ESE
- Civil Services Exam '05, '06
- Engg. Services Exam '06

CSIR-UGC/UGC (NET)
- JRF/L Exams, Dec. '05, June '06

GEOLOGISTS EXAM 2005

GRE, TOEFL, BANK P.O.
- Year-round enrolment

MEDICAL ENTRANCE
- **2-Yr. CBSE-PLUS** with Question Bank **(QB) + B.NET** (Brilliant's National Evaluation Tests) for Medical Entrance 2007 (Std. XI)
- **1-Yr. Course** with **QB + B.NET**, for 2006 (Std. XII/passed)
- **QB + B.NET**, for 2006 (Std. XII/passed)
- **TARGET-MBBS:** Primer Courses for students of Std. IX, X

MBA
- MBA Entrance Exams, 2006 starting with IIM-CAT 2005
- Target MBA: For early preparation towards the 2007 Exams

MCA
- MCA Entrance Exams, 2006

AIEEE & BITSAT
- **1-Yr. Course** for **CBSE's All-India Engg. Entrance Exam** 2006 & BITSAT 2006 (BITS Pilani/Goa)

BRILLIANT TUTORIALS®

For free prospectus and application form for the course of your choice write, call, fax or access www.brilliant-tutorials.com

Box: 4996-YOH, 12, Masilamani St., T. Nagar, Chennai 600 017.
Ph: 24342099 (4 lines) Fax: 24343829 e-mail: enquiries@brilliant-tutorials.com

YH/9/5/01

शिक्षा संबंधी मध्यावधि समीक्षा (2002-07) की सिफारिशें

- विद्यालयों/शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक नवोन्मेषी शिक्षा केंद्रों में सभी बच्चों की भर्ती के 2003 के 10वीं योजना के लक्ष्यों को 2005 के लिए संशोधित करना होगा, क्योंकि 81 लाख बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं।
- पढ़ाई पूरी किए बिना स्कूल छोड़ना और शिक्षा का स्तर, सर्व शिक्षा अभियान की ये दो बड़ी समस्याएं हैं। इनका निवारण विशिष्ट उपायों से करना होगा। रिक्तपद, अनुपस्थिति, अप्रशिक्षित शिक्षक और प्रभावहीन प्रशिक्षण की समस्याओं पर भी तत्परतापूर्वक ध्यान देना होगा।
- शालाओं में पठन-पाठन की पर्याप्त सामग्री और सीखने की अन्य आनंददायी परिस्थितियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। बच्चों का पता लगाने की प्रणाली को भी मजबूत बनाना होगा।
- सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय व्यवस्था का केंद्र और राज्यों के 75:25 का अनुपात मिशन की अवधि अर्थात 2010 तक पूर्ववत बना रहे।
- सर्व शिक्षा अभियान के दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जानी चाहिए जिससे निवेश का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- जिन क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) लागू नहीं है, वहां सर्व शिक्षा अभियान में अंग्रेजी बाल संभाल शिक्षा (ईसीसीई) के लिए एक घटक अलग से होना चाहिए।
- मध्यांतर भोजन योजना के तहत राज्यों को प्रबंधन के उचित ढांचे की व्यवस्था करनी चाहिए। उसकी निगरानी व्यवस्था, सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही और लोगों की भागीदारी के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी।
- कक्षा में व्यवहार सहित धीमा सीखने वाले बच्चों की उपलब्धि, छात्र के मूल्यांकन का अभाव और महिला शिक्षकों के अनुपात में कमी के कारणों का भी प्रभावी हल निकाला जाना चाहिए।
- विद्यालय के परिणाम की निगरानी में स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- पूर्ण साक्षरता अभियान और सतत शिक्षा जैसे साक्षरता कार्यक्रमों को धनराशि के आवंटन सहित राज्यों को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
- साक्षरता कार्यक्रमों के तहत एक नई योजना शुरू की जानी चाहिए, जिसका संचालन गैरसरकारी संस्थायें करें।

माध्यमिक शिक्षा

- सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा के लिए भी एक नया मिशन शुरू किए जाने पर विचार होना चाहिए।
- माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा के विस्तार में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की संभावना को मान्यता देनी चाहिए।
- उचित कर प्रणाली, भू-आवंटन नीतियां और रियायती ऋण कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए।
- सार्वजनिक क्षेत्र को असेवित और दुर्गम क्षेत्रों में नये माध्यमिक विद्यालय खोलने पर ध्यान देना चाहिए और सघन आबादी वाले क्षेत्रों के विद्यालयों में दूसरी पाली शुरू करनी चाहिए।
- पाठ्यक्रमों में सुधार और परीक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए तत्परतापूर्वक कदम उठाए जाने चाहिए।
- शिक्षक-शिक्षा, सेवापूर्व और सेवा के दौरान प्रशिक्षण, प्रयोगशालाओं की स्थापना, पुस्तकालय और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग बढ़ाने के लिए निवेश पर मुख्य रूप से जोर दिया जाना चाहिए।
- माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक शिक्षा के पुनर्विन्यास और गैरइंजीनियरी तथा विद्यालयेतर गतिविधियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- व्यावसायिक शिक्षा को ऐसा रूप दिया जाना चाहिए जिससे कि वह स्थानीय मांग को पूरा कर सके; स्थानीय उद्योग, व्यापार और व्यवसाय के साथ संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा

- ज्ञान आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा के स्तर में असमानता को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा की विस्तृत समीक्षा करेगा ताकि स्तर में विभिन्नता, पुराने, महत्वहीन पाठ्यक्रमों, सुविधाओं का अभाव और भर्ती प्रक्रियाओं और नीतियों से जुड़ी

(शेषांश पृष्ठ 38 पर)

2030 तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य

राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐतिहासिक पहल करते हुए ऊर्जा संकट से जूझ रहे देश के सम्मुख सन् 2030 तक 'ऊर्जा स्वावलंबन' हासिल करने का एजेंडा रखा है। उन्होंने कहा कि देश को अपने सभी नागरिकों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है

59 वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार शाम राष्ट्र के नाम लीक से हट कर दिए अपने उद्बोधन में राष्ट्रपति ने 'ऊर्जा स्वालंबन' को राष्ट्र की पहली तथा प्रमुख प्राथमिकता बताते हुए कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करना निश्चित रूप से संभव है और राष्ट्र में इसे प्राप्त करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 25 वर्षीय राष्ट्रीय मिशन को सूत्रबद्ध करने के लिए राशि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए और सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा राष्ट्र निर्माण की एक नयी ऊर्जा के संकल्प के साथ इसका नेतृत्व तुरंत तीस वर्ष से कम आयु की युवा पीढ़ी को सौंप देना चाहिए।

आमतौर पर इस तरह के उद्बोधन में अर्थव्यवस्था, आतंकवाद तथा सुरक्षा सहित घरेलू मसलों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा अंतरराष्ट्रीय समस्याओं की चर्चा की जाती है लेकिन राष्ट्रपति ने इस बार अपना पूरा उद्बोधन ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबन पर केंद्रित किया। ऊर्जा सुरक्षा को एक अहम और महत्वपूर्ण जरूरत बताते हुए उन्होंने नाभकीय ऊर्जा को अंतरराष्ट्रीय सहयोग से भी बढ़ाए जाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त तेल और प्राकृतिक गैस का आयात मूल्य 1,20,000 करोड़ रुपये है। तेल और गैस

की कीमतें बढ़ रही हैं और एक बैरल तेल की कीमत एक वर्ष में दुगनी हो गई है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का निदान करना होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि देश तेल की अपनी जरूरत के केवल 25 प्रतिशत हिस्से का ही उत्पादन करता है। राष्ट्र को 2020 तक विश्वव्यापी तेल एवं गैस अन्वेषण और उत्पादन में वृद्धि करके व्यापक ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि भारत को 2030 तक सौर विद्युत और अक्षय ऊर्जा के अन्य स्रोतों के जरिये जल और विशाल स्तर पर जटरोपा जैसे पौधे के माध्यम से जैव ईंधन उत्पादन बढ़ा कर ऊर्जा स्वालंबन प्राप्त करना चाहिए। भाषण में राष्ट्रपति ने गुजरात, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में हाल की बाढ़ तथा वर्षा से हुई तबाही तथा लोगों की तकलीफों की तरफ देशवासियों का ध्यान भी खींचा। मुंबई तथा महाराष्ट्र में हुए विनाश की विशेषतौर पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को संकट की इस घड़ी में महाराष्ट्रवासियों की तकलीफें कम करने में मदद करनी चाहिए।

इसी संदर्भ में उन्होंने नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि इस कार्यक्रम को अविलंब क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना देश को बाढ़ एवं सूखे के अंतहीन चक्र से छुटकारा दिलाने का भरोसा दिलाती है। राष्ट्रपति ने शहरी विकास मंत्रालय को भी सुझाव दिया कि वह केंद्र तथा राज्य सरकार स्तर पर अतिरिक्त जल भंडारण के लिए भूमिगत जल कोष्ठों के निर्माण सहित वर्षा से एकत्रित जल की निकास प्रणाली, बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए एक कार्यक्रम तैयार करे।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में भूकंप पूर्वानुमानों पर अनुसंधान कार्यों में तेजी लाए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारत को भू-प्रणाली विज्ञान के उभरते क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विज्ञान की कोई राजनैतिक या भौगोलिक सीमा नहीं है और इसके नतीजे पूरे विश्व को समृद्ध बना देंगे। ❑

रोजगार बढ़ाना मुख्य लक्ष्य - प्रधानमंत्री

लाल किले की प्राचीर से सर्वांगीण विकास पर जोर

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर नागरिक तक नहीं पहुंच पाया है। गांवों में विकास उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ है। विकास का पूरा फायदा तभी उठाया जा सकता है, जब समाज का हर तबका पढ़ा-लिखा हो।

प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले साल आर्थिक विकास की दर सात प्रतिशत रही और इस वर्ष भी यह दर इतनी ही रहने की उम्मीद है। अगर यह रफ्तार जारी रही तो अगले पांच-दस साल में गरीबी, भुखमरी, बीमारी और अज्ञानता को जड़ से मिटाना मुमकिन हो जाएगा। महात्मा गांधी के स्वराज के नारे की चर्चा करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि स्वराज उस समय तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक सबसे गरीब तबके को जरूरी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो जातीं।

डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि रोजगार बढ़ाना उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य है और इसी दिशा में सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक संसद में लाने वाली है। प्रधानमंत्री के अनुसार, देश में हर क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की हो रही है।

दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता, जहां 100 करोड़ की आबादी वाला देश लोकतंत्र के जरिये सामाजिक और आर्थिक उन्नति कर रहा हो।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार न सिर्फ गांवों की ओर ध्यान दे रही है, बल्कि शहरों के विकास पर भी पूरा जोर दे रही है। जिस रफ्तार से देश का शहरीकरण हो रहा है, वह वक्त दूर नहीं जब भारत की 50 फीसदी आबादी शहरों में होगी। आज हमारे शहरों की सहूलियतें आम आदमी की जरूरतों के मुताबिक कम पड़ती नजर आ रही हैं। देशभर में बिजली की कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें तेल की तरह बिजली की भी सही लागत अदा करनी होगी। इसी से बिजली समय पर, सही मात्रा में और सही गुणवक्ता की मिल सकेगी।

मनमोहन सिंह ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान को मजबूत बनाकर हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। ❑

उद्बोधन की मुख्य बातें

- हर गांव में कम से कम एक फोन कनेक्शन होगा
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नयी ऊर्जा का संचार करेंगे
- गैरसरकारी क्षेत्र में आरक्षण के प्रयास
- आदिवासियों के लिए नया कानून बनेगा
- शहरी नवीकरण मिशन शुरू होगा
- परमाणु ऊर्जा के जरिये 40 हजार मेगावाट क्षमता हासिल करेंगे
- भारत में एशियाई खेल फिर से कराने की कोशिश होगी
- शहीद फौजियों के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना

स्कूल छोड़ जाने वालों की संख्या घटाने के उपाय

शिक्षा पर एक संसदीय समिति ने कक्षा 1 से 5 तक 43.89 प्रतिशत और कक्षा 1 से 8 तक के 52.8 प्रतिशत छात्रों के स्कूल छोड़ जाने की ऊंची दर पर चिंता प्रकट करते हुए सुझाव दिया था कि इनके मूल्यांकन के लिए तमिलनाडु और केरल में प्रचलित मॉडल का अनुसरण किया जाए।

संसद की मानव संसाधन विकास पर स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जहां आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर स्कूल छोड़ जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्यप्रदेश में अब भी बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल नहीं जाते।

समिति ने कहा कि दोपहर का भोजन कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को स्कूल आने के लिए आकर्षित करना ही नहीं बल्कि आते रहने के लिए प्रेरित करना भी था। लेकिन इस कार्यक्रम का वांछित उद्देश्य यानी गरीब परिवार के बच्चों को आकर्षित करना पूरा नहीं हुआ, हालांकि यह प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान अर्थात 2007 तक प्राथमिक विद्यालयों में और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत सभी छात्रों को लाने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न किए जाने चाहिए।

रिपोर्ट में ध्यान दिलाया गया है कि स्कूलों में सभी बच्चों के आने और पढ़ाई जारी रखने का लक्ष्य पूरा करने में कुछ पुरानी और व्यावहारिक सीमायें हैं। तमिलनाडु और केरल में सफलता मिली है जिसके अनुसार बहुत कम बच्चे पढ़ाई छोड़ते हैं। इस उदाहरण का अनुसरण करने के प्रयास किए जाने चाहिए और जिन राज्यों में इस दिशा में अच्छा काम नहीं हो पा रहा है वहां ऐसी ही रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए।

सतत शिक्षा

समिति ने कहा कि जो बच्चे पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ जाते हैं उनकी शिक्षा को वयस्क शिक्षा के साथ जोड़ देना चाहिए ताकि वे विशिष्ट गतिविधियों वाले क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करके जीविका कमाने वाला कार्य शुरू कर सकें।

स्कूलों में छात्रों की कारगर उपस्थिति बनाए रखने का एक उपाय यह हो सकता है कि **वहां सीखो और कमाओ** स्कीम शुरू की जाए। सुझाव दिया गया है कि बच्चों को प्रारंभिक चरण के बाद ही व्यावसायिक शिक्षा देने के प्रस्ताव पर सरकार को विचार करना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के बारे में समिति ने कहा कि समय आ गया है जब इसे लागू करने वाली एजेंसियों के बीच सक्रिय समन्वय के क्षेत्र में काम किया जाए अन्यथा सर्व शिक्षा अभियान की अग्रणी योजना कहीं कागज पर ही न धरी रह जाए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समिति का यह सोचा-समझा विचार है कि अपनी गाढ़ी कमाई से शिक्षा उपकर अदा करने वाला हर नागरिक इस स्कीम की सफलता पर निगाह रखेगा। इसलिए राज्य सरकारों और शिक्षा विभाग पर इस बात की गंभीर जिम्मेदारी आ जाती है कि यह सुनिश्चित करें कि सर्व शिक्षा अभियान जनांदोलन का रूप ले और इसे लागू करने में करो या मरो की भावना से काम लिया जाए। ❑

(मनोज़ा आर.पाल, उपसंपादक, योजना (अंग्रेजी) द्वारा संकलित)

(पृष्ठ 35 का शेषांश)

समस्याओं का निवारण किया जा सके।

- नये महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोलने के लिए, खासकर शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिलों में एक दीर्घकालीन योजना तैयार की जानी चाहिए। वर्तमान संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और 'मुक्त' तथा 'दूरस्थ' शिक्षा के प्रसार के लिए दीर्घकालीन योजना बनानी होगी।
- चुनिंदा विश्वविद्यालयों का स्तर ऊंचा उठाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्पर्धात्मक क्षमता को उन्नत बनाने के लिए एक पृथक कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों की संसाधन स्थिति में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों के शुल्क में वृद्धि के साथ योग्य विद्यार्थियों के लिए प्रभावी छात्रवृत्ति और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण कार्यक्रम को प्राथमिकता देने के बारे में विचार किया जाना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस प्रणाली को लागू कर केंद्र सरकार इस मामले में नेतृत्व प्रदान कर सकती है।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को आमंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए।
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
- आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों के विस्तार पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि वे तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों के लिए स्तरीय मानक तैयार कर सकें। ❑

भारत मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 10 राष्ट्रों में

भारत ने पहली बार विश्व की 10 सर्वोच्च अर्थव्यवस्थाओं की सूची में जगह बना ली है। यह जानकारी हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों से प्रकाश में आई है।

विश्व बैंक भारत को एशिया का एक अग्रणी राष्ट्र मानता है। बैंक का कहना है कि यह देश डालर के हिसाब से 2003 और 2004 के मध्य 12वें स्थान से 10वें स्थान पर पहुंच गया। इसका सकल घरेलू उत्पाद कोरिया तथा मैक्सिको से ऊपर हो गया है। अब यह 692 अरब अमरीकी डालर (390 अरब पौंड) है। ब्रिटेन के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यह चौथे स्थान पर बना हुआ है। यह तथ्य उस समय उजागर हुआ जब श्री गोर्डन ब्राउन ने यूरोपीय संघ के अपने साथी वित्तमंत्रियों से संरचनात्मक आर्थिक सुधारों को ले चीन और भारत के साथ प्रतिस्पर्धा में टिके रहने पर अपने विचार व्यक्त करने को कहा। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले दो वर्षों में बढ़कर सात प्रतिशत से अधिक हो गई है और बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों तथा व्यापक निवेश के चलते पिछले दशक में यह 6 प्रतिशत से अधिक बनी रही। आर्थिक उदारीकरण से पिछले दशक में भारत को बहुत लाभ हुआ है जिसके कारण निवेश में वृद्धि और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कॉल सेंटर उद्योग में विशेष प्रगति हुई है। विश्व बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्था के सबसे कम विनियमित 'सेवा' क्षेत्र में खूब मजबूती रही जबकि सबसे अधिक विनियमित 'निर्माण' क्षेत्र की स्थिति सबसे ज्यादा कमज़ोर रही है।

ब्रुसेल्स में श्री ब्राउन ने यूरोपीय संसद से कहा कि यूरोपीय संघ को 2010 तक 2 करोड़ बीस लाख रोजगार सृजन करने और भारत तथा चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के वास्ते सुधार प्रक्रिया तेज करनी होगी। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ का अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि एशिया के उत्पादन का हिस्सा यूरोप से भी अधिक हो गया है तथा 10 वर्षों में संभवत: यह 50 प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा। श्री ब्राउन ने कहा कि हमें इस कटु सत्य का सामना करना पड़ सकता है कि यूरोप का विकास अमरीका से आधी दर पर भी नहीं हो रहा है तथा यह चीन की तुलना में एक चौथाई है। हमें विश्व ताकतों से चुनौती मिल रही है और इससे बच पाना मुश्किल है। गोल्डमैन सैस नामक एक निवेश बैंक द्वारा किए गए शोध के अनुसार (2040 तक भारत, चीन, ब्राजील और रूस की संयुक्त अर्थव्यवस्था ग्रुप-6 देशों की अर्थव्यवस्था- कनाडा को छोड़कर ग्रुप-7) से भी ऊपर निकल जाएगी। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार प्रतिव्यक्ति आय की दृष्टि से भारत का 159वां स्थान है। ❑

(द इंडिपेंडेंट के सौजन्य से)

विकास कार्यक्रम

भारत का-सकल घरेलू उत्पाद : 692 अरब अमरीकी डालर

प्रमुख क्षेत्र : सेवा, विनिर्माण

बुनियादी तेजी

- ❑ देश के सकल घरेलू उत्पाद में 62 प्रतिशत की संचित वृद्धि के हिसाब से सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का अंशदान 1990 में 40.6 प्रतिशत से बढ़कर 2003 में 50.8 प्रतिशत हुआ।
- ❑ औद्योगिक उत्पादन बढ़कर मई 2005 में 10.8 प्रतिशत तक पहुंचा- नौ सालों में यह सबसे तेज विकास है।
- ❑ प्रमुख विनिर्माण उत्पादन बढ़कर 11.5 प्रतिशत हुआ।
- ❑ मुद्रास्फीति घटकर 4.14 प्रतिशत हुई।
- ❑ मई 2005 में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन 18.9 प्रतिशत अधिक हुआ। पूंजीगत सामान में 19.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी।

चिंताजनक क्षेत्र

- ❑ कृषि क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की बराबरी नहीं कर पाया। मध्यावधि समीक्षा में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई है।
- ❑ बुनियादी सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को देखते हुए बंदरगाहों और सड़कों के क्षेत्र में भी आवश्यकतानुसार सुधार जरूरी है।

बड़ी कंपनियां

कंपनी	रैंक
इंडियन आयल कारपोरेशन	170
रिलायंस उद्योग	417
भारत पेट्रोलियम	429
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम	436
तेल और प्राकृतिक गैस निगम	454

जम्मू-कश्मीर की औद्योगिक नीति, 2004

समृद्धि, शांति और विकास के अग्रदूत के रूप में प्रशंसित इस नीति में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की विशद संभावना है

राज्य औद्योगिक नीति (1998-2003) के अंतर्गत आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनों के बावजूद, राज्य में अशांत स्थिति के चलते, औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धिदर आगे नहीं बढ़ी है। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति के फलस्वरूप आयातित सस्ते उत्पादों की स्पर्धा से भी अनेक स्थानीय लघु उद्योग इकाइयों को बंद करने की नौबत आ गई है। राज्य में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने 23 जनवरी, 2004 को अपनी बैठक में औद्योगिक नीति, 2004 को मंजूरी दे दी है। इस नीति में पिछले पांच वर्ष के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए कुछ सकारात्मक तत्वों को शामिल किया गया है।

लाभ

औद्योगिक नीति 2004, 1 फरवरी 2004 से 31 मार्च 2015 तक लागू रहेगी। इस नीति से जम्मू-कश्मीर को होने वाले कुछ विशिष्ट लाभ इस प्रकार हैं :

पूर्वोत्तर के राज्यों को दिए गए पैकेज की तर्ज पर जम्मू-कश्मीर में भी भारत सरकार द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहन देने की योजना से अवसरों की नयी खिड़कियां खुल गई हैं।

संरचना और सामान्य सुविधा केंद्रों के विकास के लिए उपलब्ध केंद्र-प्रवर्तित योजनाओं का भरपूर उपयोग साधारणत: राज्य में संरचना का आधार बढ़ाने और उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए किया गया है।

कर्ज देने वाली प्रमुख वित्तीय संस्थाओं से पुनर्वित्त की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

राज्य में दस्तकारी और हथकरघा क्षेत्रों की संरचनाओं को और मजबूत बनाया जा रहा है ताकि उच्च कोटि के पारंपरिक शिल्प को और परिष्कृत किया जा सके। इसके लिए डिजाइन तैयार करने, उत्पादों के विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, विपणन और मानव संसाधन विकास के मामलों में पेशेवर सहायता दी जा रही है। निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी पर भी विशेष जोर दिया जाता है।

राज्य में कृषि और बागवानी की दुर्लभ प्रजातियों की अपार संपदा है। राज्य में कृषि के लिहाज से तीन अलग-अलग क्षेत्र हैं और इन सबकी अपनी-अपनी खासियत है। इससे कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध हैं। देश में कुल सेब उत्पादन का 57 प्रतिशत और अखरोट का 92 प्रतिशत राज्य में पैदा होता है। इसके अलावा बादाम, नाशपाती, आलूबुखारा और चेरी जैसे बागवानी से प्राप्त उपज बहुतायत में उपलब्ध हैं। राज्य में कृषि और बागवानी के उपजों की उपलब्ध मात्रा और क्वालिटी को देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धन की अच्छी संभावनाएं हैं। इसके अलावा, सुगंधित और औषधीय पौधों के उत्पादन के लिए भी राज्य पूर्णतया उपयुक्त है। इन पौधों का उपयोग विभिन्न प्रकार के आवश्यक तेलों और जड़ी-बूटियों से बनने वाली औषधि के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने इस क्षेत्र के लिए प्रोत्साहनों के विशेष पैकेज की पेशकश की है। राज्य सरकार ने भी इसको ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना है जिस पर ज्यादा जोर दिए जाने की जरूरत है।

राज्य बढ़िया गुणवत्ता वाली खनिज संपदा से भी भरा पड़ा है। चूना पत्थर, जिप्सम, बिल्लौरी पत्थरों, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और बॉक्साइट जैसे खनिज राज्य में आसानी से उपलब्ध हैं। नीलम भी यहां पाया जाता है।

सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक महाविद्यालयों तथा केंद्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय अनुसंधानशाला जैसी अनुसंधान और विकास की संस्थाओं में उपलब्ध तकनीकी, प्रबंधन और ज्ञान आधारित संसाधनों का नेटवर्क तैयार कर उद्योगों के विकास में उपयोग किया जा सकता है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा राज्य में निवेश बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय औसत की तुलना में ऋण और जमा के अनुपात की वर्तमान दर राज्य में काफी कम है।

राज्य सरकार की स्पष्ट मान्यता है कि आर्थिक विकास में औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में घटते रोजगार के अवसरों के दबाव को कम करने में भी औद्योगिक क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा।

राज्य के लोगों की हार्दिक इच्छा से कानून और व्यवस्था की बेहतर हो रही स्थिति ने निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। इससे स्थानीय युवाओं में नयी आशा का संचार हुआ है।

प्रबंधन और श्रम के बीच मधुर संबंधों का

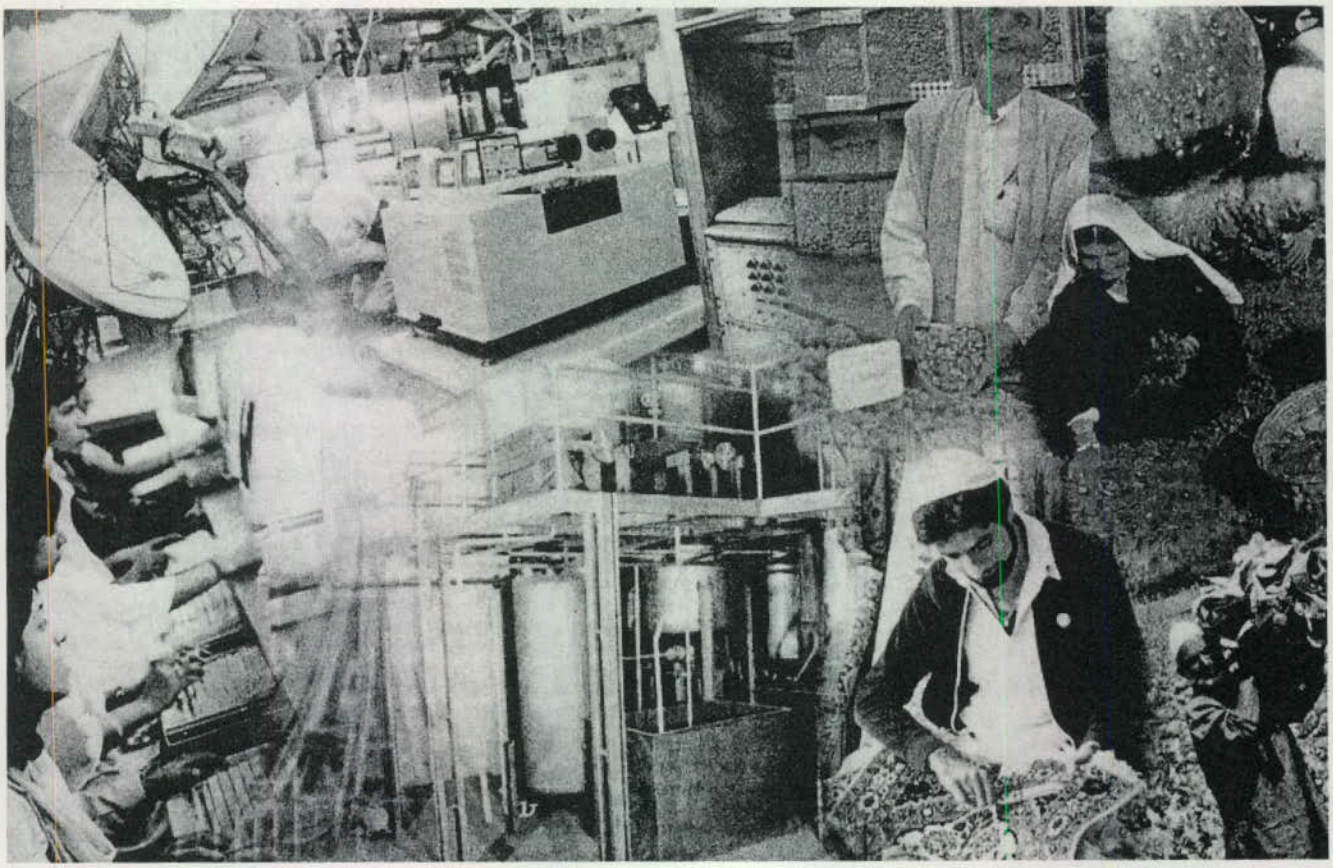

राज्य में लंबा इतिहास रहा है। श्रमिक समस्याओं के कारण हड़तालों की संख्या नगण्य रही है।

राज्य में मौजूदा सड़कों, दूरसंचार और अन्य संसाधनों में सुधार के निरंतर प्रयास हो रहे हैं। जम्मू से कश्मीर घाटी का रेल संपर्क 2007 तक स्थापित हो जाएगा।

उद्देश्य

औद्योगिक नीति, 2004 के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- राज्य के समग्र आर्थिक विकास, आय, रोजगार, उत्पादन मूल्य और विकास दर में वृद्धि के लिए सभी क्षेत्रों में सुदीर्घ विकास हासिल करना;
- औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देकर राज्य के सभी क्षेत्रों के संतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास का प्रयास करना;
- कुटीर और अत्यंत छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना और टिकाऊ बनाना, जिससे कम निवेश के बावजूद उनमें अधिक लोगों को रोजगार मिल सके;
- सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधनों की सहज उपलब्धता और पारदर्शिता के साथ अनुकूल वातावरण निर्मित करना;
- संभावनाओं वाली बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करना ताकि उनमें लगी पूंजी और अन्य संसाधनों का यथासंभव सदुपयोग हो सके;
- महत्वपूर्ण और निर्यातोन्मुखी उद्योगों के विकास के साथ-साथ हाईटेक (उच्च-प्रौद्योगिकी), सूचना प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना;
- उद्योगों की आवश्यकतानुसार कुशल और तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध कराने हेतु मानव संसाधन विकास के लिए आवश्यक कदम उठाना।

उपाय और रणनीति

औद्योगिक नीति, 2004 के मुख्य तत्व और उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने की रणनीति इस प्रकार है :

- उन्नत संरचना और सहायक सेवाएं प्रदान करना एवं नियमित और निर्बाध विद्युत आपूर्ति पर अधिक जोर।
- केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आकर्षक प्रोत्साहन;
- विद्युत, प्रदूषण नियंत्रण, भू-आवंटन और औद्योगिक इकाई के पंजीकरण की अनुमति के लिए एकल खिड़की प्रणाली।
- औद्योगिक क्षेत्र की वित्तीय समस्याओं के निवारण के लिए वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों के साथ बेहतर समन्वयन।
- संभावनाओं वाली बीमार औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वास।
- उत्पादकता, ऊर्जा कार्यकुशलता और बेहतर पर्यावरण प्रबंधन के उद्देश्य से वर्तमान औद्योगिक इकाइयों के आधुनिकीकरण की सुविधाएं जुटाना ताकि उन की स्पर्धात्मक क्षमता बढ़ सके।
- उत्पादन के प्रति सचेत निर्माताओं के ब्रांड प्रोत्साहन में मदद करना जिससे राज्य के

भीतर और बाहर उनकी बिक्री बढ़ सके।

- उद्योग और वाणिज्य विभागों का नवोन्मेष।
- राज्य के उत्पादों का विदेशों में निर्यात बढ़ाने हेतु निर्यात संवर्धन के उपाय अपनाना।
- राज्य से उत्पादों के आयात-निर्यात की बाधायें दूर करने के लिए स्थायी शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना।
- राज्य, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार पर्यावरण संरक्षण।
- शिक्षित बेरोजगारों को अवसर प्रदान करने हेतु राज्य में उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाना।
- अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देना।
- स्वाभाविक रूप से लाभ की स्थिति वाले राज्य के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना और प्रतिष्ठित परियोजनाओं में अधिक निवेश की सुविधाएं जुटाना।

उन्नत संरचना और सहायता सेवाएं

राज्य में सामान्य संरचना के उन्नयन के लिए सरकार प्रयास करेगी। उद्योगों के लिए संरचनाओं के विकास हेतु नीति में अधोलिखित बिंदुओं पर जोर दिया गया है :

- आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों और संपत्तियों, विकास केंद्रों, एकीकृत संरचना विकास केंद्रों (आईआईडीसी) आदि का विकास समयबद्ध रूप से किया जाएगा। उद्योग के इन मुख्य केंद्रों में स्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण की सभी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। इसके लिए विशिष्ट क्रियान्वयन माडल की एक निश्चित समय सीमा वाली कार्ययोजना अपनाई जाएगी।
- विकास कार्यों और पानी-बिजली सहित समस्त संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए स्वत: प्रबंधित माडल के माध्यम से स्थानीय उद्योगपतियों को साथ लेकर प्रमुख औद्योगिक संपत्तियों के प्रचालन-प्रबंध को तर्कसंगत बनाया जाएगा।
- संरचना विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहन देगी और प्रोत्साहन लाभ लेने के लिए इस तरह की भागीदारी को एक उद्योग के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- इस बात के प्रयास किए जाएंगे कि औद्योगिक क्षेत्रों, संपत्तियों, आईआईडीसी आदि में नियमित और भरोसेमंद विद्युत आपूर्ति बनी रहे।
- औद्योगिक क्षेत्रों, परिसरों और आईआईडी केंद्रों में विद्युत के नियमित वितरण और उत्पादन के लिए निजी निवेश को सक्रियता से प्रोत्साहित किया जाएगा। इस तरह के उद्यमों को उनकी योग्यता के आधार पर सरकार आवश्यक सहायता मुहैया कराएगी जिससे वे दीर्घायु बन सकें।
- लघु पनबिजली परियोजनाएं पहले से ही निजी निवेश के लिए खुली हुई हैं। इस विषय पर सरकार के विद्युत विकास विभाग ने एक पृथक नीति की घोषणा की है।

उद्योगों को प्रोत्साहन

उद्योगों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन लाभ दिया जाता है। इन प्रोत्साहनों का लाभ लेने वाले उद्योगों को अपने उत्पादों और उत्पादकता, डिजाइन और गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए संसाधनों को निरंतर वापस उद्योगों में लगाना होगा ताकि वे अपनी स्पर्धा के दम पर चल सकें।

एकल खिड़की अनुमति प्रणाली

नये उद्यमी को औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण, भूखंड के आवंटन, प्रदूषण नियंत्रण जैसे मामलों में मंडल की अनुमति कम समय में ही मिल सके इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर एकल खिड़की अनुमति प्रणाली शुरू की गई है। इससे समय पर निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा और विद्युत उपलब्धता का प्रमाणपत्र मिल सकेगा। इस विषय पर अलग से एक अधिसूचना जारी की जाएगी।

संस्थागत/वाणिज्यिक बैंक वित्तपोषण

औद्योगिक नीति, 2004 में इस बात को स्वीकार किया गया है कि राज्य के औद्योगिक विकास में वित्तीय संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाना है जिससे राज्य से पूंजी पलायन की मौजूदा प्रवृत्ति को रोका जा सके। वर्तमान में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह समय की कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। परियोजनाओं को आवश्यकता से कम वित्तीय मदद देने और वह भी देर से देने के कई प्रकरण सामने आए हैं। इससे लागत तो ज्यादा आती ही है, समय भी अधिक लगता है। राज्य के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार निम्नलिखित कार्ययोजना अपनाएगी :

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एलएलबीसी) और राज्य स्तरीय अंतर्संस्थागत समिति (एसएलआईआईसी) जैसी संस्थाओं द्वारा ऋण प्रवाह की निगरानी की वर्तमान व्यवस्था का सार्थक उपयोग किया जाएगा।
- संभाग और जिलास्तर पर समन्वय समितियों का गठन किया जाएगा ताकि ऋण प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में निपटाने की प्रक्रिया पर नजर रखा जा सके।

बीमार इकाइयों का पुनर्वास

बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयों में संरचना और निवेश के रूप में बहुत बड़ी राशि फंसी हुई है। हालांकि औद्योगिक रुग्णता एक व्यापक समस्या है, इसका प्रभाव जम्मू-कश्मीर में कुछ अधिक ही है। बीमार इकाइयों के पुनर्वास के लिए मुख्य रूप से औद्योगिक इकाइयों, वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों को ही पहल करनी होगी, सरकार की भूमिका केवल उत्प्रेरक और सहायक के रूप में ही रहेगी। वर्तमान में प्रचलित 1999 का सरकारी आदेश क्र. 47 उद्योग, दि. 10.2.1999 जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, सरकार अलग से एक ऋण राहत पैकेज भी घोषित करेगी। बीमार औद्योगिक इकाइयों को दोनों में से एक पैकेज चुनने का विकल्प रहेगा।

स्पर्धात्मकता उन्नयन - आधुनिकीकरण

राज्य में काम कर रही औद्योगिक इकाइयों को इस बात को स्वीकार करना होगा कि आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के

फलस्वरूप देश में, और कालांतर में राज्य में, सस्ते और बेहतर क्वालिटी के उत्पादों को आने से रोका नहीं जा सकता। इसलिये, जो औद्योगिक इकाइयां अपनी उत्पादकता और ऊर्जा कार्यकुशलता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से आधुनिकीकरण की इच्छुक हैं उनको सरकार की ओर से पूंजी निवेश की राजसहायता पूरे राज्य में मिलेगी। इस प्रोत्साहन सुविधा का लाभ लेने की प्रक्रिया अलग से निर्धारित की गई है।

ब्रांड उन्नयन

बाजार में बढ़ती प्रतियोगिता को देखते हुए क्वालिटी के प्रति सचेत उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माता मुकाबले में तभी बने रह सकेंगे जब वे बुद्धिमत्तापूर्ण विपणन नीति अपनाएं और अपने ब्रांड की छवि निखारें। ऐसे विनिर्माताओं को जो राज्य के भीतर और बाहर अपना खुद का ब्रांड बनाने और उसके प्रसार के इच्छुक हैं, प्रोत्साहन देने हेतु सरकार सहायता प्रदान करेगी। इसका विस्तृत विवरण राज्य सरकार के प्रोत्साहन पैकेज में दिया गया है।

औद्योगिक एवं वाणिज्य विभाग का पुनर्विन्यास (नये उत्तरदायित्व के लिए तैयार करना)

उदार अर्थव्यवस्था में यह आवश्यक है कि उद्योग और वाणिज्य विभाग तथा संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाया जाए जिससे वे नये जमाने की चुनौतियों का सामना कर सकें। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया को तेज (धारदार तरीके से पूरा) किया जाएगा। तदनुसार, उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय में कंप्यूटरीकरण को और शीघ्रता से पूरा किया जाएगा ताकि वे अपनी वेबसाइट पर न केवल संबंधित सभी नीतियां और सूचनाएं प्रकाशित कर सकें बल्कि पंजीकरण के आवेदन, प्रोत्साहन लाभ की स्थिति आदि के बारे में भी जानकारी दे सकें। निवेशकों और उद्योगों के अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाएगा।

निर्यात संवर्धन

निर्यात को आर्थिक विकास का इंजन कहा गया है। लेकिन देश के समस्त निर्यात में जम्मू-कश्मीर की हिस्सेदारी बहुत कम है। यह केवल लघु उद्योग क्षेत्र में प्रसंस्कृत सूखे मेवे और हस्तशिल्प तक ही सीमित है। पारंपरिक और अपारंपरिक वस्तुओं, दोनों क्षेत्रों में निर्यात के लिए राज्य में अपार संभावनाएं हैं। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जम्मू-कश्मीर में दो विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बारी ब्राह्मण में एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो तैयार हो गया है, जो निर्यातकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की निर्यात संरचना विकास हेतु राज्यों की सहायता योजना (एएसआईडीई) के अधीन राज्य में निर्यात संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। निकट भविष्य में श्रीनगर और जम्मू में एयर कार्गो परिसरों का काम भी हाथ में लिया जाएगा।

स्थायी शिकायत निवारण प्रणाली

अतीत में औद्योगिक नीति में प्रावधानों के बावजूद कच्चे माल, पूंजीगत सामान, ईंधन आदि के खेप को राज्य के प्रवेश बिंदु पर रोके जाने के कई उदाहरण हैं, जिससे माल के पहुंचने में देरी हुई है, और जुर्माना भरना पड़ा है। औद्योगिक नीति पर सही अर्थों में अमल हो, इस बारे में आश्वस्त करने के लिए, वित्त विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया जाएगा कि औद्योगिक नीति के अधीन आने वाले उद्योगों से संबंधित किसी भी सामान को प्रवेश बिंदु पर 24 घंटे से अधिक रोका न जाए। किसी तरह के संदेह की स्थिति में संबंधित अधिकारी द्वारा फर्म को अपनी आपत्तियों के बारे में एक नोटिस जारी करना होगा, लेकिन माल को तुरंत छोड़ दिया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा एक स्थायी शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा, जिसके सदस्यों में उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक, विक्रय कर आयुक्त और उत्पाद कर आयुक्त शामिल होंगे। समिति की बैठक हर पखवाड़े में होगी। वह इस तरह जारी नोटिसों पर विचार करेगी तथा उसके आदेश सभी संबंधित लोगों पर बाध्यकारी होंगे। किसी खास परिस्थिति में इस तरह की बैठकें अल्प सूचना पर भी बुलाई जा सकेंगी। आशा है इस प्रक्रिया से राज्य के प्रवेश बिंदु पर कथित (दुर्भावनापूर्ण) मनमानी कार्रवाई को रोका जा सकेगा।

पर्यावरण संरक्षण

प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नयी इकाइयों को निर्माण शुरू करने के लिए अनुमति यह सुनिश्चित करने के बाद ही देगा कि उद्यमी ने आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपायों को परियोजना में शामिल कर लिया है। भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं और राज्य के संसाधनों का लाभ उठाते हुए सरकार सामान्य अवशिष्ट पदार्थ शोधन संयंत्र स्थापित करने और ठोस कचरे के निपटान हेतु स्थल प्रदान करने में सहायता करेगी। पर्यावरण संबंधी अनुमति प्रदान करने वाली प्रक्रिया को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाएगा जिससे प्रकरणों को शीघ्र निपटाया जा सके। पर्यावरण हितैषी परियोजनाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण साधनों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहनों को राज्य सरकार के पैकेज में शामिल किया गया है।

उद्यमिता विकास

स्थानीय युवाओं में उद्यमी कौशल की कमी को राज्य की निरंतर प्रगति में एक बड़ी बाधा माना गया है। जे एंड के सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत जम्मू-कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान को हाल ही में सक्रिय रूप दिया गया है। यह संस्था राज्य के युवाओं को उद्यमिता का प्रशिक्षण देगी। राज्य के विश्वविद्यालयों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विस्तृत उद्यमिता विकास शिक्षा को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार आगे आएगी। व्यापार/उद्योग से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं को औद्योगिक पार्कों/विकास केंद्रों में 50 प्रतिशत की रियायती दर पर जमीन दी जाएगी।

महत्वपूर्ण क्षेत्र और प्रतिष्ठित परियोजनायें

निम्नलिखित उद्योगों को राज्य सरकार महत्वपूर्ण मानते हुए उन पर ज्यादा जोर देगी :

- इलेक्ट्रॉनिक्स (एकीकृत सर्किट और सूक्ष्म संयोजन) कंप्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर
- कृषि आधारित उद्योगों सहित खाद्य प्रसंस्करण (पारंपरिक पिसाई और निष्कर्षण इकाइयों के अलावा)
- पुष्पोत्पादन
- हस्तशिल्प
- चर्म प्रसंस्करण और चमड़े की वस्तुयें
- खेल सामग्री और सामान्य शारीरिक अभ्यास के लिए उपकरण एवं सामग्री
- वन आधारित उद्योग
- सुगंधित और औषधीय पौधों एवं जड़ी-बूटियों का प्रसंस्करण
- औषधि विज्ञान - दवा निर्माण में काम आने वाले रसायन सहित
- रेशम की रीलें बनाना, बुनाई, छपाई, प्रसंस्करण और तैयार रेशम, धागा, बेकार रेशम से कताई किए हुए धागे
- बहुमूल्य पत्थरों, रत्नों, जवाहरात की कटिंग और पालिशिंग
- सूक्ष्म यंत्र इंजीनियरी
- ऊन प्रसंस्करण, बुनाई, कताई और फिनिशिंग, ऊन के बुने हुए वस्त्र
- सूत के बुने हुए कपड़े
- पर्यटन से संबंधित उद्योग, जैसे - तंबू (शिविर) सामग्री और फाइबर की नाव बनाने वाली इकाइयां, पर्यटकों के लिए स्मृति चिन्ह बनाने वाली इकाइयां
- सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी आदि सहित ज्ञान आधारित उद्योग
- वाहन उद्योग की सहायक इकाइयां
- खनिजों की खोज
- ग्रीन हाउस (केवल लद्दाख में)

अधिक ध्यान दिए जाने वाले चुनिंदा क्षेत्रों में सरकार समय-समय पर नयी औद्योगिक गतिविधियों को शामिल कर सकेगी। इन क्षेत्रों की औद्योगिक परियोजनाओं को भूखंड आवंटन, विद्युत और अन्य मंजूरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रोत्साहनों के मामले में भी उन्हें वरीयता दी जाएगी।

जहां तक 25 करोड़ रुपये से अधिक के प्रतिष्ठापूर्ण परियोजनाओं का प्रश्न है, उनकी योग्यता के आधार पर सरकार प्रोत्साहनों के विशेष पैकेज पर विचार कर सकती है। इनको एक सहमति पत्र के रूप में दर्ज किया जाएगा। पूंजीगत निवेश में राज सहायता के लिए प्रतिष्ठापूर्ण परियोजनाओं की अधिसूचना राज्य स्तरीय समिति जारी करेगी।

अनुसंधान एवं विकास

महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और इनके निष्कर्षों को औद्योगिक क्षेत्र में हस्तांतरित करना समय की मांग है। यह बात कृषि, वन, खनिज कर्म और खनिज क्षेत्रों, औषधीय और जड़ी-बूटियों के मामले में ज्यादा लागू होती है, क्योंकि मूल्यसंवर्धन में ये पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं। हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र की सहायता के लिए डिजाइन एवं संसाधन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाएगा। उत्कृष्टता के राष्ट्रीय स्तर के संगठनों से इन कार्यक्रमों की मदद करने के लिए आग्रह किया जाएगा।

क्रियान्वयन

नीति पर प्रभावी और कुशल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए और उद्योग एवं सरकार के स्तर पर व्यापक तौर पर नियमित संवाद के लिए सरकार एक उच्च स्तरीय उद्योग सलाहकार समिति का गठन करेगी जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं होंगे। इसके साथ ही उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रभारी, उपमुख्यमंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री भी समिति के सदस्य होंगे। समिति में कृषि, उपभोक्ता मामले, पर्यावरण, वन, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, नियोजन और विद्युत विकास जैसे (अर्थपूर्ण) आर्थिक विभागों के प्रमुख सचिवों को भी शामिल किया जाएगा।

चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री और जम्मू-कश्मीर संभाग के उद्योग फेडरेशनों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी समिति में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। समिति की बैठक हर तीन महीने में कम से कम एक बार अवश्य हुआ करेगी। उद्योगों से संबद्ध ज्वलंत विषयों पर सामयिक विचार-विमर्श के लिए समिति एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी, साथ ही त्वरित निर्णय भी लिया करेगी। विभिन्न राज्यों में औद्योगीकरण के उन्नयन की उच्च स्तरीय स्पर्धा के इन दिनों में इसकी महती आवश्यकता है।

उपसंहार

पूरी आशा है कि औद्योगिक नीति, 2004 को राज्य के वर्तमान उद्योगों और भावी उद्यमियों का समर्थन प्राप्त होगा। यह भी अपेक्षा है कि यह देश और विदेश के अन्य उद्यमियों को भी राज्य की ओर आकर्षित करने में सफल होगी। सरकार इस नीति को पूरी निष्ठा के साथ लागू करेगी और यथासंभव राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में निवेश वातावरण को अधिक आकर्षक और शक्तिशाली बनाएगी। ❑

केंद्र जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करेगा

दुनियाभर में जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित करने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक उपायों की घोषणा की है।

जुलाई में अपनी तीन दिन की जम्मू-कश्मीर यात्रा की समाप्ति पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री रेणुका चौधरी ने कहा कि राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हाउसबोट, होटल तथा घोड़े के मालिकों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए 16 करोड़ रुपये के अलावा सरकार ने गुलमर्ग स्थित स्कीइंग संस्थान के पुनर्निर्माण के लिए 8.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। 20 करोड़ रुपये ग्रामीण पर्यटन तथा नये इलाकों के विकास के लिए आवंटित किए गए हैं।

केंद्र अमरनाथ यात्रा मार्ग का भी विकास करेगा। जम्मू में शिवखोड़ी तथा झेलम नदियों के तट पर भी पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे।

श्रीमती चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार दुनियाभर में जम्मू-कश्मीर को 'सुरक्षित पर्यटन स्थल' के रूप में प्रस्तुत करने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि "यह न्यूयार्क अथवा किसी भी अन्य स्थान के मुकाबले अधिक सुरक्षित है। लेकिन यह बात लोगों को बताए जाने की जरूरत है।" प्रचार अभियान के एक भाग के रूप में सभी महानगरों में कश्मीर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राज्य पर्यटन विभाग के साथ मिलकर केंद्र श्रीनगर से लेह के बीच एक कार रैली का प्रस्ताव भी बना रहा है।

सुधरते हालात की बाबत केंद्र के दावे के समर्थन में श्रीमती चौधरी ने इटली सरकार द्वारा अपने नागरिकों को जम्मू-कश्मीर की यात्रा न करने की सलाह वापस लेने के निर्णय का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने ब्रिटेन सरकार को भी अपने पर्यटकों को यहां यात्रा न करने संबंधी सलाह वापस लेने के लिए कहा है तथा इस संबंध में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। ❑

कश्मीर हाट से हस्तशिल्प विक्रेताओं में नयी उम्मीद

श्रीनगर में कश्मीर हाट के उद्घाटन से हस्तशिल्प विक्रेताओं में अपने व्यापार में वृद्धि की नवीन उम्मीद जगी है। उद्घाटन समारोह के साथ एक हस्तशिल्प प्रदर्शनी की शुरुआत भी हुई। इस तरह की प्रदर्शनी 17 वर्षों के अंतराल के बाद लगाई गई है। इस प्रदर्शनी से कश्मीरी हस्तशिल्प तथा कारीगरों को अपना काम प्रस्तुत करने का मंच उपलब्ध हो जाएगा।

2.65 करोड़ रुपये की लागत से विकसित इस हाट में 68 दुकानें हैं। इनके अलावा रेस्तरां, खोखे और 400 गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह भी है। बीच के मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था है। नवनिर्मित परिसर राज्य के वास्तुशिल्प की विरासत की झांकी प्रस्तुत करता है। मैदान के भीतर ही स्थित पुराने सेंट्रल मार्केट को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है ताकि पृष्ठभूमि से उसका तालमेल बैठ सके। यह स्थान श्रीनगर में घूमने-फिरने की सर्वोत्तम जगह बन गया है।

कश्मीर हाट में भविष्य में नियमित रूप से प्रदर्शनियां और उत्सव आयोजित किए जाएंगे। 1988 से पहले आयोजित किए जाने वाली वार्षिक प्रदर्शनियां कश्मीर के सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग थीं। इनमें लाखों लोग विभिन्न क्षेत्रों में कश्मीर का विकास देखने के लिए आ सकेंगे। आगंतुकों के मनोरंजन के लिए यहां नियमित रूप से नृत्य-संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

हाट के दूसरे चरण का निर्माण कार्य भी आरंभ हो चुका है। यहां संग्रहालय, प्रदर्शनी हाल, क्रेता-विक्रेता बैठक की सुविधाएं तथा हस्तशिल्प के प्रोन्नयन के लिए ढांचागत सुविधाएं होंगी। 5.91 करोड़ रुपये लागत वाली यह परियोजना मार्च 2007 में पूरी हो जाएगी।

अनेक हस्तशिल्प व्यापारियों ने कश्मीरी कला के व्यवसायियों के लिए केंद्रीकृत व्यापार स्थल बनाने हेतु सरकार की प्रशंसा की है। कारीगरों को भी कश्मीर में आने वाले पर्यटकों को अपनी कला प्रदर्शित करने का एक स्थान मिल गया है। ❑

14 साल बाद कश्मीर में खेल स्पर्धा

जम्मू-कश्मीर में 14 वर्ष के अंतराल के उपरांत कश्मीरी युवाओं ने एक अंतरजिला खेल टूर्नामेंट में भाग लिया। इस टूर्नामेंट में 15 खेलों को शामिल किया गया था।

सफलतापूर्वक संपन्न इस राज्यस्तरीय खेल स्पर्धा के विभिन्न चरणों में सभी जिलों से आई 14 से 17 साल की उम्र की 1,044 लड़कियों ने भाग लिया। टूर्नामेंट में क्रिकेट, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वालीबॉल, खो-खो तथा कबड्डी जैसे खेल शामिल थे।

टूर्नामेंट के आखिरी दिन 26 जुलाई को खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री योगेश साहनी ने राज्य सरकार तथा खेल विभाग की इस स्पर्धा के आयोजन के लिए सराहना की। इस टूर्नामेंट में कुपवाड़ा, करगिल तथा लेह जैसे सीमावर्ती जिलों से भी खिलाड़ियों ने भाग लिया। श्री साहनी ने कहा, "उपद्रव के दिनों में हमारे युवाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस आयोजन की सफलता का श्रेय मौजूदा राज्य सरकार को है जिसने राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल कायम किया है और छात्रों को आगे बढ़कर खेल स्पर्धाओं में भाग लेने में समर्थ बनाया है।"

उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है तथा "राज्य सरकार ने इसे शैक्षिक संस्थाओं में अनिवार्य विषय बना दिया है।"

उग्रवादी गतिविधियां शुरू होने के कारण कश्मीर में खेल पिछड़ गए थे। इस पूरी अवधि में स्टेडियम, खेल के मैदान तथा अन्य खेल सुविधाएं बंद पड़ी रहीं। लेकिन अब एक स्थानीय युवा छात्रावास का पुनर्निर्माण कर लिया गया है ताकि राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी में खिलाड़ियों को खेल स्पर्धाओं के दौरान आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

खेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खेल गतिविधियों को फिर से शुरू करने का काम राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता थी ताकि राज्य के युवाओं की ऊर्जा को दिशा दी जा सके और उनकी प्रतिभा का विकास किया जा सके। ❑

कश्मीरी रंगमंच

श्रीनगर में हाल ही में 'दूरदर्शन रंग महोत्सव' का आयोजन किया गया। इसे घाटी में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन के रूप में देखा गया।

रंग महोत्सव के दर्शकों में सभी प्रकार के लोग शामिल थे। रंगकर्मी, युवावर्ग, प्रबुद्ध और वरिष्ठ नागरिकों के साथ परिवारों ने भी इसका भरपूर आनंद लिया।

समारोह का आयोजन दूरदर्शन श्रीनगर ने स्थानीय सांस्कृतिक समूहों के सहयोग से किया था। इस उत्सव ने स्थानीय लेखकों, कलाकारों, और निर्देशकों को अपनी प्रतिभा दर्शाने का अच्छा अवसर प्रदान किया।

थिएटर कला का यह पुनर्जागरण सृजनात्मक स्वतंत्रता के वातावरण में संपन्न हुआ। महोत्सव में मंचित अनेक नाटकों के कथासार काफी साहस भरे थे जिन्होंने दर्शकों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित किया। ❑

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट ब्रांड

जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य में निर्मित क्रिकेट के बल्लों को अपना ब्रांड नाम देने का इरादा व्यक्त किया है। यहां निर्मित बल्लों को 'कश्मीरी बल्ला' के नाम से जाना जाएगा।

राज्य ने बल्ले की लकड़ी की चिड़ाई के बाद वैज्ञानिक तरीके से उपचार की जरूरत पर भी बल दिया है। इसके लिए एक संयंत्र अगले तीन-चार महीनों में लगा लिया जाएगा। श्रीनगर में क्रिकेट बल्लों की उत्पादन इकाइयों के लिए एक आम सुविधा केंद्र का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रांड नाम से इस स्थानीय उत्पाद का मानकीकरण होगा और बेहतर बाजार मिलेगा। इससे यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि खराब गुणवत्ता वाले बल्ले कश्मीरी उत्पाद के रूप में न बेचे जा सकें। आम सुविधा केंद्र बल्ला निर्माता इकाइयों का एक समूह है। राज्य में यह अपने आप में एक अनूठा समूह है। इसके निर्माण पर 5.72 करोड़ रुपये की लागत आएगी। राज्य सरकार गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी तथा बल्लों की डिजाइनिंग बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप की जाएगी। इसके प्रचार के लिए इंग्लैंड से अंग्रेजी बल्लों के नमूने लाए जाएंगे। ❑

जम्मू-कश्मीर समाचार

- केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजीला दर्रे पर एक सुरंग बनाने के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किया है। इससे 434 किमी. लंबा यह मार्ग वर्षभर खुला रह सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपनी हाल की कश्मीर यात्रा के दौरान इस सुरंग के निर्माण का वायदा किया था। 11,579 फीट की बर्फाच्छादित ऊंचाई पर इस सुरंग के निर्माण तकनीकी संभाव्यता पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने द्रास में इसका खुलासा किया। इस सुरंग से यह महत्वपूर्ण सड़क संपर्क खुला रखने में मदद मिलेगी। अन्यथा जाड़े की ऋतु में बर्फवारी की वजह से यह सड़क वर्ष में छह से सात महीने बंद रहती है। मुख्यमंत्री ने द्रास और करगिल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि अनेक पर्यटक टाइगर हिल पर घूमना चाहते हैं।
- जम्मू-कश्मीर सरकार ने रेशम उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए एक रेशम विनिमय केंद्र की स्थापना का निर्णय किया है। इसके पास 60 लाख रुपये का कोष होगा। श्रीनगर और जम्मू में विनिमय केंद्र की दो शाखाएं होंगी जो रेशम के धागे तैयार करने वालों को बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करेंगी। रेशम का धागा बनाने वाले इसके व्यापार में भी शरीक हो सकेंगे। राज्य सरकार पहले ही रेशम ककून बैंक स्थापित कर चुकी है ताकि धागा निर्माताओं को वर्षभर कच्चा माल मिल सके।
- केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम को 8 करोड़ रुपये निर्गत करने वाली है। यह राशि निगम को पिछले 15 सालों के दौरान राज्य में उग्रवाद के कारण होने वाली क्षति की भरपाई के तौर पर दी जाएगी। केंद्रीय अनुदान से राज्य सड़क परिवहन निगम को वापस अपनी गति पाने के साथ-साथ अपने बेड़े के आधुनिकीकरण में काफी मदद मिलेगी।

(फोटो सौजन्य : दी टाइम्स ऑफ इंडिया)

जेट पहुंचा सियाचिन

जेट एयरवेज सियाचिन की भूमि पर पहुंचने वाली पहली निजी क्षेत्र की वायुसेवा कंपनी बन गई है। सियाचिन में विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक हवाई अड्डा स्थित है। जेट एयरवेज के पहले चार्टर वायुयान से 90 सैनिक इस ग्लेशियर में स्थित सैन्य अड्डे पर पहुंचे।

- राज्य सरकार ने डोडा के परलंका और असार इलाकों में चूना पत्थर की खुदाई को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। राज्य खनिज निगम 1974 से ही असार में चूना पत्थर के खदानों का संचालन कर रहा है। इसका उत्पादन 1997-98 के 12,875 टन से बढ़कर 2002-03 में 26,000 टन हो चुका है। इस इलाके में लगभग 2.9 करोड़ टन चूने का भंडार होने का अनुमान है।
- चालू वर्ष में श्रीनगर में जिला ऋण योजना के तहत 19,100 से अधिक लाभार्जक इकाइयां लगाई जाएंगी। इनमें से 7,083 इकाइयां कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में, 4,460 इकाइयां गैर कृषि तथा लघु उद्योग क्षेत्र में और 7,623 इकाइयां व्यापार तथा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत लगाई जाएंगी। जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।
- जम्मू-कश्मीर सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की धारणीय इकाइयों को पुनर्जीवित करने की एक व्यापक नीति तैयार कर रही है। राज्य के वित्तमंत्री मुजफ्फर बैज ने बताया कि जम्मू-कश्मीर उद्योग विभाग के नियंत्रण में 15 इकाइयां थीं जिनमें से 10 को बंद कर दिया गया था तथा बाकी 5 घाटे में चल रही हैं। श्री बैज ने उद्योग और वित्त विभागों से कहा कि आर्थिक रूप से धारणीय कम-से-कम 11 इकाइयों को फिर से शुरू करने की रणनीति बनाएं।
- कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनी टाटा एग्रिको ने राज्य में अपना नेटवर्क मजबूत बनाने तथा ग्रामीण इलाकों में अपनी पहुंच बढ़ाने में रुचि दिखाई है।
- पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हथकरघा तथा अन्य उत्पादों के विपणन की संभावनाएं तलाशने के लिए जम्मू-कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स वहां अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजेगा।
- जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने घोषणा की है कि दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा में शीघ्र एक इस्लामी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- केंद्र ने इस राज्य को दस और वाटरशेड विकास परियोजनाएं (हरियाली परियोजना) आवंटित की है। इस पर 30 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इनसे बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, बडगाम और उधमपुर जिलों में 50,000 हेक्टेयर बंजरभूमि की सिंचाई की जाएगी।
- भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) उपभोक्ता सहकारिताओं का केंद्रीय संस्थान है। संघ राज्य के सभी हिस्सों में उचित मूल्य दुकानों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करेगा जिनसे बिना लाभ लिए लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम करे 'सर्वप्रिय' नाम दिया गया है। इसका संचालन राज्य उपभोक्ता मामले तथा जनवितरण विभाग के साथ समन्वय कर किया जाएगा।
- मौजूदा आईटीआई के प्रोन्नयन तथा विविधीकरण के लिए केंद्र ने 35 करोड़ रुपये प्रदान किया है। महिलाओं का जीवनस्तर ऊपर उठाने के ध्येय से सरकार आईटीआई में महिला स्कंध खोलने पर विचार कर रहा है।
- कुलगाम में सभी सुविधाओं से लैस एक आधुनिक फल एवं सब्जी मंडी का विकास किया जाएगा। इस मंडी के लिए भूमि स्थानीय लोग दान करेंगे।
- कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सरकार से श्रीनगर के वायुमार्ग माल परिवहन परिसर को फिर से खोलने के लिए कहा है। इस परिसर को 1980 के अंत में बंद कर दिया गया था।
- जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय इस प्रकार हैं:

(i) राज्य के 10वीं भारतीय आरक्षित बटालियन के गठन की स्वीकृति।

(ii) लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह के लिए तीसरे आम चुनाव के कार्यक्रम का अनुमोदन।

(iii) अखनूर जिले की नयाबात खौर तहसील के 21 गांवों के सीमांत प्रवासियों को मुफ्त राशन।

(iv) लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) करगिल के लिये कर्मचारियों के पदों का सृजन। ❑

पाठक कृपया ध्यान दें

आउटसोर्सिंग रोजगार का एक उदीयमान क्षेत्र है। 'योजना' का अक्तूबर 2005 अंक बीपीओ के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित होगा। नैसकॉम के अध्यक्ष श्री किरण कार्णिक सहित इस क्षेत्र के अग्रणी विद्वानों के लेख और विचार अंक में शामिल होंगे। श्री संजय कोठारी, आईएएस अपने आलेख में आउटसोर्सिंग से जुड़े सामाजिक मुद्दों तथा सरकारी तंत्र में नवोन्मेषी रणनीतियों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। पाठक कृपया अपनी प्रति सुरक्षित करा लें।

अक्षरा ने स्कूल पूर्व छात्रों की संख्या बढ़ाई

○ एल.सी. जैन

मार्च 2000 में बंगलौर के कुछ नागरिकों ने स्कूल छोड़ जाने की छात्रों की बढ़ती दर की समस्या का मुकाबला करने की हिम्मत जुटाई और उन्होंने पूर्व छात्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए उन्होंने 1,000 स्वयंसेवक जुटाए।

भारत की जानी-मानी स्वाधीनता सेनानी और महिला उद्धार के लिए काम करने वाली कमला देवी चट्टोपाध्याय ने हमेशा भारत की समस्याओं को प्रतिशत में व्यक्त करने का विरोध किया। उनका कहना था कि ऐसा करने से सत्ता में बैठे लोग जनता को भ्रमित करते हैं और इससे उन्हें समस्याएं सुलझाने की दिशा में कुछ न करने का मौका मिलता है। लेकिन हम ऐसा करने की बजाय प्रतिशत में बात करेंगे। उदाहरण के लिए जनता की स्थिति की बात करते समय हम यह नहीं कहते हैं कि 300 करोड़ व्यक्ति गरीब हैं बल्कि आबादी के उस प्रतिशत का जिक्र करते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहती है। हम कहते हैं कि शून्य से 5 वर्ष तक की आयुवर्ग के बच्चों का 47 प्रतिशत कुपोषण से ग्रस्त हैं, यह नहीं कि 20 करोड़ शिशु कुपोषण से पीड़ित हैं।

हाल ही में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने कहा था कि स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की दर 53 प्रतिशत तक हो गई है। इसमें कोई नयी बात नहीं थी। 1992 में स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की दर 59 प्रतिशत बताई गई थी। लेकिन उसका हम पर क्या असर पड़ा?

यह संतोष की बात है कि हमारे बीच कुछ प्रबुद्ध आत्माएं भी हैं जो इन समस्याओं को महसूस करती हैं। बंगलौर का अक्षरा समूह भी ऐसा ही है। स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की 53 प्रतिशत दर पर उसने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। उसने कहा था कि इसका मतलब है कि हमारी व्यवस्था का विश्वास है कि बच्चे या तो पढ़ नहीं सकते अथवा हम यह सोचते हैं कि वे इस लायक ही नहीं हैं कि उन्हें पढ़ाया जाए। अक्षरा ने कहा था कि इनमें से पहली बात सही नहीं है जबकी दूसरी बात नैतिक रूप से गलत है। अक्षरा बराबर प्रतिक्रिया जाहिर करती रही है। उसने कुछ काम किया है, और काफी अच्छा काम किया है जिसका पता हमें तब लगा जब हम उनके कार्यस्थल पर पहुंचे।

लेकिन पहले दो शब्द इस संबंध में कि अक्षरा है क्या? मार्च 2000 में बंगलौर के कुछ गिने-चुने नागरिकों ने स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की बढ़ती संख्या की समस्या का मुकाबला करने की हिम्मत जुटाई। उनका आदर्श वाक्य है - हर बच्चा स्कूल जाए और ठीक से शिक्षा ग्रहण करे।

उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के लिए मशहूर शहर बंगलौर की झुग्गी-झोपड़ी कालोनियों की ओर अपना रुख किया। उन्हें पता चला कि स्कूल छोड़ने से पहले पेश आने वाली एक अन्य समस्या है। वह यह कि हजारों छोटे बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय परिसर में कदम ही नहीं रख पाते। अक्षरा को पता चला कि समस्या स्कूल जाने से पहले की आयु से ही शुरू हो जाती है। स्कूल पूर्व आयु वर्ग के किसी बच्चे को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करने की जरूरत होती है और यही समस्या है जिससे पहले निपटने की जरूरत है। कोई बच्चा जो अपने खानदान में पहली बार स्कूल में जाने वाला है, अपने घर के माहौल के अनुसार स्कूल के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है? और कोई ऐसे माता-पिता जिन्होंने खुद कभी स्कूल का मूंह नहीं देखा, अपने बच्चे को वहां जाने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं? सरकारी तंत्र ने पिछले 50 वर्षों में इस बात पर कभी गौर ही नहीं किया। इन्हीं बातों को नजर में रखते हुए अक्षरा ने अपना ध्यान स्कूल पूर्व बच्चों पर केंद्रित किया। और विश्वास करिए, उसने 1,000 स्वयंसेवकों की पक्के इरादे वाली एक फौज खड़ी दी। यह जानकर कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि 2000 से 2005 तक के मात्र 5 वर्षों में अक्षरा 1,00,000 बच्चों तक पहुंच गई। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूल पूर्व आयुवर्ग के 52,000 में से 50,000 बच्चों को उसने विधिवत शिक्षा के लिए स्कूल भेजने में कामयाबी हासिल की।

मैंने बंगलौर की मलिन बस्तियों में अक्षरा के कई ऐसे विद्यालय देखे जिनमें स्कूल पूर्व छात्रों को तैयार किया जाता है। मैंने एक कक्षा देखी जिसमें 5 वर्ष से कम आयु के नन्हें-मुन्ने अधिकांश आपस में या खिलौनों से खेलते नजर आए। उनमें से कुछ सो रहे थे तो कुछ कॉमिक्स के पन्ने उलट-पलट रहे थे। उनकी बाल सुलभ जिज्ञासा देखना मेरे लिए एक नया तजुर्बा था। मैं सोच रहा था कि कैसे मां-बाप हैं जो छोटे बच्चों को अपनी नजर से बाहर जाने देते हैं। इसका पहला कारण तो ये कि शिक्षक भी स्थानीय होती हैं जिसे उसी समुदाय के लोग चुनते हैं और अक्षरा उसे जरूरी प्रशिक्षण देती है। कक्षा के लिए कमरा समुदाय के लोग उपलब्ध कराते हैं। शुरू-शुरू में अक्षरा शिक्षिका को कुछ मानदेय भी देती है। जल्दी ही जब माता-पिता देखते हैं कि उनके बच्चे प्रगति कर रहे हैं तो वे भी कुछ

ज्ञान आयोग लोगों के दृष्टिकोण का समन्वयन करेगा

ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा है कि आयोग, ज्ञान की प्राप्ति सहित पांच क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए देश में ज्ञान के आधार की वृद्धि के लिए काम करेगा। यह ज्ञान के सृजन और प्रयोग के साथ-साथ लोगों तक ज्ञान आधारित सेवा पहुंचाने के लिए प्रस्ताव भी तैयार करेगा।

योजना आयोग में गत 4 अगस्त, 2005 को हुई आयोग की पहली बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए श्री पित्रोदा ने कहा कि प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी परिवर्तन के लिए सिफारिशों का पहला सेट इस वर्ष अक्तूबर तक तैयार हो जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आठ सदस्यीय आयोग विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के नजरियों का समन्वयन करेगा। यह अपनी सिफारिशें इस तरह तैयार करेगा कि उससे युवाओं को लाभ मिले जो ज्ञान के वास्तविक उपभोक्ता हैं।

श्री पित्रोदा ने कहा कि ज्ञान आयोग मौजूदा सरकारी ढांचे के भीतर ही काम करेगा। 6 मंत्रियों को आयोग के साथ मिलकर काम करने के लिए खास तौर पर चुना गया है। यह आयोग योजना आयोग से अपना काम करेगा। छह मंत्रियों और योजना आयोग के अलावा, ज्ञान आयोग ने उद्योग संघों और गैरसरकारी संस्थाओं जैसे अन्य दावेदारों (इच्छुक उपभोक्ता संगठनों) से भी विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव किया है।

इससे पूर्व, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 2 अगस्त को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्घाटन किया जिससे सरकार में और अधिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व आ सके, साथ ही विश्वस्तर पर भारत के ज्ञान को चमकाया जा सके। डा. सिंह ने कहा कि अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों में भारत वैश्विक स्तर पर निवेश आकर्षित करने में समर्थ होगा। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था के ज्ञान आधार के उन्नयन के लिए आयोग को मौलिक विचार देने होंगे, अपनी सुप्त (प्रतिभा की) संभावनाओं का निर्यात करने के साथ-साथ, उनको उत्प्रेरित करना होगा, जिससे भारत सही अर्थों में विश्व का ज्ञान इंजन बन सके। ❑

(मधु आर. शेखर,
सहायक संपादक, योजना (अंग्रेजी)
द्वारा संकलित)

देने की पेशकश करते हैं। भले ही यह रकम एक रुपये या पांच रुपये प्रतिमाह हो। यह पेशकश उनकी आमदनी पर निर्भर करती है। बंगलौर की मलिन बस्तियों में ऐसे सैकड़ों स्कूल चल रहे हैं जिनसे इन बस्तियों के निवासियों के जीवन में रोशनी फैल रही है।

अपने आदर्श वाक्य - हर बच्चा ठीक तरह से शिक्षा ग्रहण करे - को ध्यान में रखते हुए अक्षरा ने पढ़ाई का एक त्वरित कार्यक्रम विकसित किया है जिसके जरिये उसने 17,000 बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करने के काबिल बनाया है। इसके पुस्तकालय कार्यक्रम में 6,000 से ज्यादा उत्साही बच्चे शामिल हैं जो पढ़ाई के दुनिया में विचरण करते हैं।

सुनिए रेशमा क्या कहती है, "मैं उर्दू भाषी घर से संबंध रखती हूं लेकिन अब मैं कन्नड़ धड़ल्ले से पढ़ और बोल लेती हूं। मुझे कन्नड़ पढ़ने की प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि शांतम्मा के सचल पुस्तकालय में जितनी बढ़िया किताबें उपलब्ध थीं, वे सब कन्नड़ में थीं। मैं इस पुस्तकालय की सदस्य हूं। मैंने 50 किताबें पढ़ ली हैं। जो पुस्तक मुझे सबसे अच्छी लगी उसका नाम है नवीलूगारिया आ कन्नू (मोर की पूंछ पर नजर) और मायाड़ा पाथरे (जादू का बर्तन)।"

पढ़ाई के कार्यक्रम में अक्षरा जिन तौर-तरीकों का इस्तेमाल करती है उसके कारण बच्चे एकाएक स्कूल जाना बंद नहीं कर पाते। शिक्षिका पर्वतम्मा का कहना है कि "ऐसा कौन बच्चा होगा जो ऐसे स्कूल नहीं आना चाहेगा जहां लगातार डेढ़ महीने तक बच्चों को रोजाना एक कहानी सुनने को मिलती है और जिसमें चटक रंगों वाली रंग-बिरंगी तस्वीरें और पढ़ने में आसान लिपि में बड़े-बड़े अक्षर लिखे हों।" महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे शिक्षक-शिक्षिकाओं की वह मानसिकता भी बदल जाती है जो दशकों से नहीं बदली। अक्षरा का काम बराबर बढ़ रहा है। उसकी महत्वकांक्षा है कि वह सरकारी स्कूलों और महंगे पब्लिक स्कूलों की शिक्षा का अंतर मिटाकर रहे और सरकारी स्कूल के शिक्षकों को भी प्रेरणा दे। अक्षरा की सफलता का केंद्रबिंदु है समुदाय से माकूल जबाव पाने की उसकी क्षमता। हजारों बच्चों को नये जीवन की राह दिखाने के सतत आंदोलन की सफलता की यही गारंटी है।

मैंने स्कूल पूर्व आयुवर्ग के कुछ बच्चों से उस सरकारी स्कूल में बात की जहां उन्होंने प्रवेश लिया था। मैंने 7 वर्ष की एक बालिका से पूछा कि स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद वह क्या करेगी? उसका जबाव था, मैं पुलिस बनना चाहती हूं। मेरे पूछने पर कि क्यों, उसने कहा कि उनके पास अधिकार होते हैं। मेरे ऐसे ही सवाल के जबाव में एक 8 वर्ष के लड़के ने जबाव दिया कि मैं डाक्टर बनना चाहता हूं। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है। क्या तब आप हमारा इलाज मुफ्त करेंगे? उसने कुछ सोचने के बाद जबाव दिया, "आपका ही क्यों, मैं सबका इलाज मुफ्त करूंगा?" इस बच्चे ने मेरे दिल में जगह बना ली। मैंने सोचा इसे उस स्कूल का हेडमास्टर होना चाहिए जो हमारे खानदानी राजनीतिक नेताओं को संकीर्णता से उबर कर जनहित का रवैया अपनाने की शिक्षा दे। ❑

(सौजन्य : एशियन एज)

परदादा परदादी स्कूल से बालिका सशक्तीकरण

❍ रेणुका

आरती, पूजा और ज्योति तीन बहनें हैं जिन्हें परदादा परदादी बालिका व्यावसायिक विद्यालय (पीपीजीवीएस) के एक शिक्षक ने उनके घर से स्कूल पहुंचाया था। उनका शराबी पिता राम किशोर लड़कियों के साथ ही उनकी मां को भी पीटता था और घर के एक कमरे में बंद कर दिया करता था। राम किशोर इस बात से नाराज था कि उसके कुल 5 बच्चों में से 3 लड़कियां क्यों हैं।

साढ़े तीन वर्ष पहले आरती का परिवार अपना मूल गांव छोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अनूपशहर की एक झुग्गी-झोपड़ी कालोनी में रहने आ गया। गांव में राम किशोर भूमिहीन मजदूर था। अनूपशहर में आकर उसने खिड़की-दरवाजों पर पेंट करने का काम शुरू कर दिया। यह परिवार बहुत गरीब है और अनूपशहर आने के बाद लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया।

लेकिन आरती की मां हेमवती ने अपनी पुत्रियों को शिक्षित बनाने का पक्का इरादा कर रखा था। तीन साल पहले उसे एक ऐसे स्कूल का पता चला जिसे अनूपशहर में परदादा परदादी गर्ल्स वोकेशनल स्कूल कहा जाता था। आरती के अनुसार इस स्कूल में जाते ही उनका जीवन बदल गया। "हमें ऐसी कई लड़कियां मिलीं जिनकी कहानी हमसे मिलती-जुलती थी। शिक्षा हमारी जिंदगी बदल रही है। दसवीं कक्षा पास करने के बाद मैं इसी स्कूल में शिक्षिका का काम करना चाहती हूं ताकि मैं उन लड़कियों की मदद कर सकूं जो हमारी जैसी स्थितियों से गुजर रही हैं।" इस समय आरती कक्षा 9, पूजा कक्षा 7 और ज्योति कक्षा 5 की छात्रा है। पीपीजीवीएस अनूपशहर की बालिकाओं के लिए आशा की किरण है। यह ऐसा स्कूल है जो सामान्य स्कूलों से हटकर है। इसका बुनियादी कारण यह है कि यह उन बालिकाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जिनके माता-पिता की मासिक आमदनी 600 रुपये से कम है। यह स्कूल एक उपेक्षित क्षेत्र में है। इसी इलाके में एनटीपीसी का एक बिजलीघर है लेकिन आसपास के लोगों को घरों में इस्तेमाल के लिए बिजली उपलब्ध नहीं है।

अनूपशहर ब्लाक अपराधों के लिए मशहूर है। यहां कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ। यहां रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। अत: लोग (खासतौर से पुरुष) काम की तलाश में अन्य स्थानों को चले जाते हैं। बालिकाओं को खेतों में काम करके, पशुपालन करके अथवा जंगल से जलावन की लकड़ी इकट्ठा करके परिवार की आमदनी में योग देना पड़ता है। यहां पर महिलाओं और बालिकाओं की जिंदगी खासतौर से मुश्किल है क्योंकि उन्हें परिवार की आमदनी में योगदान करने के अलावा बच्चों का लालन-पालन भी करना पड़ता है। अधिकांश बालिकाएं 6 वर्ष की उम्र में ही ब्याह दी जाती हैं और 14 वर्ष की आयु तक पहुंचते-पहुंचते मां बनने को मजबूर हो जाती हैं। इन बालिकाओं और महिलाओं को कोई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है। घर या समुदाय स्तर पर फैसला करने में महिलाओं की भूमिका नहीं होती। वे दलित हैं और घरेलू हिंसा का सामना करना उनके लिए आम बात है। पीपीजीवीएस अनूपशहर जिले के विचौला गांव में पैदा हुए वीरेन्द्र साम सिंह की दूरदृष्टि का नतीजा है। वह 30 वर्षों तक अमरीका में रहे और सन 2000 में अपनी नियोक्ता संस्था दुपोन्ट से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। वह अपने गांव वापस आए। साम का ख्याल है कि अगर हम महिलाओं को परिवर्तन करने वालों का नेतृत्व करने वालों के रूप में विकास करें तो भारत को विकास और उन्नति करने से कोई भी रोक नहीं सकता। महिलाओं का सशक्तीकरण सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के बराबर है। पीपीजीवीएस का संचालन एक संस्था करती है जिसका नाम है परदादा परदादी एजूकेशनल सोसायटी। इसके दो प्रभाग हैं- एक सामाजिक विकास और दूसरा मार्केटिंग का काम देखता है। पीपीजीवीएस सामाजिक विकास

परदादा परदादी स्कूल में कपड़ों पर काम करती हुई व्यावसायिक शिल्प कक्षा की छात्राएं। इनकी बनाई चीजें अंतरराष्ट्रीय स्तर की होती हैं और मिलान जैसी फैशन राजधानियों तक जाती हैं

प्रभाग का अंग है और अनूपशहर के 46 गांवों की 300 बालिकाओं को कुशलता आधारित प्रशिक्षण और सिद्धांत आधारित शिक्षा प्रदान कर रहा है। इन स्कूलों में बालिकाओं को समाज के आत्मविश्वासी और जागरूक नागरिकों के रूप में तैयार किया जाता है।

यह स्कूल उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है। इसमें पढ़ने वाले बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। इस स्कूल की कंप्यूटर प्रयोगशाला अमरीकी सूचना केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई है। विद्यालय में सवेरे का समय अन्य सभी विद्यालयों की तरह पढ़ाई में बीतता है। दोपहर में छात्राएं व्यावसायिक कक्षाओं में जाती हैं जहां उनको विभिन्न प्रकार की कला और शिल्प की शिक्षा दी जाती है। करीब दो-तीन वर्षों में हर छात्रा ऐसी चीजें बनाने लगती है जिन्हें बाजार में बेचा जा सकता है।

इस स्कूल ने अपना सारा जोर छात्राओं को ऐसी कला सिखाने पर लगाया है जिनका इस्तेमाल करके वे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप घर में इस्तेमाल करने वाली चीजें तैयार करती हैं। इस स्कूल के मार्केटिंग प्रभाग द्वारा इन्हें बेचा जाता है। इससे जो लाभ होता है उसे छात्राओं और स्कूल के बीच बांट दिया जाता है। इस स्कूल के प्रधानाचार्य शंकर सिन्हा के अनुसार इस समय स्कूली शिक्षा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाली शिक्षा से एकदम अलग हो गई है। यही कारण है हमने पीपीजीवीएस में शिक्षा को रोजगार से जोड़ा है।

पीपीजीवीएस ने छात्राओं के माता-पिता को उन्हें स्कूल भेजते रहने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने की एक अनोखी व्यवस्था शुरू की है। सबसे बड़ा प्रोत्साहन है व्यावसायिक कार्यक्रम। जब तक पीपीजीवीएस छात्र स्नातक बनते हैं, उनमें इतनी कुशलता आ जाती है कि वह बाजार में बिकने लायक चीजें और कपड़े की वस्तुएं बना सकें जिन्हें आसानी से बेचा जा सके। परदादा-परदादी एजूकेशनल सोसायटी का मार्केटिंग प्रभाग भारत और विदेशों में अनेक स्थानों पर इसके उत्पाद बेचता है। इसके प्रमुख ग्राहकों में सेंट्रल काटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया शामिल है। इस स्कूल में बने उत्पाद इटली के मिलान जैसी दुनिया की फैशन राजधानियों को भी भेजे जाते हैं। इस स्कूल ने अब गुड़गांव के प्लाजा माल में एक परदादा परदादी स्टोर भी खोला है। सोसायटी के मार्केटिंग प्रभाग की प्रमुख मधु सिंह का कहना है कि "हम इन गांवों को अपने उत्पादों के जरिए पूरी दुनिया से जोड़ रहे हैं। हमारे उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। हम डिजाइन और गुणवत्ता को बहुत महत्व देते हैं। हर उत्पाद खासतौर से डिजाइन किया जाता है उसमें जीवंत रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और तरह-तरह की कढ़ाई के जरिये उन्हें आकर्षक बनाया जाता है।"

इस स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के स्नातक बनते ही स्कूल उन्हें काम दिलाने की गारंटी देता है। कार्यक्रम में प्रवेश लेते समय पीपीजीवीएस हर छात्रा के नाम एक बैंक खाता भी खुलवाता है। जितने दिन कोई छात्रा स्कूल आती है उसे 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अदायगी करके इस रकम को उसके खाते में जमा कर दिया जाता है। 7 से 10 वर्ष में जब तक कि बालिका अपना पाठ्यक्रम पूरा करती है, अगर वह साल के अधिकांश दिन कक्षा में आई तो उसके बैंक खाते में लगभग 1,00,000 रुपये जमा हो जाते हैं। सामान्य तौर पर उसके बनाए माल पर प्रतिदिन 30 रुपये की आमदनी होती है। इसमें से 10 रुपये छात्रा के खाते में जमा किए जाते हैं और बाकी 20 रुपये स्कूल का खर्च चलाने में इस्तेमाल किए जाते हैं।

कोई भी छात्रा अपने बैंक खाते से पैसा तभी निकाल सकती है जब वह स्नातक बन जाए या अपनी दसवीं की परीक्षा पास कर ले। पीपीजीवीएस को उम्मीद है कि बैंक खाते से उत्साहित होकर माता-पिता छात्राओं का बाल विवाह नहीं करेंगे और समाज में जागरूकता बढ़ेगी। कोई भी छात्रा जितने ज्यादा समय तक स्कूल में रहती है उसका बैंक खाता उतना ही बढ़ता जाता है और उसकी समाज के बेहतर सामाजिक-आर्थिक हैसियत वाले घरों में शादी होने की संभावना बढ़ जाती है। छात्राओं को स्कूल में एक वर्ष पूरा करने के बाद साइकिल दी जाती है। माता-पिता भी इसमें सहयोग दें इसलिए स्कूल उनसे साइकिल के लिए एक छोटी रकम जमा करवाता है। यह राशि छात्रा के कक्षा 10 पास करने के बाद वापस कर दी जाती है। इस क्षेत्र में परिवहन छात्राओं के लिए एक बड़ी समस्या है और कई बालिकाएं 20 किलोमीटर दूर से स्कूल आती हैं। यह स्कूल उन्हें नि:शुल्क यूनीफार्म देता है और दिनभर में तीन बार भोजन भी दिया जाता है। जिन परिवारों ने अपनी बालिकाओं को कभी स्कूल नहीं भेजा उनके लिए ये प्रोत्साहन सचमुच बहुत आकर्षक हैं।

यह स्कूल अपनी हर स्नातक छात्रा के लिए निम्नलिखित प्रकार से काम की गारंटी देता है। छात्रा अगर चाहे तो स्कूल में ही पूर्णकालिक आधार पर काम करना जारी रख सकती है और किए गए काम के अनुपात में उसे पारिश्रमिक दिया जाता है। अगर वह चाहे तो घर पर रहकर उत्पाद बनाती रहे और इसके लिए उत्पादित माल के अनुरूप उसे हर हफ्ते अदायगी कर दी जाती है। यदि कोई छात्रा चाहे तो अपने घर में ही 4 से 6 बालिकाओं को इकट्ठा करके मिनी पीपीजीवीएस (लघु विद्यालय) खोल सकती है जहां उन्हें प्रशिक्षित करके किए गए काम के लिए साप्ताहिक आधार पर पारिश्रमिक प्राप्त कर सकती है। अथवा, इस स्कूल की पढ़ी स्नातक छात्राओं को पीपीजीवीएस अवधारणा वाली शिक्षा के विस्तार के लिए शिक्षिका बनाया जा सकता है। वह चाहे तो अपने आसपास के गांवों में बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करने के वास्ते बालवाड़ियां खोल सकती है। परदादा परदादी एजूकेशनल सोसायटी इस स्कूल का विस्तार करके 5,000 बालिकाओं को शामिल करना चाहती है। यह सोसायटी चाहती है कि उसे ऐसे साझीदार मिलें जो पीपीजीवीएस की तर्ज पर ऐसे ही स्कूल खोलने के काम में सहयोग करें। ❑

(सौजन्य : एशियन एज)

अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत और अमरीका की महत्वपूर्ण भूमिका

❍ अरविंद गुर्टू

लेखक का मानना है कि प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की अमरीका यात्रा का विशेष महत्व है। भूमंडलीकरण के दौर में भारत की शक्ति बढ़ी है, क्योंकि इसने शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया और पूरे विश्व को प्रभावित किया। अमरीका को भारत के साथ संबंध मजबूत बनाने, नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए पुराने कानूनों और कार्यक्रमों को बदलना होगा

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की अमरीका यात्रा का विशेष महत्व है। विश्व के प्रमुख देश स्वीकार करते हैं कि भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। यहां हमेशा संबंधों को शांतिमय रूप से स्थिर किया गया है। इसी कारण भारत शांति और अहिंसा का प्रतीक है। वैश्विक शांति में भारत की प्रमुख भूमिका रही है। इसकी सैन्य, आर्थिक व वैज्ञानिक शक्ति को सभी देश एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि सौहार्दपूर्ण संबंधों के प्रतीक के रूप में मानते हैं। भारत का भविष्य इन्हीं सौहार्द संबंधों से विकसित हुआ है।

डा. मनमोहन सिंह की यह यात्रा विशेष भूमिका रखती है, क्योंकि वे इस बार नये भारत के नेता के रूप में गए, जिसे भारत के भविष्य पर विश्वास है। यह विश्वास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि इतिहास के संवेदनशील क्षणों में भारत ने सूझबूझ और आत्मविश्वास का परिचय दिया है। इसी कारण सभी देश स्वीकार करते हैं कि भारत को खतरे से खेलना आता है और वह दूसरों को भी मार्गदर्शन दे सकता है।

हाल में रक्षामंत्री प्रणव मुखर्जी और अमरीका के सुरक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफील्ड के बीच जो रक्षा समझौता हुआ, उससे भारत और अमरीका के संबंध अधिक सुदृढ़ हुए हैं। द्विपक्षीय संबंधों में सुरक्षा के नये मानदंड स्थापित हुए हैं, जो भविष्य की चुनौतियों को अधिक यथार्थ रूप में देखते हैं। समुद्री डकैती, समुद्री मार्ग और आतंकवादी तस्करी के संबंध में नौसेना समझौता दोनों देशों के हित में है। भारत और अमरीका दोनों अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

दोनों देशों के बीच ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक संवाद में वृद्धि करने से संबंधित अनेक अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता पहली बार बौद्धिक संपदा अधिकार पर एक व्यवस्था कायम करता है। इस समझौते से सरकारी एजेंसियों, निजी क्षेत्रों और शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग में एक नयी गति मिली है।

भारत की परमाणु ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रपति बुश ने प्रतिबंध हटा लिए। तारापुर परमाणु बिजली संयंत्र के लिए परमाणु ईंधन मुहैया कराने पर अमरीका सहमत हो गया है। बहुत दिनों बाद तारापुर संयंत्र को ईंधन मुहैया हुआ है, जो एक ऐतिहासिक सफलता है। इसी कारण प्रधानमंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया कि भारत की परमाणु और उच्च प्रौद्योगिकी की आपूर्ति पर लगे नियंत्रणों को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। पहली बार भारत की परमाणु क्षमता को स्वीकार किया गया है, जिससे भविष्य के नये द्वार खुलेंगे।

वैज्ञानिक शिक्षा की दिशा में भारत और अमरीका का सहयोग नयी दिशा की ओर जा रहा है। इस बार यह प्रयास होगा कि विज्ञान की शिक्षा को अधिक संपन्न बनाया जाए। भारतीय छात्र अमरीका के प्राध्यापकों और नोबल पुरस्कार प्राप्त विद्वानों से शिक्षा प्राप्त करें। ऊंची भौतिकी शिक्षा और अन्य शुद्ध विज्ञान के विषय पर अमरीकी विद्वान भारतीय छात्रों को शिक्षित-प्रशिक्षित करें। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में अमरीकी कृषि वैज्ञानिक

भारतीय छात्रों को शिक्षित करेंगे।

भारत के प्रधानमंत्री ने अमरीकी संसद में सारगर्भित भाषण दिया, जिससे एक नया द्वार खुला। अमरीका को भारत के साथ संबंध मजबूत बनाने, नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए पुराने कानूनों और कार्यक्रमों को बदलना होगा। उच्च परमाणु प्रौद्योगिकी संपन्न जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका भारत को निभानी है। प्रधानमंत्री के भाषण को दो भागों में बांटकर रखा जा सकता है। पुराने जमाने की तरह नहीं चलेगा कि कुछ लोग अमीरी और शांति भोगें और कुछ लोग गरीबी झेलें। अब अमीरी और गरीबी दोनों में सबको हाथ बंटाना होगा।

प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के पहलू पर अधिक जोर दिया। यदि अमरीका बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो भारत भी बड़ा लोकतंत्र है। दोनों सामाजिक-सांस्कृतिक और भाषायी बहुलता को कायम रखकर चलते हैं। बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोग अमरीका में हैं, जो दोनों देशों के बीच पुल का काम करते हैं। हमारे देश में लोकतांत्रिक चुनाव और मानवाधिकार चेतना प्रमुख हैं।

संयुक्त वक्तव्य में प्रमुख रूप से परमाणु प्रौद्योगिकी और ऊर्जा पर अधिक जोर दिया गया। दोनों देश के निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यकारी प्रमुखों का एक सीईओ फोरम गठित करने का फैसला अपने आप में अहम है। दोनों देशों के बीच आपदा राहत के लिए पहल करने का संकल्प भी सकारात्मक संकेत है। भारत ने कृषि क्षेत्र में फिर से हरित क्रांति के दूसरे चरण को प्रारंभ करने के लिए अमरीकी सहयोग की संभावना को तलाशने की बात कहकर दोनों देशों के बीच बुनियादी क्षेत्र में भूमंडलीकरण के लाभ पहुंचाने की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया है।

प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा से ठोस नतीजे निकलने की संभावना है। भारत एक विकासशील राष्ट्र नहीं, एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। उन्होंने इस बात पर अधिक बल दिया है कि अब अमरीकी अर्थव्यवस्था की प्रगति व मजबूती भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति पर निर्भर करती है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का योगदान इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। अमरीकी अंतरिक्ष अन्वेषण और सिलीकॉन वैली की सफलता में भारतीयों की सफलता प्रमुख रही है।

भूमंडलीकरण के युग में भारत की शक्ति बढ़ी है, क्योंकि उसने शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया था, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। अब समय आ गया है कि वैश्वीकरण में भारत की शक्ति को पहचाना जाए। इसी कारण प्रधानमंत्री ने न्यूयार्क जाने से पहले कहा था कि भारत को बेचा नहीं जा सकता। उसकी संप्रभु सत्ता निर्विवाद रूप से अक्षुण्ण रहेगी। वह याचक के रूप में नहीं, एक शक्तिशाली राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में गए और अपने अधिकार मांगे। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि आने वाले वर्षों में भारत महाशक्तिशाली राष्ट्रों की पांत में खड़ा हो जाएगा, जिसका मूल उद्देश्य विश्व में शांति, सहयोग और सौहार्द की वृद्धि करना रहेगा। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। पीआईबी फीचर)

शैक्षणिक ऊँचाई की पराकाष्ठा पर दृष्टि

Admission Open for

IAS-PCS

Pre, Mains Pre-cum-Mains & Interview

PCS(J)/APO

नोटः संस्था में
BANK, SSC, RAILWAYS, NDA, CDS, CPO, CPF, SPOKEN ENGLISH
की भी गुणवत्ता व अनुभवपरक कक्षाएँ उपलब्ध हैं।

Fresh Batch - Every Week

हॉस्टल (Boys & Girls) उपलब्ध

सिविल सेवा में सर्वोच्च सफलता हर हमारा लक्ष्य

उपलब्ध विषय

अनिवार्य विषय- (Compulsory Sub.)-
+ सामान्य अध्ययन (G.S)
+ सामान्य हिन्दी (Gen. Hindi)
+ निबंध (ESSAY)
+ सामान्य अंग्रेजी (Gen. English)

एवं

वैकल्पिक विषय (Optional Sub.)

+ Indian History/History
+ Sociology
+ Botany
+ Philosophy
+ Public Administration
+ Geography
+ Political Science
+ Mathematics
+ Economics
+ Hindi Literature
+ Law
+ Agriculture

विगत 12 वर्ष से I^st Position पर स्थापित अति अनुभवी व ख्यातिलब्ध शिक्षकों (व निदेशक) की सर्वोच्च कार्यस्थली–

परम एकेडमी

203A/170/A, आनन्द भवन के निकट, कर्नलगंज थाना के सामने, कर्नलगंज, इलाहाबाद फोनः 0532–2460072, 9415217672, 2025660, 9415351655

YH/9/5/06

भारत-अमरीका संयुक्त वक्तव्य

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति बुश ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाने और वैश्विक भागीदारी की स्थापना करने के संकल्प की घोषणा की। दोनों नेताओं ने मानवीय स्वतंत्रता, लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति कटिबद्ध राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के रूप में प्रतिबद्धता जाहिर की कि भारत और अमरीका पूरे विश्व में स्थायित्व, लोकतंत्र, समृद्धि और शांति फैलाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। इससे आपसी हित के क्षेत्रों में विश्व को नेतृत्व प्रदान करने के लिए मिलकर काम करने की सामर्थ्य बढ़ेगी।

अपने समान मूल्यों और साझा हितों की रक्षा के लिए दोनों नेताओं ने यह संकल्प व्यक्त किया कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय वातावरण का सृजन किया जाना चाहिए जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने के अनुकूल हो और समाज में प्रजातांत्रिक प्रणाली को मजबूत करे। इससे एक खुले और बहुलतावादी समाज की स्थापना में मदद मिलेगी।

आतंकवाद का कठोरता से मुकाबला करना होगा। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ी जा रही लड़ाई में दोनों देशों के बीच दृढ़ सहयोग स्थापित करने एवं इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को समर्थन देने की बात कही। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के एक महासम्मेलन के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की।

प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब रणनीतिक साझेदारी (एनएसएसपी) का दूसरा चरण समाप्त हुआ है। दोनों नेता इस बात पर सहमत हैं कि जनवरी 2004 में प्रारंभ की गई यह पहल अंतरिक्ष, नागरिक परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी का दोहरा उपयोग जैसे वाणिज्यिक क्षेत्रों और द्विपक्षीय गतिविधियों के प्रसार को आधार प्रदान करेगी।

अमरीका-भारत संबंधों के लिए भविष्य के प्रति परस्पर दृष्टि की एक रूपरेखा खींचते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति काफी लंबे समय से प्रतिबद्ध रहे दोनों देशों के नेता निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमत हैं :

आर्थिक क्षेत्र में

भारत-अमरीकी वार्ता को नया स्वरूप प्रदान किया जाए। निजी क्षेत्र की क्षमताओं के बेहतर दोहन एवं द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सीईओ फोरम की स्थापना की जाए।

ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र में

ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाया जाए और भारत में स्थायी एवं कुशल ऊर्जा बाजार के विकास को बढ़ावा दिया जाए। ऐसा करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि लोगों को उचित मूल्य पर पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहे और साथ ही यह स्थायी विकास का भी आधार बना रहे। इन मुद्दों का समाधान भारत अमरीका ऊर्जा-वार्ता के जरिये किया जाए।

लोकतंत्र एवं विकास के क्षेत्र में

भारत-अमरीका अपने संयुक्त प्रयास के जरिये विश्वभर में लोकतंत्र को विश्वसनीय एवं प्रभावी बनाने के लिए उनकी नींव को मजबूत करने वाली संस्थाओं को मजबूत बनाएंगे एवं संबंधित देशों को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। भारत और अमरीका साथ मिलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करेंगे और नये संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष हेतु योगदान करेंगे।

दोनों देश एड्स के विश्व स्तर पर रोकथाम के लिए आपसी सहयोग में मजबूती लाएंगे। इसके लिए निजी क्षेत्र, सरकारी संसाधन, ज्ञान, विशेषज्ञ को एक साथ लाने की पहल की जाएगी।

परमाणु अप्रसार एवं सुरक्षा के क्षेत्र में

रक्षा के क्षेत्र में भावी सहयोग के लिए अमरीकी-भारत रक्षा संबंध के फ्रेमवर्क पर दोनों देशों को संतोष है। इसके तहत रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम किए जाएंगे।

उच्च प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में

दोनों देश अमरीकी-भारत उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह के गठन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके तहत संयुक्त अनुसंधान एवं प्रशिक्षण तथा निजी-सरकारी क्षेत्र साझेदारी पर बल दिया जाएगा। राष्ट्रपति बुश ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा भारत की जनसंहारक अस्त्र-शस्त्र (आणविक) के प्रसार की रोकथाम के प्रति प्रतिबद्धता जताने पर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी के साथ जिम्मेदार देश के रूप में भारत को भी समान लाभ और फायदे मिलने चाहिए। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से कहा कि वे भारत के साथ पूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग स्थापित करने के लिए काम करेंगे क्योंकि इससे परमाणु शक्ति को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा सुरक्षा का लक्ष्य हासिल हो सकेगा। राष्ट्रपति इस संबंध में अमरीकी कानून एवं नीतियों में आवश्यक बदलाव लाने के लिए कांग्रेस से सहयोग लेंगे और अमरीका पूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग को मूर्त रूप देने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून में आवश्यक बदलाव लाने के लिए अपने मित्रों एवं सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा।

अमरीका इस बात के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि भारत को तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए ईंधन की आपूर्ति हो।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी ओर

से इस बात पर पूरी तरह सहमत है कि वह अन्य उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले देशों की तरह अमरीका की भांति समान जिम्मेदारियां उठाएगा और प्रणाली अपनाएगा एवं लाभों और फायदों का हकदार बनेगा।

राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के आश्वासन का स्वागत किया। दोनों इन संकल्पों को पूरा करने के लिए एक कार्यकारी समूह गठित करने पर सहमत हुए जो पूर्वोक्त बिंदुओं की दिशा में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस बात पर भी सहमत हुए कि जब राष्ट्रपति बुश 2006 में भारत दौरे आएंगे तब दोनों देश इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।

दोनों नेताओं ने अपने इस संकल्प को एक बार फिर दोहराया कि वे परमाणु, रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल हथियारों सहित जनसंहारक अस्त्र-शस्त्र के प्रसार को रोकने के अंतरराष्ट्रीय प्रयास में अहम भूमिका अदा करेंगे।

बढ़ते द्विपक्षीय संबंध के आलोक में और क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा में भारत की बढ़ती भूमिका को स्वीकारते हुए दोनों नेता सहमत हैं कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में 1945 के बाद वैश्विक परिदृश्य में आए बदलाव परिलक्षित होने चाहिए। ❑

(पीआईबी फीचर)

जनसंख्या नीति में जोर-जबरदस्ती नहीं

पुनर्गठित राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की नयी दिल्ली में आयोजित पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने जोर देकर कहा कि जनसंख्या में स्थिरता लाने के लिए किसी भी तरह की जोर-जबरदस्ती स्वीकार्य नहीं है।

जन्मदर में कमी लाने के लिए सरकार विकास की प्रभावकारी रणनीति, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तीकरण और छोटा परिवार रखने के सिद्धांत पर अधिक जोर देगी।

प्रधानमंत्री ने अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों - बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में विकास योजनाओं के लिए कार्यबल स्थापित करने का निर्देश दिया। कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत भाग इन्हीं राज्यों में रहता है। यह कार्यबल प्रमुखता के साथ इन राज्यों में, जिनमें जन्मदर चार से अधिक है, जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम चलाएगा। यह कार्यबल इन राज्यों में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए परमावश्यक माता-शिशु मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सेवाओं में ज्यादा निवेश के लिए उनके साथ मिलकर काम करेगा।

दो बच्चों के सिद्धांत के बारे में डा. मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग को निर्देश दिया कि इस बारे में आम राय कायम की जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में कोई लक्ष्य तय नहीं था, यह पूरी तरह स्वैच्छिक थी और इसमें किसी तरह की जोर-जबरदस्ती या प्रोत्साहन और हतोत्साहन नहीं थे। ऐसे उपायों का बहुत कम असर होता है और कई दफा इनसे रोष भी पनप सकता है तथा लोग कार्यक्रम को ही अस्वीकार कर सकते हैं। ❑

(योजना (हिंदी) द्वारा संकलित)

IAS 2005-06
ADMISSION NOTICE

We offer the most time-tested and performance-oriented classroom courses in India (Eng. & हिन्दी)

DREAM INDIA Group

GEOGRAPHY
by Prof. Majid Husain
OCT. 2005 (PT-CUM-MAIN)
REGISTRATION OPEN

समाजशास्त्र
by Dr. S.S. Pandey
MAINS : 8 अगस्त,05
PT-CUM-MAINS : 8 जून,06

94 CLEARED PT, 2005
(Till latest information)

OUR TOPPERS
4th TOPPER THE VERY Ist YEAR
6th TOPPER IN 2002
3rd & 4th TOPPERS in 2003
4 IAS, 6 IPS & more than 8 In Allied in 2004
OUR HIGHEST
Eco.-341;Geog.-362;Socio.-325;
G.S.-361; Essay-146;Inter.-240

GEN. STUDIES
by Dr. Ramesh Singh
"The expert with the Golden touch"

ECO. + POLITY	: 16-22 AUG. (6 Hrs.Per day)
SC. & TECH.	: 23-30 AUG. (2Hrs. Per day)
I. R. + FOR. POLICY	: 31 AUG- 6SEPT. (6 Hrs.Per day)
HIST. + NATIONAL	: 7-15 SEPT. (6 Hrs.Per day)
GEOGRAPHY	: 16-19 SEPT. (6 Hrs.Per day)
STAS. bY Dr. S. S. Pandey	: 23-30 AUG.(2Hrs. Per day)

(NO CROWDI ONLY 35 STUDENTS EACH BATCH)

IMPROVEMENT PROGRAMME
10 Meetings every 5th day of Answer Writing & Analysis and your GS (Mains) is ready to fetch 350 & 350+

ESSAY
First Class on 21st Aug. (8.30 AM. - 1.30 PM)
WE GET 140+, EVERY YEAR!

Nobody improves our students! Just Nobody!
We improve students who have already taken coaching (our speciality)
Lectures, don't pay! LEARN DIRECTLY TO WRITE!
Best Materials in India
(Hand-Written by Dr. Singh)
No reading at your residence! Class is enough!

CIVILS INDIA
A Quality Institute for IAS

202-203,A/12-13 ANSAL BUILDING, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09. Ph.: 27652921, 9818244224, 27601344, 9810553368

भारत-अमरीका संबंध साझे हितों पर आधारित हैं - प्रधानमंत्री

हाल की अमरीका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने वाशिंगटन में अमरीकी नेशनल प्रेस क्लब को संबोधित किया। अपने स्वागत की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका की मेरी यह यात्रा विस्मरणीय होगी। मैं जहां कहीं भी गया, राष्ट्रपति से लेकर अमरीकी संसद 'कांग्रेस' तक और अब अति प्रतिष्ठित संस्था, 'राष्ट्रीय प्रेस क्लब' में, हरेक जगह मुझे सम्मान और अजीज दोस्तों का सहयोग मिला। मुझे ज्ञात है कि यह सम्मान विशेष रूप से मेरे लिए नहीं है, बल्कि उस देश के लिए है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। वह देश है भारत, जो खुला समाज है और खुली राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे में सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इसलिए, मैं गर्मजोशी से किए गए स्वागत के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हो रही है। हालांकि मैं नेशनल प्रेस क्लब द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान से ज्यादा वाकिफ नहीं हूं। पर, जो सम्मान आपने मुझे दिया है मैं उसके लिए आपका आभारी हूं।

आपने मुझे अपने देश की उम्मीदों, आकांक्षाओं और चुनौतियों के संबंध में अपना विचार रखने के लिए आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हम अपने देश की चुनौतियों पर आपके साथ मिलकर जहां पार पा लेंगे, वहीं इस प्रक्रिया के जरिये भारत-अमरीका संबंधों के इतिहास में नया अध्याय खुलेगा। मैं अमरीकी की अपनी इस महत्वपूर्ण यात्रा के संबंध में अपने विचारों से आपको अवगत कराना चाहता हूं। राष्ट्रपति बुश, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और अमरीकी सांसदों के साथ चर्चा से मैं आश्वस्त हुआ हूं कि इस यात्रा से हमारे देशवासियों के लिए सुखद भविष्य की उम्मीद बन रही है। साथ ही, अमरीका हमारा दोस्त और साझीदार दोनों बना रहेगा।

भारत आज मजबूत नई दुनिया में छलांग लगाने को तैयार है। पिछले 15 वर्षों के दौरान लगातार 6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर, जो कि अब 7 प्रतिशत वार्षिक तक पहुंच गई है, से हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा समाज बदल रहा है। सामाजिक क्षेत्र में इसके सुखद परिणाम के रूप में लोगों का बढ़ता आय स्तर, उम्मीदों में बढ़ोतरी और उत्तम एवं अच्छे उत्पाद और सेवाओं की बढ़ती मांग सामने आ रही है। इस बदलाव से, उद्यमशीलता, सृजनात्मकता और श्रेष्ठ प्रदर्शन की दृढ़ इच्छाशक्ति से, तेजी से तरक्की हो रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज के साथ हमारी बढ़ती साझेदारी, फैलता हुआ विश्व व्यापार और हमारी विश्वस्तरीय फर्मों की सेवाओं एवं कार्यविधि को विश्व समुदाय द्वारा प्रतिष्ठा की नजर से देखा जाना, इस बदलाव का एक चेहरा है, जो कि पूरे देश में फैल रहा है।

हम अपने हरेक नागरिक की जरूरतों को पूरा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम उनके लिए शिक्षा, समृद्धि और जीवनयापन के यथोचित माध्यम सुनिश्चित करना चाहते हैं। हरेक फलक पर उनकी मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष की उपलब्धियां अगले समय की प्रगति के लिए पैमाने का काम करती हैं। यहां उल्लेखनीय है कि तेजी से आगे बढ़ रहे वर्गों की महत्वाकांक्षी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाना जरूरी है। सतत विकास दर को ऐसी नीतियों के साथ जोड़ने की जरूरत है, जिससे बदलाव की प्रक्रिया में सभी लोग शामिल हों और विकास का लाभ सभी नागरिकों को मिले।

अतीत में अमरीका के साथ हमारे संबंधों का भारत को काफी लाभ मिला। जब मैं अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों को संबोधित कर रहा था, तब मैंने इस बात की कृतज्ञता के साथ चर्चा की कि अमरीका ने हमारे देश में हरित क्रांति लाने में उल्लेखनीय योगदान किया। अमरीकी लैंड ग्रांट कॉलेज और भारत में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों के बीच सहयोग से गेहूं के वे नये विस्मयकारी बीज पैदा किए जा सके जिससे 60 के दशक के बाद हमारी कृषि में अभूतपूर्व तेजी आई। मैं इसके लिए अमरीका का धन्यवाद करता हूं। हम साथ काम करने की अतीत की उसी परंपरा के आधार पर अमरीका के साथ नयी साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं। यह नयी साझेदारी परस्पर विस्तृत व्यापारिक अंतर्संबंध, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, कृषि अनुसंधान, कृषि व्यवसाय, नयी प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक नेटवर्क में गहन सहभागिता एवं वैज्ञानिक क्षमताओं के क्षेत्र में नया मोर्चा स्थापित करने पर केंद्रित होनी चाहिए। 21वीं सदी अंततः ज्ञान आधारित सदी होगी। भारत और अमरीका नये ज्ञान समाज की रचना एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण साझीदार हो सकते हैं। राष्ट्रपति बुश के साथ मेरी वार्ता का अधिकांश भाग इस बात पर केंद्रित था कि भारत-अमरीकी संबंध,

बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और ज्ञान-सृजन के क्षेत्र में क्या और कितना योगदान कर सकता है।

मुझे विश्वास है कि अमरीकी हितों के लिए मजबूत और ज्यादा आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक अनुकूल है। हमने कई पहलों की संयुक्त रूप से घोषणा की है। इनमें राष्ट्रपति बुश एवं मेरे साझा विश्वास शामिल हैं। इनमें कृषि अनुसंधान, नैनो-विज्ञान और अभिनव प्रौद्योगिकी प्रमुख रूप से शामिल हैं। मेरी समझ से हमने जो कदम उठाए हैं, उससे भारत और अमरीका के बीच दीर्घकालीन संबंध स्थापित होंगे और दोनों देशों को काफी लाभ होगा।

ऊर्जा संसाधनों की सुलभता हमारे संबंधों के लिए विशेष महत्व का मुद्दा है और हमारी नयी ऊर्जा-वार्ता मुख्य रूप इसी पर से केंद्रित रही। हाइड्रोकार्बन पर हमारी हाल की निर्भरता को वृहत ऊर्जा-मिश्रण के लिए विविध रूप देना होगा। मैंने राष्ट्रपति बुश से नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पुन: कायम करने पर चर्चा की। मुझे विश्वास है कि अमरीका न केवल हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं से भलीभांति परिचित है बल्कि परमाणु अप्रसार के प्रयासों में भारत द्वारा अदा किए जा सकने वाली भूमिका के प्रति भी सकारात्मक नजरिया रखता है।

भारत में विकास दर की सबसे बड़ी पहचान यह रही है कि यह पूरी तरह लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आगे बढ़ती रहती है। विश्व समुदाय के लिए यह एक विशेष महत्व रखता है। भारत की सफलता इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि विकास को मानवीय स्वतंत्रता के मूल्य पर हासिल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही, इसकी स्थिरता और सहमतिजन्य आधार दीर्घकालीन सहभागिता में भी अनुभव किया जा सकता है। आप में से अधिकांश लोगों को एक अरब की आबादी वाले देश भारत की विविधता एवं जटिलता का ज्ञान होगा। संसार के सारे महान धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। हमारे देश में लगभग 15 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और मैं यह बड़े गर्व से कह सकता हूं कि उनमें से एक भी अलकायदा या अन्य आतंकी संगठनों से संबद्ध नहीं है।

पिछले सालभर में हमारी सरकार के दौरान अमरीका के साथ हमारे सहयोग का ट्रैक रिकार्ड इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करता है कि हम अपने संबंधों का दायरा विस्तार कर नयी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। हमने रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में दूसरा चरण पूरा किया है, हमने ऊर्जा और आर्थिक वार्ताएं की हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार कानून और व्यवसाय को बढ़ावा देने वाली निवेश नीति को उचित मुकाम तक पहुंचाया है। हमने काफी समय से लंबित पड़े दाभोल परियोजना संबंधी अमरीकी प्रत्यक्ष निवेश का मामला सुलझाया है। हमने हाल ही में अमरीका के साथ खुला आकाश समझौता किया है। हमने एक नये ढांचे में रक्षा सहयोग का विस्तार किया और अभी पिछले वर्ष सुनामी आपदा राहत कार्य में अमरीका के साथ मिलकर काम किया। इन उपलब्धियों से हमें विश्वास हो चला है कि हम आगे आने वाले ज्यादा महत्वाकांक्षी एजेंडों को भी साकार करेंगे।

भारत हमेशा इस बात पर बल देता रहता है कि वैश्विक संस्थाएं एवं समझौते सभी लोगों की नजर में उचित और न्यायकारी हो। आज जब वैश्विक चुनौतियां जैसे, आतंकवाद, जनसंहारक अस्त्र-शस्त्र का प्रसार, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य ज्यादा जटिल हो गए हैं, ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक ऐसे वैश्विक तंत्र की स्थापना की जाए जो इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो। आतंकवाद को हम वैश्विक समस्या मानते हैं। हम अपने देश में पिछले 15 वर्षों से आतंकवाद का दंश झेलते आ रहे हैं। इसलिए, हम अमरीकीजनों एवं लंदन के लोगों के दुख-दर्द को बेहतर तरीके से महसूस कर सकते हैं। हमारी मान्यता है कि यह सभी सभ्य समाजों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि इस गंभीर समस्या का एकजुटता से सामना करें। हमारा यह भी विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र ही ऐसे प्रयासों के लिए पहल कर सकता है और इसके सुधार पर भी फिलहाल चर्चा चल रही है। किसी भी आधार पर देखने से यह पता चलता है कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का भारत का पक्ष मजबूत है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस यात्रा से अमरीका में लोगों में भारत जैसे लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष देश को वैश्विक निर्णय-निर्धारण प्रक्रिया में शामिल करने से होने वाले लाभों के प्रति समझदारी बढ़ी है।

जैसा कि कुछ देर पहले मैंने कहा कि आतंकवाद अमरीका और भारत जैसे मुक्त समाजों और विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक देशों के लिए एक जटिल समस्या है। इसलिए हमें अपनी स्वतंत्रता और विविधता के प्रति सहिष्णुता जैसे गुणों से दुगुनी शक्ति से आतंकवाद का सामना करना होगा। भारत आधुनिक आतंकवाद का सबसे ज्यादा शिकार रहा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो नहीं होना चाहिए था, इसने हमें कई पाठ पढ़ाए हैं। एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि आतंकवाद विश्व के सभी लोकतंत्रों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम अमरीका को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने में महत्वपूर्ण सहयोगी मानते हैं। भारत-अमरीका संबंध आज साझे मूल्यों और साझे हितों पर आधारित हैं। हमारे पास काफी विस्तृत और महत्वाकांक्षी एजेंडा है जिसे हम साकार करना चाहते हैं। यह विश्व के प्रति एक ऐसी दृष्टि पर आधारित है जिसमें हमारे समाज मानवीय स्वतंत्रता, सृजनशीलता, समृद्धि को आगे बढ़ाने और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ मिलकर काम करें। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें कई पहलें और वार्ताएं (द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय) शामिल हों। हमारा लक्ष्य भारत-अमरीका संबंध को विश्व का एक प्रमुख संबंध बनाने का है। ❑

(प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की हाल की अमरीका यात्रा के दौरान अमरीकी नेशनल प्रेस क्लब में उनके भाषण के संपादित अंश)

जड़ी-बूटियों से तैयार मच्छर भगाने की दवा

लीना तालुकदार (16) असम में मोरीगांव की है। वह 11वीं कक्षा में पढ़ती है। पढ़ाई के दौरान लीना हमेशा अच्छे परिणाम लाती रही है। अनेक विज्ञान मेलों में लीना ने अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व किया है। मुंबई में 2003 में आयोजित इंटर साइंस टैलेंट डिस्कवरी फेयर में अपने कोल्ड स्टोरेज सिस्टम के मॉडल के लिए उसने सर्वश्रेष्ठ एफीलिएटेड साइंस फेयर पुरस्कार जीता। लीना हर फन की माहिर है और हमेशा एकांकी, नाटक, क्विज प्रतियोगिताओं, चित्रकारी आदि पाठयेतर गतिविधियों में भाग लेती है। उसने स्कूल और जिला स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किए हैं। लीना कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती है और उसका सपना है कि उसे देश के किसी आईआईटी में दाखिला मिल जाए। पिता की मृत्यु के बाद उसे अपनी मां से लगातार समर्थन और प्रेरणा मिली है। लीना की मां लखीमी गाओलिया बैंक, असम की कर्मचारी हैं। लीना की एक छोटी बहन है जो दूसरी कक्षा में पढ़ती है।

सुशांता महंत (16) भी मोरी गांव असम की है और 11वीं कक्षा की छात्रा है। सुशांता एक शर्मीली बालिका है और शायद ही किसी पाठयेतर गतिविधि में शामिल होती हो। लेकिन विज्ञान संबंधी गतिविधियों में उसकी गहरी रुचि है और वह विभिन्न विज्ञान मेलों में शामिल होती है। इस मच्छर भगाने वाली दवाई के अलावा सुशांता ने नीम और स्थानीय जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करके एक दंतमंजन भी बनाया है। इसे एमआईटी पुणे के राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान मेले में प्रदर्शित किया गया था। सुशांता की मां मोरीगांव के एक कालेज में लेक्चरर है और उसके पिता पूर्व विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सुशांता की एक बड़ी बहन है जो स्नातक की पढ़ाई कर रही है।

पृष्ठभूमि

जाग असम में प्रचलित ऐसा तरीका है जिसमें गौशालाओं में शुद्धी लाने के लिए उपले, खरपतवार और कूड़ा-करकट करके सुलगा दिया जाता है। गांव में जाग बनाने का पहले से प्रचलित तरीका यह है कि धान की पुआल, सूखे खरपतवार, धान की भूसी और औषधीय पौधों को लाकर ढेर बनाकर सुलगा दिया जाता है। आमतौर पर इसमें स्थानीय इस्तेमाल किए जाने वाले पौधों के नाम हैं- बिहलुगनी, नीम, बहका, आकाखिलता, मितेका, मक्खीलाती, मरालिया, गंधुआ, बान, पचालिया, तुलसी, पलास आदि। आमतौर पर जाग घर के सामने अथवा पीछे वहां बनाया जाता है जहां पशु बंधे हों। इससे दो लाभ होते हैं। एक तो इकट्ठा हुए कूड़ा-करकट से छुट्टी मिल जाती है और पशुओं के आसपास की मक्खियां और मच्छर भाग जाते हैं। ग्रामवासी असम में जाग का बहुत समय से इस्तेमाल करते रहे हैं लेकिन उन्हें इसकी उपयोगिता की जानकारी नहीं है और न ही इसके बारे में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं।

इसलिए जब मौका मिला तो मोरीगांव के महिला होम मॉडल स्कूल की 8वीं कक्षा की छात्राओं - लीना और सुशांता ने जाग की उपयोगिता और खासतौर से इसमें इस्तेमाल किए जाने वाली जड़ी-बूटियों के मच्छर भगाने के गुणों पर अ ध्ययन करने का फैसला किया। उन्होंने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, 2001 के अंतर्गत एक परियोजना शुरू की। इसकी विषयवस्तु थी बेहतर कल के लिये देसी वैज्ञानिक जानकारी। लीना और सुशांता ने स्वास्थ्य सफाई शीर्षक के अंतर्गत यह स्थानीय विषय चुना। उनकी परियोजना का विषय था- जाग के विशेष संदर्भ में असमिया समाज में औषधीय जड़ी-बूटियों का मच्छर भगाने की दवा के रूप में प्रयोग।

उनकी परियोजना में प्रमुख था इस बात की जांच करना की जाग में इस्तेमाल होने वाली औषधीय जड़ी-बूटियों की मच्छर भगाने में कोई भूमिका है या नहीं और इस बात का भी अध्ययन करना कि क्या इन जड़ी-बूटियों का घर के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

विषय चुन लेने के बाद उनकी गाइड और शिक्षिका भाग्यभानू गोस्वामी ने उन्हें एक गांव का चुनाव करने की सलाह दी। इसके लिये उन्होंने मोरीगांव कस्बे से 10 किलोमीटर दूर सपमारी नाम के एक बहुत पिछड़े गांव का चुनाव किया और वहां के निवासियों को एक प्रश्नावली सौंपी। सर्वेक्षण से उन्हें पता चला कि सपमारी गांव के सभी निवासी परंपरागत रूप से जाग का इस्तेमाल करते रहे हैं और उन्हें मालूम है कि इसमें किन-किन जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है।

वांछित सूचना इकट्ठी करने के बाद उन्होंने विभिन्न जड़ी-बूटियों से तैयार और विभिन्न अनुपातों में मिलाई गई जड़ी-बूटियों के मसाले से तैयार किए गए क्वायलों का परीक्षण किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचीं कि इन जड़ी-बूटियों

का इस्तेमाल करते हुए 90 प्रतिशत मच्छर भगाए जा सकते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि स्थानीय मखिओटी पौधे से तैयार क्वायलें मच्छर भगाने में बहुत कारगर हैं और इस समय बाजार में बिकने वाली मच्छर भगाने की दवाओं से उनकी तुलना की जा सकती है। उन्होंने अपने अध्ययन से यह भी पता लगाया कि सूखी पत्तियों का चूरा बनाने से साबुत और कच्ची पत्तियां जलाने के मुकाबले जाग में ज्यादा धुंआ उठता है और इन जड़ी-बूटियों को बाजार में उपलब्ध क्वायलों, मैट आदि की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है।

जाग से उठने वाले धुएं के प्रभाव को जांचने के लिए उन्होंने एक टिशू पेपर पर थोड़ी सी वेसलीन लगा दी और उसे 5 मिनट तक धुएं के ऊपर रखा। इसकी प्रभावशीलता साबित करने के लिए उन्होंने बाजार में उपलब्ध क्वायलों और घर में बनाई गई दवाओं की तुलना की। उन्होंने हर एक को अलग-अलग लेकर दो अलग कमरों में यह देखने के लिए जलाया कि ज्यादा कारगर कौन है और यह भी जांच किया कि 5 मिनट में कौन कितनी जलती है। उन्होंने जोरहाट की क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक से यह जानने के लिए संपर्क किया कि इस क्वायल को ज्यादा समय तक कैसे जलता हुआ रखा जाए। मौजूदा समय में यह क्वायल थोड़ी देर तक ही जलता है। इसे पेटेंट कराने के लिए आवेदन किया गया है।

मच्छर भगाने की दवा तैयार करने का तरीका

सबसे पहले औषधीय पौधे की पत्तियां पांच दिन तक धूप में सुखाई जाती हैं। इसके बाद इन सूखी पत्तियों का चूरा बना लिया जाता है। इसके बाद इन्हें धूना में मिला लिया जाता है। इस मिक्चर को एक कटोरे में नारियल के रेशे बिछाकर फैला दिया जाता है और उसे सुलगा देते हैं।

इस नुस्खे में पड़ने वाली सभी जड़ी-बूटियों को पहले कूट-पीसकर पाउडर बना दिया जाता है जिससे इसकी कुशलता बढ़ जाती है। इसके बाद इससे मच्छर भगाने के क्वायल, मच्छर भगाने की बत्तियां, टिकिया आदि बनाई जा सकती हैं। इस नुस्खे में खुशबू वाला तेल भी मिलाया जा सकता है। नुस्खे में पड़ने वाली कौन सी बूटी कितनी मात्रा में डाली जाए यह इस काम में अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति खुद तय करता है।

लाभ

मच्छर भगाने का यह नुस्खा सुरक्षित, पर्यावरण हितैषी, सस्ता, इस्तेमाल में आसान और मक्खी-मच्छरों को भगाने में अधिकतम कारगर होता है। इसके अलावा ये जड़ी-बूटियां बाजार में उपलब्ध अन्य ऐसी ही दवाओं के मुकाबले इंसान के स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक हैं। इन्हें घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है। बाजार में मिलने वाले मच्छर भगाने वाले क्वायलों और अन्य दवाओं के तुलना में इनके लिए ज्यादा बुनियादी सुविधाओं तथा पूंजी निवेश की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह तैयार की गई मच्छर भगाने की एक बत्ती करीब साढ़े चार से पांच घंटे तक जलती है और तीन घंटे तक इसका असर बना रहता है।

सार्थकता

यह सर्वविदित है कि मच्छर मलेरिया, डेंगू, बुखार, फाइलेरिया और जापानी इनसेफेलाइटिस जैसी बीमारियां फैलाते हैं। अनुमान है कि भारत में करीब चार करोड़ लोग हर साल मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मच्छर भगाने की दवाओं और कीटनाशकों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने से पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं पैदा होती हैं जिनसे लोगों के स्वास्थ्य का खतरा हो सकता है। अगर लोगों के इस्तेमाल के लिए नये और ज्यादा कारगर मॉस्कीटो रिपेलेंट/कीटनाशक लाए जाते हैं तो इससे यह अध्ययन करना जरूरी हो जाता है कि उनका मानव स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है। इनमें से कई पदार्थ स्तनपायी जीवों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इन बातों को देखते हुए जड़ी-बूटियों पर आधारित सुरक्षित और पर्यावरण हितैषी मच्छर भगाने की दवा का महत्व बढ़ जाता है।

समाज का योगदान

लीना और सुशांता महसूस करती हैं कि जाग की उपयोगिता के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। उनका विचार है कि इस तरह की जड़ी-बूटियों वाली दवा तैयार करने के लिए एक लघु उद्योग स्थापित किए जाने की जरूरत है। इससे कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। इन छात्राओं ने इस मामले में जिला उद्योग अधिकारी से भी सलाह की है। उन्होंने इस परियोजना की सराहना की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि लघु उद्योग स्थापित करने संबंधी उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। जड़ी-बूटियों से तैयार इन मच्छर भगाने वाली दवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए लीना और सुशांता ने सपमारी और चराईबाही गांवों के प्रधान के साथ बैठकें की और उनके साथ जाग की उपयोगिता के बारे में चर्चा की। इन दोनों गांवों की आबादी के बहुलांश ने कहा कि उन्हें उनके सुझावों से लाभ हुआ है। इन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सब उन दो बालिकाओं की कोशिशों का नतीजा है जो अभी सिर्फ 16 वर्ष की हैं। ❑

अगर पाठक ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हों, जिसने सृजनात्मक तरीके से स्थानीय प्रौद्योगिकी का समाधान किया हो अथवा जीविका के किसी क्षेत्र से संबंधित पारंपरिक ज्ञान रखने वाला हो तो कृपया हमें अथवा एनसी (एस एंड डी) एनआईएफ, पोस्ट बॉक्स-15051, अंबावाडी, अहमदाबाद- 380015 पर अथवा ई-मेल द्वारा info@nifindia.org पर विवरण भेजें।

सामाजिक–आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र

○ हेना नकवी

हम जब देश और समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास का पैमाना तय करते हैं, तो उनमें केवल दो क्षेत्रों, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की भागीदारी की ही गणना करते हैं। एक तीसरा क्षेत्र भी है जो विकास के मानदंड तय करते समय छूट–सा जाता है। वह है– स्वयंसेवी या गैरसरकारी संस्थाओं का क्षेत्र, जिनकी सीधी भागीदारी समाज के आर्थिक और शैक्षिक स्तरोन्नयन की दिशा में लगातार बढ़ती जा रही है

किसी भी अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और संचलन के लिए उसे दो क्षेत्रों में बांटा जाता है- निजी व सार्वजनिक क्षेत्र। मगर इन दो क्षेत्रों के अलावा एक तीसरा क्षेत्र भी है जिसका सरोकार केवल अर्थव्यवस्था से न होकर समार्थ व्यवस्था से होता है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था से अधिक और आर्थिक व्यवस्था से आंशिक रूप से। यह क्षेत्र है- स्वैच्छिक या गैरसरकारी या विकास संस्थाओं का जिनके बारे में आम आदमी की न तो जानकारी पर्याप्त है न इनके बारे में उनकी राय स्पष्ट है। इन संस्थाओं में साफ-सुथरी छवि का अभाव उनकी स्पष्ट पहचान न बन पाने का कारण है। आमतौर पर स्वैच्छिक संस्थाओं को निठल्ले लोगों का जमावड़ा मान लिया जाता है- जिनके न नियम होते हैं, न कानून, न दिशा होती है न सुनिश्चितता, न सिद्धांत होते हैं, न आदर्श। मगर वास्तविकता यह नहीं है। किसी कारपोरेट सेक्टर की तरह ही स्वैच्छिक संस्थाओं की भी एक सुनिश्चित कार्यप्रणाली होती है, साथ ही होता है स्थानीय स्तर पर एक अस्तित्व। हां, मगर कुछ नहीं होता तो वह है व्यापक स्तर पर एक अलग पहचान, जिसके कारण स्वैच्छिक संस्थाएं अपने ही दायरे में कैद हैं और सार्वजनिक या निजी सेक्टर की तरह एक अलग दर्जा नहीं पा सकी हैं।

आइए, जानें इस तीसरे क्षेत्र के कुछ तथ्यों को इसके लिए हमें एक लंबी यात्रा करनी होगी, अपने इतिहास में। अंग्रेजों ने भारत पर अपना प्रभुत्व कायम रखने के सिलसिले में प्रशासन पर तो पर्याप्त ध्यान दिया मगर समाज कल्याण का क्षेत्र बहुत पिछड़ गया। मगर पिछड़ेपन के इस अंधकार में एक छोटा सा दीपक जलाया था उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ईसाई मिशनरी ने, ग्रामीण विकास और पिछड़े वर्गों के उत्थान की कोशिश के रूप में, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार के रूप में। आगे चलकर सामाजिक मुद्दों पर काम करने की कोशिश की रवीन्द्रनाथ टैगोर, स्पेंसर हच, महात्मा गांधी, जुगतराम दवे जैसे लोगों ने अपने स्वैच्छिक विकास कार्यों से। यही स्वैच्छिक संस्थाओं के उद्भव के बीज थे।

हाल के वर्षों में यह बात साबित हो गई है कि विकास जैसा दुश्कर कार्य अकेले सरकारी महकमों के बस का नहीं। इसके लिए सूक्ष्म स्तरीय दृष्टिकोण, लोगों तक पहुंच व उनका विश्वास जीतना भी जरूरी है। इसलिए पहचान हुई स्वैच्छिक संस्थाओं की, विकास के भागीदार के रूप में।

साठ का दशक स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस पूरे दशक को 'विकास-दशक' घोषित किया गया था यानी स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यक्षेत्र का दशक। इसी दशक के दौरान पहली बार स्वैच्छिक संस्थाओं को एक नया नाम मिला- गैरसरकारी संस्था जो सत्तर के दशक में प्रचलित भी हुआ और लोकप्रिय भी।

स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रयासों को एक धरातल मिला आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के सहारे। इस दस्तावेज में स्पष्ट शब्दों में विकास कार्यक्रम के नियोजन व कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करने के प्रयास की बात की गई है। यही नहीं, दस्तावेज में विकास कार्यक्रमों के बेहतर संचालन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं का राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने की बात भी शामिल की गई।

1992 में संविधान के तिहत्तरवें संशोधन के पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन व सशक्तीकरण के साथ ही स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि स्थानीय स्वशासन हेतु पंचायतीराज संस्थाओं को शिक्षण-प्रशिक्षण आदि प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की गई। यही नहीं, पंचायतीराज संस्थाओं की परियोजना के नियोजन व संचालन हेतु भी स्वैच्छिक संस्थाओं की मदद की आवश्यकता होगी।

इतनी अधिक चर्चा-परिचर्चा के बावजूद आज तक आम लोगों के बीच स्वैच्छिक संस्थाओं की एक स्पष्ट परिभाषा कायम नहीं की जा सकी है। एक आम आदमी के नजरिये से स्वैच्छिक संस्थाओं को समझने के लिए स्वैच्छिक कार्यों को समझना जरूरी है। आमतौर पर समाज के हित को ध्यान में रखकर किया गया कार्य स्वैच्छिक कार्य कहलाता है। यही स्वैच्छिक कार्य जब औपचारिक तरीके से किया जाता है तो उस औपचारिक निकाय/संरचना को स्वैच्छिक संस्था कहा जाता

है। दूसरे शब्दों में स्वैच्छिक या स्वयंसेवी संस्था उसे कहते हैं, जो किसी बाह्य नियंत्रण से परे हो, अपने सदस्यों द्वारा संचालित की जाय और स्वैच्छिक रूप से कार्यरत हो। किसी भी दूसरे निकाय की तरह इन संस्थाओं का भी एक सुव्यवस्थित ढांचा होता है, जिसके तहत इन्हें अपनी गतिविधियां अंजाम देनी होती हैं। स्वयंसेवी संस्थायें मुख्य रूप से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882, सहकारी समिति अधिनियम, 1904 में से किसी एक ढांचे या फिर कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होती हैं।

यह तो इन संस्थाओं के बारे में आम जानकारी। एक और बात जो आम लोगों को परेशान करती है- वह है स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रकृति, उनका काम करने का तरीका। कहते हैं, इन संस्थाओं के काम करने का तरीका बिल्कुल अनूठा होता है जो कहीं भी सरकारी तरीके से मेल नहीं खाता। समय और जरूरत के अनुसार ऐसी संस्थाएं अपनी कार्यप्रणाली बदलती हैं, पिछली गलतियों से सबक लेकर उनमें सुधार भी लाती हैं। नये-नये तर्जुबे करना, नये तरीके अपनाना शायद सफल स्वयंसेवी संस्थाओं की सफलता का राज है। लोगों तक उनकी पहुंच बहुत सरल तरीके से हो जाती है, यही नहीं लोगों का विश्वास जीतने में भी उन्हें समय नहीं लगता क्योंकि स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए स्थानिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब इस स्थानिकता के अंतर्गत चाहे स्थानीय भाषा हो या स्थानीय परंपरायें, स्थानीय कार्यकर्ता हों या स्थानीय संगठन, इन संस्थाओं के लिए मायने रखते हैं। दरअसल इसी स्थानिकता का समुचित प्रयोग स्वयंसेवी संस्थाओं की कार्यप्रणाली का मूलमंत्र है, जो उन्हें न केवल लोगों तक पहुंचने बल्कि उनकी सहभागिता हासिल करने में भी मदद करता है। ये संस्थायें रोजगार ओर विकास के अवसरों का सृजन करती हैं, स्थानीय समुदाय की संस्कृति, सभ्यता, रीतियों और कौशल का संरक्षण करती हैं और अंधविश्वास, नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जंग लड़कर उनका खात्मा करती हैं।

विकास के क्षेत्र में स्वयंसेवी पहलू व सरकारी प्रयास एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं मगर लोगों से संबंध बनाने के बेहतर तरीके, उनका विश्वास जीतने की कोशिश उन्हें सरकारी प्रयासों के मुकाबले अधिक सफल बनाती हैं। सरकारी प्रयास जहां अफसरशाही की लंबी प्रक्रिया में उलझ जाते हैं वहीं स्वयंसेवी संस्थाओं की लचीली प्रक्रिया उन्हें समय के साथ चलने में मदद करती है।

मगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक ओर लचीलापन, लोगों तक सुलभ पहुंच, विश्वनीयता इन संस्थाओं का संबल बनती हैं, वहीं सक्षम कर्मचारियों और समुचित संसाधनों की कमी इन संस्थाओं के मार्ग में रोड़ा बनती हैं। इन तमाम अड़चनों के बावजूद स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपना अस्तित्व बनाए रखा है। उनकी सूक्ष्मस्तरीय उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। भारत जैसे विशाल देश में जहां सरकार हर दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती, वहीं ये संस्थायें हर व्यक्ति तक पहुंचने का दावा साबित कर चुकी हैं। विकास के क्षेत्र में भी सरकार व स्वयंसेवी संस्थाओं को एक-दूसरे का प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि पूरक माना जाना चाहिए। क्योंकि जहां सरकार की सीमायें खत्म होती हैं वहां इन संस्थाओं की सीमायें शुरू होती हैं। दूसरी ओर कभी-कभी सरकार का सहयोग इन संस्थाओं को अविश्वसनीयता के आरोप से बचाकर विश्वसनीय भी बनाता है। जरूरत है तो बस इन दोनों दृष्टिकोणों में सामंजस्य की। और, इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। ❑

(लेखिका पीटीआई की संवाददाता हैं)

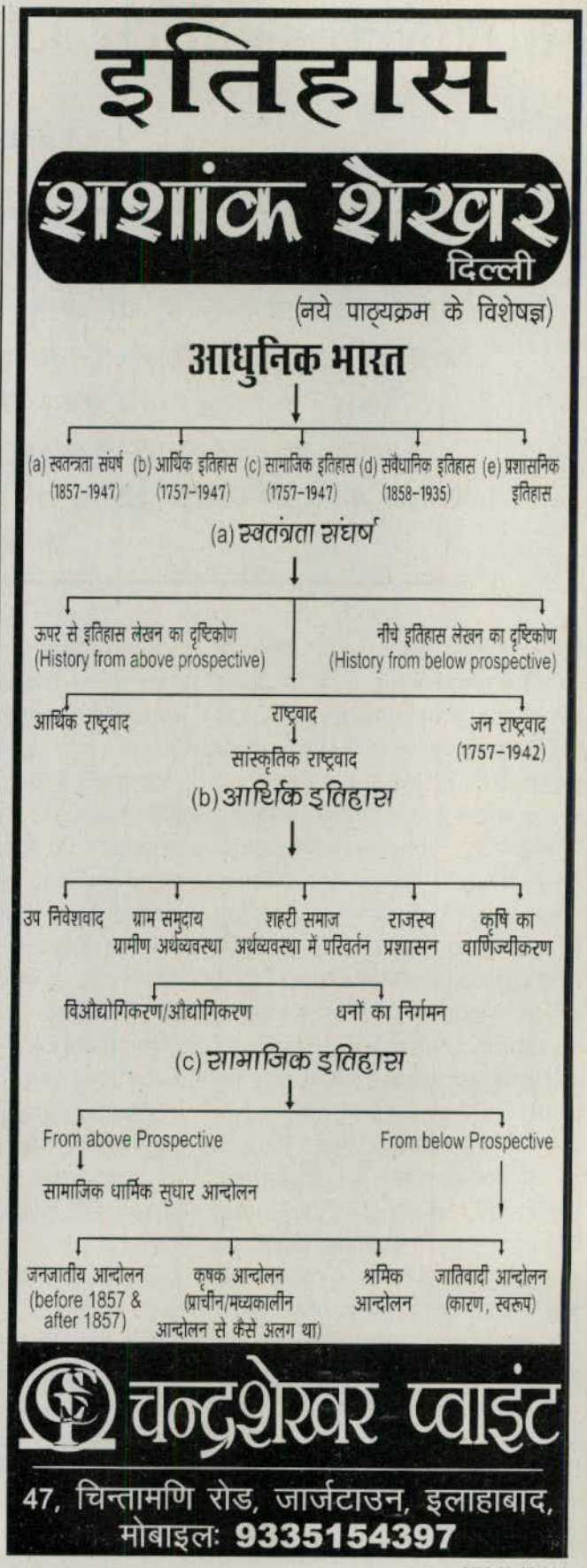

YH/9/5/11

दसवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा

○ जी. श्रीनिवासन

अब जबकि दसवीं योजना (2002-2007) की पांच साल की अवधि का चौथा साल चल रहा है, योजना आयोग ने देर से ही सही, मध्यावधि समीक्षा जारी कर दी है। इसका कारण यह कि 2004 में आम चुनाव के कारण काम में रुकावट आई। नयी सरकार ने मई 2004 में कार्यभार संभाला और दसवीं योजना में शामिल परियोजनाओं और कार्यक्रमों की नये सिरे से प्राथमिकताएं तय की तथा कई सुधार सुझाए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने 27-28 जून, 2005 को राष्ट्रीय विकास परिषद की पहली बैठक बुलाई जिसमें मोटे तौर पर मध्यावधि समीक्षा दस्तावेज का अनुमोदन कर दिया गया।

मध्यावधि समीक्षा के विवरण बाद में दिए जाएंगे लेकिन यहां ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में योजना आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने जोर देकर कहा कि इस समय देश के विकास के लिए माहौल जितना अनुकूल है उतना पहले कभी नहीं रहा। राष्ट्रीय विकास परिषद की दो दिन की बैठक का समापन करते हुए डा. मनमोहन सिंह कहा कि इस समय हमारे सामने विकास, समानता और सामाजिक न्याय को अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने की चुनौती है।

उन्होंने कहा कि ऐसा करने के अलावा हमारे सामने और कोई विकल्प नहीं है। मतलब यह कि आमदनी और संपत्ति में विषमता घटाने के लिए जमकर प्रयास किए जाने चाहिए और साथ ही विकास की रफ्तार भी बनाए रखी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी वर्ग उसमें शामिल हों और इससे लाभान्वित हों।

मध्यावधि दस्तावेज की समीक्षा के लिए बुलाई गई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि कृषि ऋण व्यवस्था को फिर से मजबूत बनाया जाए, प्रसार सेवाओं की गुणवत्ता सुधारी जाए और खेती में अधिक निवेश करके सूखी और परती जमीन की समस्याओं से निपटा जाए। डा. मनमोहन सिंह ने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद इस बात पर सहमत हो गई है कि कृषि क्षेत्र की समस्याओं के अध्ययन के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की जाए।

इस उपसमिति से जो सिफारिशें मिलें, उनका इस्तेमाल ग्यारहवीं योजना के दौरान नीति-निर्धारण में किया जाए। वित्तमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा गठित एक और उपसमिति बारहवें वित्त आयोग के मुख्य मुद्दों का अध्ययन करेगी। सरकारी ऋणों की पुनर्रचना के बारे में सिफारिशें करने के अलावा बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों के राष्ट्रीय लघु बचत कोष से लिये गए ऋण पर ऊंची ब्याज दर के कारण राज्यों पर संचयी रूप से लदे ऋणभार की पुनर्रचना के बारे में कोई सिफारिश नहीं की।

बुनियादी सुविधाओं में निजी क्षेत्र या सार्वजनिक-निजी साझेदारी क्षेत्र द्वारा पूंजी लगाने के महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा कि इस मोर्चे पर किसी कामयाब रणनीति के लिए जरूरी होगा कि एक सुपरिभाषित रूपरेखा तैयार की जाए जिसमें निवेशकों को इस बात का भरोसा दिलाया जाए कि सेवाओं का स्तर बनाए रखा जाएगा और जो भी रियायतें दी जाएंगी वे पारदर्शी होंगी। डा. मनमोहन सिंह ने राज्यों को विश्वास दिलाया कि इस संबंध में क्षमता बढ़ाने के जरिये वे जो भी प्रयास करेंगे उसमें उन्हें केंद्र का पूरा सहयोग मिलेगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्घाटन के समय अपने वक्तव्य में और मध्यावधि दस्तावेज पर अपने विचार पेश करते हुए योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा. मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि अर्थव्यवस्था इस समय एक मिली-जुली तस्वीर पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि इसमें कई तरह के शक्तिशाली मुद्दे हैं और कुछ महत्वपूर्ण कमजोरियां भी हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि योजना अवधि के दौरान दसवीं पंचवर्षीय योजना में 8 प्रतिशत विकास दर पाने का मूलरूप से जो लक्ष्य रखा गया था उसे अगर योजना के अंतिम दो वर्षों में विकास दर 7 और 8 प्रतिशत रहे तो भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह कि दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों में विकास दर 8.1 से नीचे यानी औसतन 6.5 प्रतिशत रही।

डा. मनमोहन सिंह ने सबका ध्यान खासतौर से कृषि क्षेत्र में विकास दर निराशाजनक रूप से घटने की ओर आकर्षित किया और कृषि क्षेत्र की सभी गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिए जाने और निवेश बढ़ाने की सख्त जरूरत पर जोर दिया। इन गतिविधियों में ऋण और अन्य सामग्री की सप्लाई, फसलों का विविधीकरण, पैदावार के बेहतर तरीकों और फसल कटाई के बाद के कार्यों का बेहतर प्रबंधन शामिल है।

प्रधानमंत्री ने रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने की सख्त जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज के कमजोर

वर्गों और जिला स्तर के सुशासन पर खासतौर से बल दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गरीब और जरूरतमंद लोग विकास के लाभों से वंचित न रह जाएं। योजना की मध्यावधि समीक्षा में भी इस मुद्दे का बार-बार जिक्र किया गया है।

प्रारंभिक शिक्षा के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में चर्चा के दौरान निर्माण क्षेत्र के निष्पादन पर बात हुई और प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा कि इस क्षेत्र का निष्पादन भी उम्मीदों से कम यानी विकास दर 2 अंकों से नीचे रही। डा. मनमोहन सिंह के अनुसार मध्यावधि समीक्षा से यह संदेश जाता है कि हमारा औद्योगिक निष्पादन तेज होने की स्थिति में है बशर्ते कि हम भारतीय उद्योगों को बेहतर गुणवत्ता वाली मूल सुविधाएं उपलब्ध करा सकें।

उन्होंने कहा कि यही कारण है कि केंद्र सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के विकास को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि बिजली, सड़क, रेल, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और दूर संचार सेवाओं के विस्तार पर बहुत अधिक पूंजी निवेश की जरूरत पड़ती है इसलिए इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता है ताकि निजी पूंजी निवेश को शामिल करके सार्वजनिक क्षेत्र के सीमित संसाधनों से अधिकाधिक फायदा उठाया जा सके। यही ऐसा मुद्दा है जो पूरे मध्यावधि समीक्षा में निहित है और इसी के कारण मूल सुविधाओं में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण बन गई है।

मध्यावधि समीक्षा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि इसका सीधा संबंध देशभर के उन करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी से है जिनकी बेहतर रहन-सहन की महत्वाकांक्षायें हर गुजरते दिन के साथ इसमें परिलक्षित हो रही हैं। इसीलिए मध्यावधि समीक्षा में स्पष्ट कहा गया है कि आगामी वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर की रफ्तार बढ़ाकर 8 प्रतिशत की जानी चाहिए और कृषि क्षेत्र के विकास की मौजूदा प्रवृत्ति उलटकर इसके लाभों को व्यापक बनाया जाना चाहिए। मध्यावधि समीक्षा दस्तावेज में कहा गया है कि 1980-81 और 1995-96 के बीच कृषि क्षेत्र की विकास दर घटी है और यह औसतन 1.9 प्रतिशत रह गई है।

इसमें कहा गया है कि दसवीं योजना के पहले दो वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा लेकिन आखिरी वर्ष इसमें बदलाव आया और वित्त वर्ष 2004-05 के पहले 11 महीनों में इसकी विकास दर 8.1 प्रतिशत रही। लेकिन दस्तावेज के अनुसार पहले तीन वर्षों के दौरान औसत विकास दर 7 प्रतिशत से ऊपर जाने के आसार नहीं हैं। हालांकि यह नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों के औसत 4.5 प्रतिशत की तुलना में बेहतर है। लेकिन दसवीं योजना के लक्ष्य 8.9 प्रतिशत से कम है।

मध्यावधि समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक क्षेत्र के संकेतक समस्या के कारण बने हुए हैं और पूर्व एशियाई देशों ने पिछले 25 वर्षों में, जब से वहां विकास गतिविधियां शुरू हुईं, जो स्तर प्राप्त किया है उसके मुकाबले इसकी स्थिति खराब है। मध्यावधि समीक्षा के आकलन के अनुसार रोजगार की स्थिति भी एक गंभीर समस्या प्रस्तुत करती है। समीक्षा में रोजगार की क्षेत्रवार विकास दर और रोजगार के आकलन शामिल किए गए हैं और इनके अनुसार संकेत मिलता है कि आधार वर्ष 2001-02 के 8.87 प्रतिशत की तुलना में बेरोजगारी 2004-05 में बढ़कर 9.11 प्रतिशत हो गई।

इसका निहितार्थ यह हुआ कि कुल मिलाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि, श्रम शक्ति के विकास की तुलना में धीमी रही। जहां तक श्रम सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषय का संबंध है, योजना में कहा गया है कि इसके लिए श्रम कानूनों में संशोधन के लिए सहमति विकसित की जानी चाहिए ताकि भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा पर असर डालने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। ऐसी सहमति विकसित किए बिना भी विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यातोन्मुख यूनिटों को इन कानूनों से छूट देने पर विचार किया जाना चाहिए।

मध्यावधि दस्तावेज में इस कटु सत्य पर भी ध्यान नहीं दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लक्षित स्तर तक योजना ख़र्च के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। दसवीं परियोजना के परिव्यय की जरूरतों के अनुसार पर्याप्त संसाधन जुटाने में केंद्र और राज्य दोनों ही सफल नहीं रहे और इसके कारण कई क्षेत्रों में निधियों की काफी कमी हो गई। केंद्र और राज्य दोनों के संसाधनों को मिलाकर देखें तो भी योजना परिव्यय में अपेक्षित राशि से दो प्रतिशत की कमी दिखाई देती है। केंद्र और राज्य दोनों निर्धारित से ज्यादा संसाधन उधार लेते रहे हैं जिसके बावजूद ऐसी स्थिति बनी और सार्वजनिक ऋण का बोझ बढ़ा।

खराब आर्थिक स्थिति में पहुंच चुके सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की हालत सुधारने के महत्वपूर्ण मुद्दे पर मध्यावधि समीक्षा में कहा गया है कि केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के पुनर्वास के कार्यक्रम शुरू करने के लिए यह पूर्व शर्त होगी कि वे बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनें। मध्यावधि समीक्षा दस्तावेज में कहा गया कि वित्तीय पैकेज विकसित करने का सिद्धांत यह होना चाहिए कि सरकार उनके अंश पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने की जिम्मेदारी लें, वित्तीय संस्थान उन्हें ऋण उपलब्ध कराएं और इसके लिए सरकारी गारंटी की जरूरत न हो।

अब जबकि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार विनिवेश की अवधारणा के प्रति उत्साही नहीं जान पड़ती और विनिवेश शब्द सुनते ही सरकार को बाहर से समर्थन देने वाले वामदल भड़क उठते हैं, मध्यावधि समीक्षा में इस विषय पर स्पष्ट बातें कही गई हैं। केंद्र सरकार के पास संसाधनों की कमी है जिसे देखते हुए लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की अल्प अंशधारिता की बिक्री से उस हद तक अधिकतम फायदा उठाया जाना जरूरी है जिस हद तक राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत गुंजाइश है। साथ ही सरकार की अंशधारिता 51 प्रतिशत

बरकरार रखी जानी चाहिए। मध्यावधि समीक्षा दस्तावेज में कहा गया है कि इस विकल्प के विधिवत अनुसरण से आगामी वर्षों में काफी संसाधन जुटाए जा सकते हैं।

अपने सुधारवादी प्रस्तावों के अनुसरण में मध्यावधि समीक्षा में कहा गया है कि खनिजों की खोज और खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया है कि भौगोलिक रूप से अलाभकारी स्थिति वाले राज्यों को दी जाने वाली सब्सिडी स्कीम की समीक्षा की जानी चाहिए और अगले दो वर्षों में औद्योगिक सब्सिडी स्कीम चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दी जानी चाहिए। इसमें लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची घटाने और उर्वरक सब्सिडी पर फिर से नजर डालने की जरूरत बताई गई है।

समीक्षा इस पक्ष में है कि सरकार गरीबी से नीचे वाले परिवारों तथा समाज के अन्य लोगों के बीच विभेदक कीमतें रखने की जगह समान सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की ओर बढ़े।

एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र बिजली सुधारों के बारे में, जिस पर अर्थव्यवस्था में निवेश करने वाले निजी क्षेत्र के उद्यमी बहुत ध्यान देते हैं, मध्यावधि समीक्षा में कहा गया है कि बिजली की युक्तिसंगत दरों की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। समीक्षा में खुली पहुंच को विद्युत क्षेत्र सुधारों में एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है और कहा गया है कि इससे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा ताकि बिजली की कमी दूर की जा सके। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे ऐसा माहौल बनाने का अनुरोध किया जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्यों में बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए ऐसा करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि कुल तकनीकी और व्यापारिक क्षति में कमी लाए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता और सभी राज्यों की वचनबद्धता और समर्थन से इस प्रकार की क्षतियों में 10 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए।

मध्यावधि समीक्षा दस्तावेज में कुल मिलाकर 59 सुझाव दिए गए हैं। इन सभी प्रस्तावों का उद्देश्य यह है कि दसवीं योजना की बाकी अवधि में अर्थव्यवस्था आगे बढ़े ताकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना शुरू करने के लिए माकूल माहौल बनाया जा सके। योजना आयोग इस साल के अंत से ही पूरी निष्ठा से यह काम शुरू कर देगा। इसके साथ ही मध्यावधि समीक्षा दस्तावेज आर्थिक विकास सुनिश्चित करने और देश की कोटि-कोटि जनता को सामाजिक न्याय दिलाने के दो बड़े उद्देश्यों के लिए रणनीति तैयार करने का आधार बन सकेगा। ❑

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

उत्कृष्ट परम्पराओं के 12 वर्ष
IAS/PCS
GENERAL STUDIES. ESSAY INTERVIEW
& PUBLIC ADMINISTRATION BY THE RENOWNED CONSULTANT
Mr. R.C. SINHA
NEW BATCHES START IN AUGUST 05
• G.S. Essay
• Public Admin.
Contact Director: AIR CONDITIONED CLASSROOM
Centre for Excellence
8-B, Elgin Road, Opposite Mishra Bhawan,Civil Lines, Allahabad.
Note- Membership through Entrance Test only Mob. 9415284868
YH/9/5/04

पारिख और आइंस्टीन के पदचिन्ह

❍ मीनाक्षी ठाकर

एक शताब्दी पूर्व 1905 में एक 26 वर्षीय युवा ने भौतिक शास्त्र की पारंपरिक समझ को चुनौती देकर उसमें क्रांति ला दी। उस युवा का नाम अल्बर्ट आइंस्टीन था। उन्होंने भौतिक शास्त्र की एक पत्रिका में 'सापेक्षता का विशेष सिद्धांत' शीर्षक निबंध प्रकाशित कराया। 2005 में अब उस घटना की शताब्दी पर आयोजित समारोह उस महान आत्मा को एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। इस वर्ष उनकी 50वीं पुण्यतिथि भी है।

इंटरनेट पर 'टाइम' पत्रिका द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में हजारहां लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टीन को 'शताब्दी पुरुष' की उपाधि दी।

आधुनिक युग के सभी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पड़ावों, चाहे वे बम हों अथवा अंतरिक्ष यात्रा, इलेक्ट्रॉनिकी, क्वांटम भौतिकी, सबमें उनके निशान मिलते हैं। इसलिए वह प्रत्येक प्रगतिकामी कदम में आज भी सांस लेते हैं।

आज जब हम न केवल संसार को बल्कि समग्र मानवता के लिए उनके अप्रतिम अवदानों को याद कर रहे हैं तो हमारे पास इस संत वैज्ञानिक को उनके छात्र जेठा भाई दहिया भाई पारिख के माध्यम से जानना समीचीन होगा। डा. पारिख को न केवल उनका छात्र होने और उनके दिए पाठ याद करने का बल्कि आइंस्टीन से सीधा संपर्क होने का सौभाग्य प्राप्त है। 84 वर्षीय डा. पारिख वर्तमान में अहमदाबाद से 120 किमी. की दूरी पर वड़ोदरा नगर में रह रहे हैं। यहां प्रस्तुत है 'योजना' की सहायक संपादक मीनाक्षी ठाकर द्वारा वड़ोदरा, गुजरात में उनसे लिया गया साक्षात्कार।

योजना : बीमारी के बावजूद बातचीत के लिए समय देने के लिए आपका धन्यवाद! मुझे वाकई बेहद खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के सामने बैठी हूं जिनका सदी के महान व्यक्तित्व के साथ सीधा संबंध था।

आदरणीय, भारत में आपकी जड़ें क्या थीं, मेरा मतलब है जब आप अमरीका के प्रिंस्टन के लिए रवाना हुए तो आपकी पृष्ठभूमि क्या थी?

डा. पारिख : मेरी जड़ें पत्तन में थीं जो 500 सालों तक गुजरात की राजधानी थी। मेरी स्कूली शिक्षा पत्तन में ही हुई। उसके बाद मैं मुंबई गया जहां से मैंने प्रथम श्रेणी में बी.एससी. (प्रौद्योगिकी) किया। इसके बाद रासायनिक प्रौद्योगिकी में आगे की पढ़ाई के लिए मैं अमरीका चला गया। मेरा नामांकन न्यू जर्सी स्थित प्रिंस्टन यूनीवर्सिटी में हो गया। भारत सरकार ने मुझे वजीफा देकर सम्मानित किया।

योजना: पारिख, पत्तन और प्रिंस्टन - यह अपने आप में रोचक संयोग है। जब आप अमरीका जा रहे थे तो क्या आप आइंस्टीन के बारे में जानते थे और क्या आपको मालूम था कि आगे वह आपको पढ़ाएंगे?

डा. पारिख : निश्चय ही मैं आइंस्टीन को उनके नाम से जानता था, लेकिन मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आगे वह मुझे पढ़ाने वाले हैं। यह भी एक रोचक कहानी है। मैं सत्र शुरू होने के 10 दिन पहले प्रिंस्टन पहुंच गया। वहां के परिवेश से अवगत होने के लिए मैं शहर में यहां वहां घूमता रहता था, लेकिन शाम के वक्त एक पार्क में चला जाता था और थोड़े समय तक बेंच पर बैठा रहता था। वहां कुछ लोग नियमित आते थे। उनमें से एक व्यक्ति को उनके भिन्न अंदाज के कारण मैं गौर से देखा करता था। उस व्यक्ति में जरा भी आभिजात्य नहीं था, वह इस देश के अन्य लोगों से अलग थे। लेकिन समग्रतः उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली और दृढ़ था। हम रोज एक दूसरे को देखते, लेकिन कभी बातचीत नहीं की। लेकिन एक दिन मुझे चकित करते हुए वह मेरे पास आए और पूछा: आप कहां से आए हो? मैंने अपना परिचय दिया और उनसे भी वही सवाल दोहरा दिया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, "मैं अल्बर्ट आइंस्टीन हूं।" आश्चर्यजनक! मेरी आंखें खुली रह गईं। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि मैं एक विश्वविख्यात व्यक्ति के सामने खड़ा था।

आइंस्टीन के साथ अपनी इस मुलाकात को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। वह बेहद सीधे-सरल, शुद्ध और मानवीय थे। उन्होंने मुझसे जमकर बातें की और पास में ही स्थित अपने घर ले गए। कोई भी कठिनाई होने पर उन्होंने मुझे अपने पास किसी भी वक्त आने की इजाजत दी।

योजना : कक्षा के अपने कुछ अनुभव बताए।

अल्बर्ट आइंस्टीन : एक परिचय

अल्बर्ट आइंस्टीन अपने सापेक्षता के सिद्धांत के लिए सुविख्यात हैं। अपने जीवनकाल में ही मानव इतिहास के सर्वाधिक शक्तिशाली और रचनात्मक बौद्धिक के रूप में स्थापित हो जाने वाले इस भौतिकशास्त्री का जन्म जर्मनी में हुआ था। बाद में उन्होंने अमरीकी नागरिकता ले ली।

जर्मनी के उल्म नामक स्थान पर जन्मे आइंस्टीन को स्कूली दिनों में मेधावी नहीं माना जाता था। खाली समय में वह वायलिन बजाना सीखते थे। वायलिन वादन में उनकी प्रतिभा झलकती थी जो संगीत में उनकी गहरी रुचि का द्योतक था। उनकी यह रुचि जीवनपर्यंत बनी रही। पढ़ाई में केवल गणित में वह अव्वल थे, बाकि विषयों में उनका रिकार्ड खराब था तथा अकादमिक उपलब्धि हासिल करने की उनकी इच्छा धरी रह जाती थी।

पढ़ाई के काम को वह इतना अरुचिकर मानते थे कि उनके पास अपनी खोज करने के लिए समय ही समय था। इसके लिए उपकरण के रूप में उन्हें केवल एक पेंसिल और कागज की जरूरत होती थी। उनकी प्रयोगशाला उनका मस्तिष्क था। नितांत अपनेतईं काम करते हुए आइंस्टीन ने उस सिद्धांत की निर्मिति की दिशा में कदम बढ़ाना आरंभ किया जिसने आगे चलकर विज्ञान जगत की नींव हिला दी।

उन्होंने 1915 में सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में अंतरीक्ष की संरचना का गणितीय विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड एक चतुष्आयामी भौतिक अंतरिक्ष और काल है। इसे उन्होंने एक दुरुह चतुष्आयामी आरेख के द्वारा समझाया।

इसके बाद अचानक मिले प्रचार से उन्हें संकोच होता था। उन्हें अच्छा लगे या न लगे, वह अचानक विश्वविख्यात व्यक्तित्व बन गए थे। सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने को वह नापंसद करते थे, इसके बावजूद

पं. जवाहरलाल नेहरू के साथ अल्बर्ट आइंसटाइन (1949)

जर्मनी में नाजियों के उदय का विरोध करने तथा यहूदियों के अलग देश के रूप में फिलीस्तीन की स्थापना करने के लिए उन्होंने अपने नाम और का उपयोग किया।

1933 में नाजी सत्ता में आए, उन्होंने उनकी संपत्ति जब्त कर ली तथा जर्मन नागरिकता छीन ली। आइंस्टीन तब विदेश यात्रा पर थे। मातृभूमि द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाने के बाद अमरीका ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसी साल उन्होंने प्रिंस्टन, न्यू जर्सी स्थित इंस्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज में अध्यापन आरंभ कर दिया। वहां वह जीवनपर्यंत रहे।

1939 तक अमरीकी वैज्ञानिक यह भांप चुके थे कि जर्मनी के वैज्ञानिक सापेक्षता सिद्धांत का उपयोग एक नया विध्वंसक अस्त्र बनाने के लिए किया जा सकता है। उनकी आशंका इस सिद्धांत के उस पहलू पर आधृत थी कि पदार्थ को सीधे ऊर्जा में बदला जा सकता है तथा पदार्थ का एक सूक्ष्म टुकड़ा भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा कर सकता है। इससे एक नये प्रकार के बेहद शक्तिशाली बम की संभावना उत्पन्न हो गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के खतरे के बीच अमरीकी वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन को राष्ट्रपति रुजवेल्ट को यह सलाह देने को कहा कि अमरीका भी एक प्रतिरोधी बम बनाए। आइंस्टीन अंशत: इस वजह से सहमत हो गए क्योंकि उन्हें यह रत्तीभर उम्मीद नहीं थी कि ऐसे अस्त्र को प्रतिरोधक की भूमिका सौंपने की बजाय उसका दुरुपयोग जाएगा। उनके पत्र का सीधा प्रभाव यह हुआ कि दुनिया के पहले अणु बम बनाए गए और उन्हें 1945 में जापान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अंतिम क्षण में बम न गिराने की आइंस्टीन की बेचैनी भरी अपील के बावजूद यह बम गिराए गए।

आइंस्टीन ने अपने आखिरी वर्ष प्रिंस्टन में पढ़ाते हुए बिताए। मृत्यु तक वह विश्व के सर्वाधिक प्रशंसित वैज्ञानिक बने रहे। यह प्रशंसा उनकी मेधा और मानवता के प्रति उनके प्रेम के कारण थी। इतिहास में वह ऐसे अकेले अमरीकी नागरिक थे जिसे किसी अन्य देश के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव दिया गया। यह सब ऐसे व्यक्ति को कहा गया जो केवल सोचने और काम करने के लिए शांति चाहता था। उन्होंने कहा, "मैं खुश हूं क्योंकि मैं किसी से कुछ नहीं चाहता।" ❑

डा. पारिख : क्वांटम अभियांत्रिकी पढ़ाने के लिए कक्षा में अल्बर्ट आइंस्टीन को आते देखकर मुझे और भी आश्चर्य हुआ। अगले तीन महीनों तक वह हमें एक पूरा माड्यूल पढ़ाने वाले थे। मुझे मिलाकर कक्षा में कुल आठ छात्र थे। मेरे अलावा सब अमरीकी। कक्षा में वह विधिवत रूप से और गहराई में जाकर पढ़ाते थे। उन्होंने सभी समीकरणों की सिलसिलेवार व्याख्या की और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उनके प्रयोग से जोड़कर दिखाया। कक्षा में वह एकदम भिन्न व्यक्ति थे। वह प्रतिभाशाली, गंभीर और विशेषज्ञ थे इसके बावजूद वह बेहद सहयोगी, हृदय में सहानुभूति भरे व्यक्ति थे। उनमें काफी धैर्य था। वह तब तक प्रतीक्षा करते जब तक कि कक्षा में मौजूद होकर व्यक्ति उनकी बात समझ न ले। महान वैज्ञानिक के अलावा वह एक महान शिक्षक भी थे।

योजना : कृपया उनके स्वभाव और रुचियों के बारे में बताइये।

डा. पारिख : वह बेहद साफ हृदय के व्यक्ति थे। उन्होंने कभी अपने कपड़े या चेहरे-मोहरे की परवाह नहीं की। कपड़ों के प्रति अपनी उदासीनता की वजह से वह भारतीय ऋषि सरीखे लगते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानों उनकी आंखें हमेशा अनंत में कहीं कुछ ढूंढ रही हों।

उन्होंने ब्रह्मांड के अनेक अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की लेकिन भीतर से वह काफी खुशमिजाज व्यक्ति थे। उन्हें बच्चे पसंद थे। उनके साथ खेलने के लिए वह समय निकाल लेते थे। उनकी एक और खासियत थी कि वह क्रिसमस की प्रार्थना के दौरान वायलिन बजाते थे। परंपरानुसार, लोग उन्हें दान देते जिसे वह जरूरतमंद लोगों को दे देते थे।

योजना : आप भारत कब लौटे? अमरीका छोड़ने के बाद भी क्या आप उनके संपर्क में थे?

डा. पारिख : नहीं, भारत लौटने के बाद मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं रहा। मैं वहां तीन वर्ष रहा। इस दौरान मैंने 'स्टडी आफ पॉलीसल्फाइड लिंकेजेज इन सल्फर डाइज' पर पीएच.डी. किया और भारत लौट आया। यहां एक रोचक बात और है। 25 वर्ष बाद मेरा सबसे बड़ा बेटा राजेश अर्कान्सैस विश्वविद्यालय, अमरीका में पीएच.डी. करने गया। एक दिन पुस्तकालय में किताबें देखने के क्रम में उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसका शीर्षक था- 'स्टडी आफ पॉलीसल्फाइड लिंकेज इन सल्फर डाइज', लेखक डा. जे.डी. पारिख। राजेश चकित था, यह उसके पिता का शोधग्रंथ था!

योजना : एक बेटे के लिए यह वाकई सुखद घटना है। वहां से वापस आने के बाद भारत में आपने क्या किया?

डा. पारिख : कुछ नौकरियां बदलीं, उसके बाद 1959 में मुझे नागपुर में उद्योगों का उपनिदेशक नियुक्त किया गया। द्विभाषी राज्य ग्रेटर बाम्बे के विभाजन के बाद गुजरात एक अलग राज्य बना और मैं गुजरात आ गया। उस समय मैं सरकारी नौकरी में था, लेकिन बाद में निजी क्षेत्र में नौकरी कर ली। ❑

विश्वसनीयता का प्रतीक, सफलता का पर्याय

Sanjeev Kr. Sharma's

IAS ERA

Batches for (2005 - 06) UPSC/ BPSC/ JPSC

भूगोल

PT में 100% सफलता, MAIN में 60 से 70% अंक

by संजीव कुमार शर्मा

सामान्य अध्ययन (PT/M)

संजीव कुमार शर्मा एवं अन्य विशेषज्ञों द्वारा

BPSC 43rd,44th,45th, में संस्थान के सफल छात्र

1.कैलाश प्रसाद (Dy.SP) 2. सुभाष नारायण (डिप्टी कलेक्टर) 3.जनक कुमार (डिप्टी कलेक्टर) 4.विनोद कुमार "विमल" (बिहार शिक्षा सेवा) 5. नीलकमल (बिहार लेखा सेवा) एवं अन्य कई छात्र

नोटः- उपरोक्त सभी छात्रों का एक वैकल्पिक विषय भूगोल रहा है।

संजीव सर के मार्गदर्शन में मैंने भूगोल, सामान्य अध्ययन एवं साक्षात्कार की तैयारी किया, जिसके फलस्वरूप बिहार पुलिस सेवा में मैं चयनित हो सका।

कैलाश प्रसाद (Dy. SP)

Recent Data का प्रयोग एवं UPSC/ BPSC की नवीन प्रवृतियों पर आधारित अध्ययन

Sub.- G.S, Hist., PA, LSW, SOCIO

CDPO (PT/M) के लिए विशेष बैच

गंगोत्री कॉम्पलेक्स,(तीसरा तल्ला), हाईकोर्ट मोड़ एवं बोरिंग रोड चौराहा के मध्य, पटना-1

Mob.: 9835227489 Admission Open

YH/9/5/10

खबरों में

- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अधिक क्रियात्मक स्वायत्तता देने वाले कदम के रूप में सरकार ने उनकी निवेश-सामर्थ्य को दोगुना कर दिया है। अब इसके लिए उन्हें अपने मंत्रालय से अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा। 'नवरत्नों' की श्रेणी में आने वाली लाभार्जक कंपनियां संयुक्त उद्यमों में पूंजीगत व्यय के रूप में 1,000 करोड़ रुपये तक निवेश कर सकेंगी। 'लघु रत्न-I' तथा 'लघु रत्न-II' श्रेणी की कंपनियां क्रमश: 500 करोड़ रुपये तथा 250 करोड़ रुपये तक निवेश कर सकती हैं। निर्धारित सीमा के भीतर सार्वजनिक उपक्रमों के बोर्डों को सम्मिलन और अधिग्रहण करने की आजादी होगी। ये निर्णय संप्रग सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए वायदों को पूरा करने के लिए किए गए हैं।
- विश्व व्यापार संगठन पर मंत्रिमंडलीय समिति ने वाणिज्य मंत्रालय को निर्देश दिया है कि अपनी स्वायत्तता के भीतर रहते हुए इस संगठन में अपनी उन्नत सेवाओं के प्रस्ताव दें। समिति ने यह भी कहा है कि ये प्रस्ताव सशर्त होने चाहिए ताकि सदस्य देशों से संतोषजनक प्रस्ताव न मिलने पर भारत उन्हें वापस ले सके।
- आर्थिक मामलों पर संसदीय समिति ने निर्यात के लिए अगले दो वर्ष के दौरान 625 करोड़ रुपये की लागत से 25 समन्वित कपड़ा बोर्डों की स्थापना की योजना को मंजूरी दे दी है।
- केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित डाउनलिंकिंग नीति को मंत्रिमंडलीय दल को भेजा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नीति के प्रारूप में प्रस्ताव किया है कि विदेशों से अपलिंकिंग करने तथा भारत में उनके सिग्नल डाउनलिंक करने वाले सभी चैनलों को अपने चैनल और कंपनी दोनों को कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना होगा।
- उच्चतम न्यायालय ने गैरकानूनी शरणार्थी (ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारण) अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया है। इस अधिनियम में गैरकानूनी बांग्लादेशी शरणार्थियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने का प्रावधान किया गया था।
- चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस टेक्नोलॉजिज का शुद्ध मुनाफा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 37 प्रतिशत बढ़कर 532 करोड़ रुपये हो गया है। अप्रैल-जून 2005 के दौरान इसने 2071.59 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।
- तमिलनाडु के 97 वर्ष पुराने नीलगिरी पर्वतीय रेल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 46 किमी. लंबी नीलगिरी पर्वतीय रेल छोटी लाईन की एक पटरी वाली रेल है।
- प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने एक पांच-सदस्यीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार करेगा। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के अन्य सदस्य इस प्रकार हैं: पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एन.सी. विज, आण्विक ऊर्जा नियामक बोर्ड के अवकाशप्राप्त अध्यक्ष प्रो. एस. पी. सुखात्मे, सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक के.एम. सिंह तथा आंध्र प्रदेश के पूर्व पर्यावरण मंत्री एम. शशिधर रेड्डी।
- केंद्र तथा चार राज्यों- असम, नगालैंड, त्रिपुरा और मेघालय ने एक संयुक्त गुप्तचर एजेंसी गठित करने का निर्णय लिया है। यह एजेंसी उग्रवादियों के सीमा के आर-पार आने-जाने को रोकने की प्रविधि का आदान-प्रदान करेगी।
- उड़ीसा सरकार अब राज्य में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस ध्येय से इसने इस्पात संयंत्रों के लिए 37 तथा एल्युमीनियम और इसके ऑक्साइड एलुमीना के दो संयंत्रों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पिछले एक वर्ष में इनसे राज्य में 1,30,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इसमें 51,000 करोड़ रुपये के निवेश का पॉस्को प्रस्ताव शामिल है। नयी नीति से बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
- सार्वजनिक कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और एल.एन. मित्तल की विश्व की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी ने एक विशिष्ट सार्वजनिक-निजी भागीदारी करते हुए दो संयुक्त उद्यम कंपनियां स्थापित करने का निर्णय लिया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की विदेशी इकाई ओएनजीसी विदेश लि. और लग्जमबर्ग स्थित मित्तल निवेश एसएआरएल ने ओएनजीसी मित्तल एनर्जी लि. स्थापित करने के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह कंपनी तेल एवं गैस की खोज करेगी। दूसरी संयुक्त उद्यम कंपनी व्यापार तथा जहाजरानी जैसे ऊर्जा से संबद्ध व्यवसाय करेगी। इन दोनों कंपनियों में ओएनजीसी समूह की पूंजी भागीदारी होगी। शेष 2 प्रतिशत पूंजी में वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी होगी।
- यूनेस्को ने उत्तरांचल के फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में अंतरराष्ट्रीय महत्व के प्राकृतिक स्थल के रूप में शामिल कर लिया है।
- भारत और फिलीपींस ने दोनों देशों के बीच वायु संपर्क के बारे में एक समझौता किया है। समझौते के तहत प्रत्येक देश हर सप्ताह अधिकतम छह उड़ानें संचालित कर सकेंगे।
- जॉन हॉप्किंस मेडिसीन इंटरनेशनल (अमरीका) तथा अपोलो अस्पताल (भारत) ने एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते से भारत के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य प्रदाता तथा जॉन हॉप्किंस मेडिसीन के बीच संबंधों की शुरुआत होगी। टेली मेडिसीन पद्धति के जरिये अपोलो अपने मरीजों को जॉन हॉप्किंस के विशेषज्ञों से चिकित्सा संबंधी दूसरी राय तथा टेली परामर्श उपलब्ध

कराएगा।

- चौथे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए केंद्र ने हैदराबाद का चयन किया है। यह सम्मेलन 7-9 जनवरी, 2006 के बीच आयोजित किया जाएगा।
- प. बंगाल सरकार ने राज्यभर के गांवों में स्वास्थ्य चिकित्सा बेहतर बनाने, अस्पतालों को उन्नत बनाने तथा डाक्टरों की नियुक्ति की 100 करोड़ रुपये की एक योजना आरंभ की है।
- सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पुर्नगठन के बारे में सलाह देने के लिए गठित वी. कृष्णामूर्ति की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने इन कंपनियों को मिलाने तथा इन इकाइयों की एक शीर्ष होल्डिंग कंपनी न बनाने की राय दी है।
- केंद्र ने भारत में चिकित्सा चाहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए एक नये किस्म के वीजा की घोषणा की है। चिकित्सकीय वीजा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन के नागरिकों सहित सभी विदेशी नागरिकों को उपलब्ध होगा। आरंभ में यह वीजा एक वर्ष अथवा चिकित्सा की अवधि तक, इन दोनों में से जो कम हो, के लिये होगा।
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्डों के उपयोग को नियमित करने के लिए दिशा-निर्देशों का एक प्रारूप तैयार किया है। इसमें निम्नांकित अनुशंसा की गई है:

(क) यदि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा न होने पर भी कार्ड जारी कर दिया जाता है तथा उसका बिल भेजा जाता है, तो कार्ड जारी करने वाले बैंक को उन प्रभारों को वापस लेना होगा और दंड भुगतान भी करना होगा।

(ख) वसूली एजेंट 'उधार लेने वाले के साथ उचित व्यवहार' करेंगे।

(ग) बैंक बकाया राशि पर वार्षिक आधार पर ब्याज दर का उल्लेख करेंगे।

(घ) ग्राहकों तथा गैर ग्राहकों के लिए 'फोन न करें' संबंधी रजिस्टर रखेंगे।

- जिंदल स्टील एंड पावर लि. ने झारखंड में 50 लाख टन क्षमता वाला एक समन्वित इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इस संयंत्र पर 11,500 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश किया जाएगा। इस संयंत्र से कुल 4,500-5,500 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा और लगभग 30,000 सहायक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- फसल विविधीकरण कार्यक्रम को तेज करने के लिए पंजाब सरकार ने 100 करोड़ रुपये की लागत से एक कृषि अनुसंधान एवं विविधीकरण कोष स्थापित करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री एस.एल. जॉल की अध्यक्षता में विशेषज्ञों का एक समिति भी गठित की है जो फसल विविधीकरण कार्यक्रम को बढ़ाने के बारे में दिशा निर्देश सुझाएगी।
- पंजाब सरकार निवेश बढ़ाने के लिए नीतिगत मामलों में सलाह देने हेतु एक आयोग का गठन करेगी।
- कर्नाटक सरकार ने 16,168 गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए 977 करोड़ रुपये की लागत वाली राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना आरंभ की है। इसके लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा राज्य की पांच विद्युत आपूर्तिकर्ता कंपनियों के साथ सरकार ने त्रिपक्षीय समझौता किया है। ❑

IAS द हिस्टोरिका PCS

सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित संस्थान

श्री रमेश चन्द्रा के कुशल नेतृत्व में 'द हिस्टोरिका' संस्थान ने इतिहास विषय के संदर्भ में प्रचलित नवीन संकल्पनाओं/अवधारणाओं के आलोक में सिविल सेवा हेतु इतिहास के अध्ययन एवं लेखन को 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' प्रदान करते हुए नये प्रतिमानों को स्थापित किया है।

संस्थान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने B.Sc./M.Sc. या B.Com./M.Com या अन्य विषयों की पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए इतिहास को समझना एवं लिखना अत्यंत सरल बना दिया है.....। आइये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित कक्षाओं में एवं सफलता का मार्ग प्रशस्त करें....।

STAR of the 'HISTORICA'

उत्तरांचल पी० सी० एस० टॉपर : रैंक-3

(उप जिला अधिकारी)

'द हिस्टोरिका' संस्थान के निदेशक श्री रमेश चन्द्रा जी ने मुझे उच्च रैंक दिलाने में विशेष योगदान दिया है। इतिहास विषय पर उनका वैज्ञानिक व समग्र दृष्टिकोण अत्यन्त सराहनीय है। साक्षात्कार तैयारी में उनके मार्गदर्शन से मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई।

HARISH CH. KANDPAL
R. N. : 112347

मेरी सफलता में श्री रमेश चन्द्रा का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा। 'द हिस्टोरिका' में गुणवत्ता उन्मुखीकरण पर विशेष जोर दिया जाता है जो सफलता हेतु अनिवार्य है। इतिहास जैसे वैकल्पिक विषय के लिए यह संस्थान काफी मददगार सिद्ध हो रहा है।

Ajay Kr. Keshri
R.No. 139064 I.A.S. - 2004

'द हिस्टोरिका' संस्थान इतिहास एवं सामान्य अध्ययन के लिए एक, प्रमाणिक संस्थान है। मेरी सफलता में इस संस्थान का एवं इसके निदेशक श्री रमेश चन्द्रा का योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

Rajesh Kr. Meena
R. No. 140758 I.A.S. - 2004

'सर की वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित कक्षाओं, लेखन-कला एवं साक्षात्कार में दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों ने मेरी सफलता सुनिश्चित की।'

Shivani Bhauryal
(Trade Tax Officer) उत्तरांचल पी.सी.एस.

कुल चयन 55 (2003-05) संघ एवं सभी राज्य सिविल सेवा में (प्रारम्भिक परीक्षा / मुख्य परीक्षा / साक्षात्कार)

सफलता की यह यात्रा अनवरत् जारी है...। आइयें आप भी शामिल हो अपनी 'अर्जुन दृष्टि' के साथ हमारी परिणामोन्मुखी कक्षा कार्यक्रमों में...।

इतिहास द्वारा रमेश चन्द्रा

सामान्य अध्ययन द्वारा रमेश चन्द्रा एवं अन्य अनुभवी विशेषज्ञ

नया सत्र: 10 नवम्बर (निःशुल्क कार्यशाला के साथ)

निबन्ध: अगस्त में 15 दिवसीय कार्यक्रम

प्रारम्भिक परीक्षा (विशेष सत्र)
20 सितम्बर (निःशुल्क कार्यशाला के साथ)
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल पी.सी.एस. पर विशेष बल

राष्ट्रीय पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम
विषय : सामान्य अध्ययन, इतिहास, निबन्ध, अंग्रेजी अनिवार्य

2063 (BASEMENT), OUTRAM LINES,
(IN THE LANE BEHIND D.A.V. PUBLIC SCHOOL) KINGSWAY CAMP,
DELHI- 110009 TEL.: (011) 55153204 CELL : 9818391120

YH/9/5/07

ट्रेकोमा - आंखों का संक्रामक रोग

○ अमीर बानो

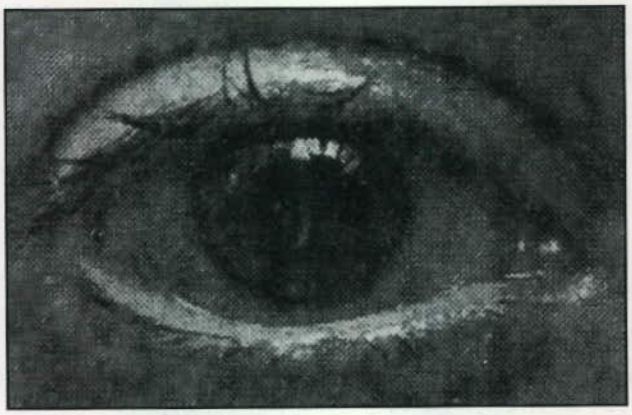

ट्रेकोमा आंखों का एक प्रमुख संक्रामक रोग है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसका इतिहास पांच हजार साल पुराना है। प्राचीन पुस्तकों में इस रोग का वर्णन मौजूद है। इतिहासकारों ने लिखा है कि नेपोलियन की 32 हजार फौज इस रोग को यूरोप ले गई थी। उन्हीं में से कुछ अंग्रेज व फ्रांसीसी फौजियों ने घर लौट कर इस रोग को चीन और मिस्र में फैलाया। इसलिए वहां बहुत समय तक इस रोग को मिलिटरी अथलमिया के नाम से जाना जाता रहा। यों तो यह रोग विश्व के सभी देशों में पाया जाता है लेकिन इसका अधिक प्रकोप अफ्रीका, एशिया और दूसरे पिछड़े क्षेत्रों में है। कुछ क्षेत्रों में तो 80 प्रतिशत या उससे अधिक आबादी इस रोग का शिकार होती है।

यह अपने आप में कोई भयंकर रोग नहीं है लेकिन जब कोई दूसरा संक्रमण लग जाए तो अधिक कष्ट देता है और अन्य जटिलतायें पैदा हो जाती हैं।

रोग का कारण

यह रोग क्लेमिडिया ट्रेकोमेटिस नामक एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म रोगाणुओं के कारण होता है। इस रोग में आंखों से निकलने वाला द्रव बीमारी को फैलाता है। इस द्रव में रोगाणु इतनी अधिक संख्या में होते हैं कि जो भी इसके संपर्क में आता है उसे छूत लगने का पूरा खतरा रहता है।

यह रोग किन लोगों को अधिक होता है?

यह रोग किसी भी आयु वर्ग के लोगों को हो सकता है लेकिन बच्चों में अधिक होता है, क्योंकि उनमें आंखों की सुरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। शहरों की अपेक्षा इस रोग का प्रकोप देहातों में अधिक देखने को मिलता है। उच्च वर्ग के लोगों की अपेक्षा निम्न वर्ग के अशिक्षित लोगों को यह रोग अधिक होता है जिसका कारण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति ध्यान न देना है।

रोग के लक्षण

आरंभ में संक्रमण लगने के बाद आंखों में लाली आ जाती है, जलन होती है, पलकें अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, गुलाबी दाने उभर आते हैं, आंखों में किरकिराहट महसूस होती है। यदि दूसरे रोग का संक्रमण हो जाए तो सूजन भी आ जाती है। आंखों से निकलने वाला द्रव गाढ़ा हो जाता है, उसमें ट्रेकोमा के रोगाणु भारी संख्या में होते हैं। जब एक स्वस्थ मनुष्य ऐसे रोगी के निकट संपर्क में आता है तो वह भी रोगग्रस्त हो जाता है।

आंखों से निकलने वाले द्रव के कारण पलकें आपस में चिपक जाती हैं। कुछ समय बाद कॉर्निया के ऊपरी भाग में छोटी-छोटी रक्त वाहिकायें फट जाती हैं और छोटे-छोटे घाव बन जाते हैं। उस समय आंखों से पानी आने लगता है और पलकें भारी हो जाती हैं और कभी-कभी पलकों के बाल कॉर्निया को खरोंचने लगते हैं जिससे आंखों की रोशनी प्रभावित होती है। लेकिन इस प्रकार की जटिलतायें तभी पैदा होती हैं जब यह रोग लंबे समय तक बना रहे और उसका कोई इलाज न किया जाय।

उपचार

इस रोग से छुटकारा दिलाने के लिए आज बाजार में बहुत-सी प्रभावशाली दवाएं उपलब्ध हैं जिनमें सल्फासीटामाइड, सोडियम, टेट्रासाइक्लीन ड्राप्स बहुत ही प्रभावशाली हैं। लेकिन आंखों में किसी प्रकार का कष्ट होने से स्वयं अपने से दवा का सेवन कभी-कभी हानिकारक भी हो जाता है। अतः इस संबंध में नेत्ररोग विशेषज्ञ से सलाह ले कर ही दवाएं प्रयोग करें। कभी-कभी केवल आंखों में डालने वाली दवाओं से काम नहीं चलता तो चिकित्सक खाने की दवायें भी देते हैं।

रोग से बचाव कैसे करें?

इस रोग से बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता की ओर ध्यान दें, आंखों को साफ ठंडे पानी से धोएं, धूल, धूप एवं धुएं से परहेज करें। रोगग्रस्त व्यक्ति की किसी भी प्रयोग की गई वस्तु को हाथ न लगाएं - विशेष रूप से रूमाल, चादर, तौलिया आदि। दूसरों द्वारा प्रयोग किया गया काजल, सुर्मा लगाने वाली सलाई का प्रयोग न करें क्योंकि जिसने इनका प्रयोग आपसे पहले किया था, क्या मालूम कहीं वह आंख के किसी रोग से पीड़ित तो नहीं।

अपने घर एवं आसपास का स्थान साफ-सुथरा रखें ताकि मक्खियां न आएं क्योंकि मक्खियां इस रोग को फैलाने में विशेष भूमिका निभाती हैं। यदि उपरोक्त बातों पर ध्यान दिया जाए तो इस संक्रामक रोग से बचा जा सकता है। ❑

(पृष्ठ 2 का शेषांश)

क्षरण को रोकने के लिए धरातलीय कार्य नाममात्र का हो रहा है। आज गिनती के प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में स्वच्छ पेयजल की कमी से सभी परिचित हैं, ऐसे में 'योजना' द्वारा जल प्रबंधन पर केंद्रित अंक एक सराहनीय कदम है। इस अंक में भारतीय अर्थव्यवस्था का चीन से 20 खरब डालर के व्यापार पर छपा सर्वेक्षण हमारी अर्थव्यवस्था की उन्नति की सूचना देता है। संपादकीय में जल के अस्तित्व को खतरे से बचाने के लिए भरपूर आशावादी समाधानों को चिन्हित किया गया है। इस अंक में जल-प्रबंधन संबंधी शोध एवं लेखों ने आम जनता का ध्यान जल की ओर खींचने का एक सार्थक प्रयास किया गया है।

अमित कुमार द्विवेदी
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)

अद्वितीय जानकारी से युक्त

इस पत्रिका ने मुझे जो ज्ञान प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जिस प्रकार से आपने अपने जुलाई 2005 अंक में स्वास्थ्य संबंधी लेख छापे हैं वे निश्चय ही उत्कृष्ट हैं। मैं इस बात को लेकर काफी उत्सुक हूं कि आगामी अंक और अधिक सामग्री वाला होगा। यह पत्रिका वास्तव में अद्वितीय जानकारी से युक्त है। 'मंथन' के जरिये अखिलेश कुमार ने जो बातें रखी हैं उसके लिए उन्हें सहृदय से धन्यवाद! कृपया इस पत्रिका का स्तर बनाए रखें।

अभिषेक चौहान
हनुमान नगर, पटना

भर्ती संबंधी जानकारी दें

योजना भारत की एक ऐसी पत्रिका है जिससे आगामी एवं चालू योजनाओं से संबंधित जरूरी सूचनाओं की सबसे पहले जानकारी मिलती है। 'योजना' भारत में हो रही सभी आर्थिक भौगोलिक, वैज्ञानिक गतिविधियों पर नजर रखती है। अत: आपसे अनुरोध है कि विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न विभागों में भर्ती से संबंधित जानकारियां पत्रिका में समाहित करें। 'योजना' पत्रिका से हर क्षेत्र से में ज्ञान प्राप्त होता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी मददगार साबित होता है।

आर.एन. सिंह
कोच्चि (केरल)

स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां जरूरी

'योजना' के जुलाई 2005 अंक में 'टेलीमेडीसिन विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा का सामान्य माध्यम' फीचर पढ़ा। इस फीचर से गांवों में स्वास्थ्य की स्थिति और अपने देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई तरक्की के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ। इस तरह की प्रणाली से भारत बहुत लाभान्वित होगा। चिकित्सा की जानकारी न होने के कारण हर वर्ष बहुत सी जानें जाती हैं। आज आजादी के 58 वर्ष के पश्चात भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां चिकित्सा की सुविधा नहीं है। वे अपना काम गांव के झोला छाप डाक्टरों से चलाते हैं जो रोग का समुचित निवारण नहीं कर पाते। यदि टेलीमेडीसिन प्रणाली पूरे देश में विकसित की जाए तथा इसे ग्रामीण स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम से जोड़ा जाए तो काफी हद तक सफलता प्राप्त हो सकती है। जब तक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां नहीं मिलेंगी तब तक समाज से बीमारियां नहीं दूर होंगी।

चन्द्रशेखर पांडेय
इंद्रानगर, वाराणसी

सदस्यता कूपन

❑ नयी सदस्यता ❑ नवीकरण ❑ पता बदलने के लिए

(जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिह्न लगाएं।)

मैं ..... (पत्रिका का नाम एवं भाषा) का ❑ वार्षिक (70 रुपये) ❑ द्विवार्षिक (135 रुपये) ❑ त्रैवार्षिक (190 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूं। डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या ..... तारीख .....

नाम .....

वर्ग ❑ विद्यार्थी ❑ शिक्षक ❑ संस्था ❑ अन्य

पता : .....

.....

.....

पिन .....

नवीकरण/पता बदलने के लिए कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें ☐

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ इस पते पर भेजें :

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग
ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110066
दूरभाष : 26100207, 26105590

पहली प्रति की प्राप्ति हेतु आठ से दस हफ्ते का समय दें।

RAU'S IAS
WHERE WINNERS LEARN

Amazing Success

Our 2004 Exam Results : Seven positions secured by our students in first 20 and 41 in first 100 with overall 181 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS & PCS coaching.

Unbeatable Strategy

Answers that matter : The most crucial fact about coaching is that it should improve the quality of your answers in the minimum possible time. It is precisely this training on which we focus on at Rau's to give an extra edge to the answers you give / write in the Civil Services Examination.

Be Sure

We have no branches or associates any where in India. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of centres across India, but it can never be equalled.

Programme Highlights

Civil Service Exam, 2006

- Personal Guidance (English Medium) is available for -

  General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.

- **पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -**

  सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं भूगोल में उपलब्ध।

- Postal Guidance in English Medium available for -

  General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.

- Postal Guidance in Hindi Medium available for **General Studies** only.

- Hostel facility arranged.

कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं ।
जीता वही जो डरा नहीं ।।

New batches for 2006 Exam, start from 11th November, 2005

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO for Rs. 50/- favouring

RAU'S IAS STUDY CIRCLE

309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001.
Phone : 39448880-81, 55391202, 23318135-36, 23738906-07, Fax: 23317153
For full details on fast-track log-on our website: www.rauias.com

The Original Rau's / Rao's - Since 1953

प्रो. उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पटियाला हाऊस, नई दिल्ली–110 001 से प्रकाशित एवं मुद्रित तथा अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली–110 020 में मुद्रित। दूरभाष : 26388830–32
संपादक : विश्व नाथ त्रिपाठी

रजि.सं.एल. 12036 यू (डीएन) 53/2003–05 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस–प्राप्त
Reg. No. D.L.12036 (DN) 53/2003-05 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi.
पंजी सं. 951/57
R.N. 951/57

एस.एस.सी. संयुक्त प्रारम्भिक परीक्षा

(स्नातक स्तर) हेतु

Code 628 मूल्य : 175/-

उपकार की पुस्तकें

गत वर्षों के हल प्रश्न–पत्रों सहित

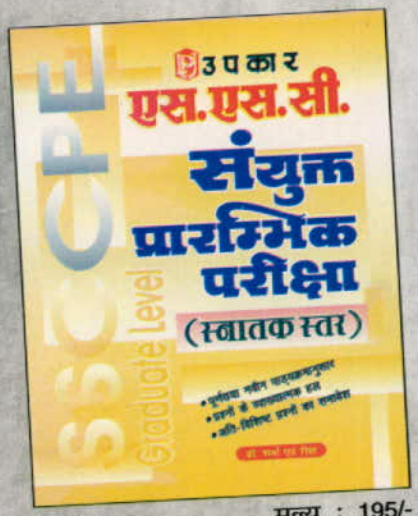

Code 589 मूल्य : 195/-

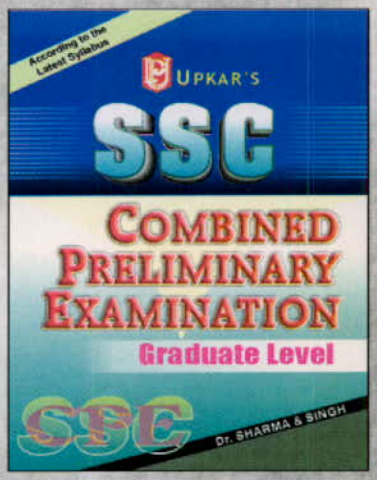

Code 490 Rs. 245/-

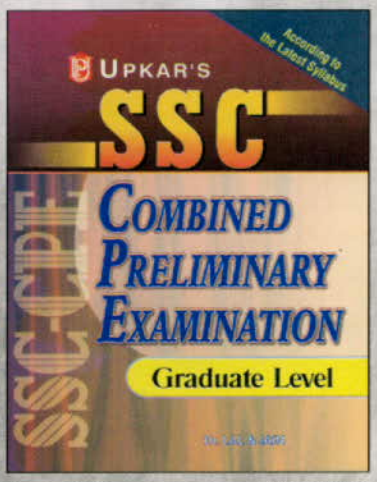

Code 489 Rs. 185/-

Code 590 मूल्य : 299/-

योग्य और अनुभवी लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकें जो आपको महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी विषय-सामग्री उपलब्ध कराने के साथ-साथ परीक्षा में आपका उचित मार्गदर्शन भी करेंगी।

उपकार प्रकाशन 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा –2 फोन : 2531101, 2530966, 2602653; फैक्स : (0562) 2531940
•E-mail : upkar1@sancharnet.in •website : www.upkarprakashan.com
ब्रांच ऑफिस 4840/24, गोविन्द लेन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली–2 फोन : 23251844, 23251866

YH-9/5/03